खण्ड-372, अंक-9
शुक्रवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(23 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3--39
फर्जी संस्थाओं द्वारा डाक्टरी प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	40
बाराबंकी की शिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों में हेराफेरी तथा फर्जी टी0 सी0 जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	40
तहसील दादरी, गाजियाबाद में नाला हसनपुर पर पहली साइफन बन्द होने से किसानों को परेशानी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	40
कृषि उत्पादन मण्डी समिति सम्भल, जनपद मुरादाबाद के कार्यालय में श्री आदर्श कुमार रस्तोगी लिपिक द्वारा आग लगाये जाने की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	41
इंदिरा नगर, लखनऊ में राजकीय प्रेस के पीछे नजूल की भूमि पर बसे पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोगों को सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	41
ग्राम जमुआखेड़ा शिकोहाबाद, मैनपुरी में सुनीता की ससुराल वालों के द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	41
आजमगढ़ में सुल्तानीपुर-मऊनाथ भंजन तथा खुरहट सरसेना की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	42
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . . . उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	43--44
झांसी जिले की मोठ तहसील पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने तथा समथर, जनपद झांसी में तहसील स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	44
जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	45
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	45

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 46--50

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) संशोधन बिधेयक, 1985 (पुरःस्थापित किया गया) 51

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 51--62

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45--लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, तथा अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग (चर्चा जारी) .. 63--125

नियम-51 के अंतर्गत सूचनाए 126

प्रदेश में जानवरों की तस्करी एवं प्रतिदिन हजारों गायों के निर्यात के सम्बन्ध में दिए जाने वाले वक्तव्यों को स्थगित किये जाने की सूचना 126

नत्थियां 127--129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

———

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर
कमल किशन पाण्डे, श्री	पिथौरागढ़
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जयराम वर्मा, श्री	फैजाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर
देवता दीन, श्री	बहराइच
नंगाराम, श्री	खीरी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

नोट—श्री सिब्ते रजी—शिक्षा मन्त्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विद्युत परिषद् द्वारा लेखाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

**1—श्री कौशिक रमाशंकर तथा श्री शतरुद्र प्रकाश—

**1—क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत परिषद् द्वारा लेखाधिकारियों के पद भरने के लिये परीक्षा ली गयी थी और 12 मार्च, 1985 को साक्षात्कार हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार में अधिकारियों के द्वारा अनियमित रूप से चयनित लेखाधिकारियों की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है और उक्त चयन को निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लेखा (अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984 के प्राविधानों के अनुसार लेखाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एक परीक्षा व साक्षात्कार सम्पन्न कराया गया था । चयनित लेखाधिकारियों की नियुक्ति पर शासन द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी है परन्तु परिषद् के लेखा शाखा के सेवा संघों/यूनियनों द्वारा विभागीय कोटे में वृद्धि की मांग को दृष्टिगत करते हुए नियुक्ति आदेशों को अग्रिम आदेशों तक विद्युत परिषद् द्वारा स्थगित किया गया है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह स्पष्ट घोर अनियमितताओं का मामला है । 1970 में जो नियमावली थी उसके तहत लेखाधिकारियों के पद शत-प्रतिशत सहायक लेखाधिकारियों द्वारा भरे जाने थे । उस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा सन् 83 में जो कर्मचारियों से समझौता हुआ उसके तहत यह निश्चय किया गया कि जब सेवा नियमावली बदली जायेगी उस समय कर्मचारियों को भी उसमें शामिल किया जायेगा तो वह भी नहीं हुआ और सन् 84 में यह नियमावली बन गयी जिसके तहत माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है । इस नियमावली के तहत तो सवाल उठते हैं उनको मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । इस नियमावली के तहत पैरा 20 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चयन समिति का जो गठन होगा वह इस प्रकार होगा । चयन समिति में बोर्ड का चेयरमैन समिति का भी चेयरमैन होगा, एक मेम्बर फाइनेन्स और एक एकाउंट्स का होगा तीसरा मेम्बर बोर्ड का ही होगा लेकिन चेयरमैन के द्वारा नामांकित होगा, चौथा मेम्बर बाहर से लिया जायेगा जो वित्तीय मामलों में जानकारी रखता हो । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस चयन समिति में चेयरमैन बोर्ड ने क्यों अध्यक्षता नहीं की और दूसरे सदस्य जो वित्त के एक्सपर्ट के रूप में बाहर से लिये जाने वाले थे, उसमें ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा जो कि वित्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखता था ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

श्रीमन् मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि जो सीनियर एकाउण्टेन्ट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा तो पहले उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में एकाउन्टेन्ट पद होता था उसके बाद सीनियर एकाउन्टेन्ट का पद होता था । उसके पश्चात् पदोन्नति प्राप्त कर असिस्टेन्ट एकाउन्ट्स आफिसर बनता था । यहां पर देखा गया कि सीनियर एकाउन्टेन्ट में कुछ एनामलीज उत्पन्न हुई, उनके वेतन के सम्बन्ध में क्योंकि उनका स्तर

सेक्शन आफिसर के ऊपर था और सेक्शन आफिसर का समय बीतते वेतन भी बढ़ता गया । जब यह एनामली सामने आई तो यह तय किया गया कि शत-प्रतिशत सभी सीनियर एकाउन्टेन्ट्स को असिस्टेन्ट एकाउन्ट्स आफिसर बना देंगे । जो माननीय सदस्य ने कहा उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसी कोई नीति नहीं थी और इस एनामली को दूर करने के लिए उनके लेखा कर्मचारी संघ ने मांग को वजन देते हुए कहा कि शत-प्रतिशत उन लोगों को पदोन्नत कर एकाउन्ट्स आफिसर बना दें । लेकिन एकाउन्टेन्ट का पद जिसके लिए कर्मचारी संघ ने मांग की कि शत-प्रतिशत एकाउन्ट्स आफिसर का पद उन्हीं को दिया जाय जो सहायक लेखाधिकारी बनाये गये हैं उन्हीं में से शत-प्रतिशत पदोन्नति कर दी जाये तो यह सम्भव नहीं है चूंकि लेखा शाखा को चलाना है तो तजुर्बेकार व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनको अनुभव है, लेकिन लेखाधिकारी जो जिम्मेदारी का पद है वहां पहले 50 प्रतिशत की पदोन्नति की सम्भावना थी, उसको 100 प्रतिशत कर दिया । सभी सीनियर एकाउन्टेन्ट को सहायक लेखाधिकारी बना दिया, सभी को पदोन्नति दे दी गयी और सीनियर एकाउन्टेन्ट का पद समाप्त कर दिया । इसलिये नये नियम बनाये गये और उस अधिनियम के तहत टेस्ट, परीक्षा ली गयी और परीक्षा में जो बुलाया 62 लोग उसमें आये और सभी को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया जिसमें 38 का चयन किया गया और नियुक्ति पत्र दे दिया । लेकिन फिर लेखा कर्मचारी संघ के लोगों ने मांग की ... (व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जिस नियमावली के तहत चयन समिति का गठन किया गया उसके पैरा 20 में जो शर्तें रखी गयी हैं उसके अनुसार जिन लोगों को चयन समिति में रखना चाहिए था उनको न रखने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

अधिनियम के अन्तर्गत चयन समिति में जो चेयरमैन के पद हैं उसके लिये एक टेक्निकल मेम्बर की आवश्यकता होती है, चेयरमैन कौन होता है, वह रेगुलेशन्स 20 के अनुसार—सेक्शन 1, 2, 3 और 4 के अनुसार होते हैं, तो श्री ए0 के0 गुप्ता को बनाया गया और चेयरमैन द्वारा नामिनेटेड श्री एस0 एस0 मिश्रा थे, इसलिये इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायक लेखा अधिकारी की नियुक्ति नियमावली के तहत केवल वही लोग नियुक्त किये जाते हैं जो रिटेन परीक्षा में मिनिमम 45 प्रतिशत अंक पाते हैं, यदि हां, तो किन परिस्थितियों में जिन लोगों को रिटेन परीक्षा में ए0 पी0 सी0 में केवल 20-20 मार्क्स पाये थे उनको भी इसमें लेखा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करके लिखित और साक्षात्कार दोनों का बराबर-बराबर 50 नम्बर रखा गया, यह किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, यह सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिये परीक्षा नहीं थी बल्कि लेखाधिकारी के पद के लिये परीक्षा हुई थी । जब यह बात इसमें संज्ञान में लेखा कर्मचारी संघ ने लायी तो नियुक्ति स्थगित कर दी गयी । हम चाहते थे कि न्याय विभाग की राय ले लें, मा0

सदस्य ने सही कहा, उच्च न्यायालय के समक्ष गया, परिषद् ने न्याय विभाग से राय लिया तो बताया कि इसमें कोई अनियमितता नहीं कर रहे हैं और आपका चयन सही है तो उसके पश्चात् ही नियुक्ति पत्र फिर जारी किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या इस मामले में जो चयन प्रक्रिया है, उसके सम्बन्ध में विभागीय कोटे के सम्बन्ध में कोई नियमावली है और चयन प्रक्रिया को पूरा करते हुए क्या उसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि पालन किया गया तो उसके बाद 10-7-85 के नियुक्ति पत्रों को स्थगित करने का क्या कारण था ? क्या वह दबाव से या मांग के कारण रद्द किये गये ? उसमें इसका क्या औचित्य है, क्या इसे वह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही, बताना चाहूंगा कि चयन की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट की प्रक्रिया मार्च 83 की है, उसके अनुसार 66·66 प्रतिशत डायरेक्ट बाहरी लोगों में से और 33·33 प्रतिशत विभागीय लोगों को पदोन्नति करके इन पदों को भर सकते हैं । लेखा कर्मचारी संघ बराबर इस बात को कह रहा था कि हमें शत-प्रतिशत यह पद मिलने चाहिए और इन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट न किया जाए । हमने केवल एक एनोमली को तोड़ने के लिए जो पैदा हो गई थी केवल सीनियर एकाउन्टेन्ट के मामले में 100 प्रतिशत को किया था । जब संघ ने इस तरह की मांग की, तो उन्हें विद्युत परिषद् ने अवगत कराया कि हमारी जो नई नियमावली है, उसके अनुसार 33·33 प्रतिशत लोगों को ही मौका दिया जाएगा और उसके अनुसार कार्यवाही भी की गयी । लेकिन जब उनकी मांग बनी रही तो इसे 10 तारीख को इसलिए स्टे किया गया कि उन्होंने न्यायालय के एक निर्णय को परिषद् के सामने प्रस्तुत किया और कुछ अन्य बातें भी रखीं । तो वहां पर उस पर विद्युत परिषद् ने सही कदम उठाया कि तुरन्त उसको स्थगित कर दिया और न्याय विभाग की राय मांगी । उसके बाद जब उनकी राय मिल गई कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, तब हमने नियुक्ति-पत्र जारी किया । सदस्य की एक बात को मैं और स्पष्ट कर दूं, इसमें कर्मचारियों ने भी अपनी बात को समय-समय पर रखा है और आन्दोलन भी किया और यहां तक कि वह लोग सदस्य लेखा के कमरे में भी घुस गये । इन सब बातों को देख कर विद्युत परिषद् ने तय किया कि 38 लोगों को जब डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से लिया है तो 38 और पद सहायक लेखाधिकारियों के दे दिए जाएं ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के विपरीत किन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के स्थान को समान अभ्यर्थियों से भरा गया, जबकि सदस्य सेवा की यह स्पष्ट टिप्पणी थी कि काफी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को जब किसी कारण से विद्युत परिषद् ने ओवर-लुक कर दिया, कारण तो मैं नहीं कह सकता हूं, तो जैसे ही यह बात हमारे संज्ञान में लाई गई तो हमने सुनिश्चित कर लिया कि 7 सीटें उनको मिलें ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह पूरे का पूरा मामला संदिग्ध है, एक बिन्दु को ही आप देखने की कृपा करें कि कुल 62

अभ्यर्थी शामिल हुए, तो कौन सी ऐसी नौकरी है प्रदेश में जिसमें 10 जगह के लिए 1 हजार-2 हजार अभ्यर्थी नहीं आ जाएंगे । लेकिन इसमें केवल 62 व्यक्ति ही इस बात की जानकारी कर पाए और वह परीक्षा में बैठे और इसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा में बैठने वालों के नम्बर अगर 45 प्रतिशत से कम होंगे तो उन्हें इण्टरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि 39·82, 26·20, 43·95, 25·69 और यहां तक कि 20 प्रतिशत नम्बर तक के लोगों को इसमें बुलाया गया है, और अब इण्टरव्यू में उनको 50 में 37 और 40 तक नम्बर दिए गये, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत नम्बर पाए, साक्षात्कार में 40 प्रतिशत अंक पा जाए । सिर्फ 62 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे । तो इन सारी बातों को देखते हुए, जो चयन समिति बनी और जिस प्रकार से वह बनी तो वह रेगुलेशन के खिलाफ बनी, जो नियमावली है उसके खिलाफ बनी । तो ऐसी स्थिति में क्या इस पर विचार करेंगे कि इस सारे मामले की जांच करा ली जाय और यह नियुक्तियां निरस्त कर दी जायं ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन् जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि निरस्त कर दिया जाय तो मैं समझाता हूं कि 38 नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे । 62 की जो बात की गयी है तो सिर्फ 62 इसलिये आये कि और कंडीडेट्स क्वालीफाई नहीं करते थे । इसमें एम0 काम0 हाई सेकेन्ड क्लास और बी0 काम0 फर्स्ट क्लास होना चाहिए था तो जो बी0 काम0 फर्स्ट क्लास नहीं है वह अप्लाई नहीं कर सका तो इसलिए सिर्फ 62 कंडीडेट्स आये । उनकी परीक्षा ली गयी । जैसा आपने कहा कि किसी को 25 और किसी को 29 नम्बर मिले तो जगहें काफी समय से रिक्त थीं और नियुक्त करना था और इन्टरव्यू में इनकी इंटेलीजेंस का जायजा लिया गया और उसके बाद इनको नियुक्त किया गया । माननीय सदस्य ने जो कहा कि लेखा कर्मचारी संघ के लोगों को महत्त्व क्यों नहीं दिया ।.....

श्री कौशिक रमाशंकर—

मेरा प्रश्न यह था कि यह चयन सारे सिद्धान्तों और नियमों का उल्लंघन करके किया गया है लिहाज़ा इसको निरस्त किया जाय । लेखा कर्मचारी संघ का तो मैंने संदर्भ दिया था कि 70 में ऐसा रेगुलेशन था ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जिस समय लेखा कर्मचारी संघ के लोगों ने बताया कि अनियमितता हुई है तो हमने नियुक्ति-पत्र को स्थगित करने के आदेश पारित कर दिये और उसके पश्चात् न्याय विभाग राय देने के लिये इसको भेज दिया । जब उन्होंने कह दिया कि अनियमितता नहीं हुई है तब नियुक्ति पत्र जारी किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे चलें । इस पर काफी समय हो गया । 17 मिनट हो गये हैं ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंक आफ इंडिया महानगर शाखा में जमा की गई धनराशि

**2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित) तथा श्री विजय सिंह राणा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कई करोड़ रुपया बैंक आफ इंडिया महानगर शाखा में गत सितम्बर, 84 से लेकर मार्च, 1985 तक की अवधि में जमा किये गये हैं ? एक बैंक में इतना अधिक रुपया जमा करने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बैंक से निगम के प्रबन्ध निदेशक ने अपनी पत्नी के नाम प्लाट खरीदने हेतु कई लाख रुपया कर्जा लिया है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ब्याज पर कर्जा लिया गया है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत)—

जी नहीं । निगम की यह प्रक्रिया है कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार पी0 एल0 ए0 से धन निकाल कर बैंको में ट्रान्सफर किया जाता है और अल्प अवधि के अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिलों के अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) को भेज दिया जाता है ।

निगम द्वारा इस प्रकार बैंक सुविधायें अन्य बैंकों से भी प्राप्त की जा रही हैं । एक बैंक में जमा नहीं किया ।

प्रबन्ध निदेशक की पत्नी ने बैंक आफ इंडिया, महानगर से 10 हजार रुपये का ऋण एक प्लाट क्रय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 17 परसेन्ट ब्याज पर लिया है । अतः यह सत्य नहीं है कि प्रबंध निदेशक ने अपनी पत्नी के नाम कई लाख रुपया कर्जा लिया है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बैंक में खाता कब खोला गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरे माइक पर आ जायं । आप अपना सवाल दोहरा दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जो है इनका खाता उस बैंक में कब खोला गया । दूसरा सवाल यह है कि 1983-84 में कितना रुपया दिया गया और 1984-85 में कितना रुपया हो गया ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

आपने जिस समय के सम्बन्ध में सूचना मांगी है, उसके सन्दर्भ में बैंक आफ इंडिया, महानगर में 23-10-84 को 1 करोड़ रु0 जमा किया गया, 10-12-84 को 4 करोड़, 18 लाख, 35 हजार रुपया जमा किया गया और 26-2-85 को 3 लाख, 65 हजार 100 रुपया जमा किया गया, 22-3-85 को 1 करोड़ रुपया जमा किया गया ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, खाता कब खोला गया ?

श्री इन्द्रजीत—

मान्यवर, मूल प्रश्न में सितम्बर, 84 से मार्च, 85 तक की अवधि में जमा किये गये रुपये के बारे में पूछा गया था, यदि माननीय सदस्य खाता खोलने के लिए पूछे होते, तो उसे भी बता दिया जाता ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर बता दें कि खाता कब खोला गया ?

श्री इन्द्रजीत—

माननीय सदस्य अगर खाता खोलने की तिथि के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दिया जायगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने रुपया जमा करने की बात पूंछी थी, वह उन्हें

बता दिया गया, रही खाता खोलने की बात, वह सूचना आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पहुंचा दी जायगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कई करोड़ रुपया बैंक आफ इंडिया, महानगर शाखा में जमा कर दिया गया, तो मेरा कहना यह है कि अगर यह मालूम हो जाय कि खाता कब खोला गया, तो मैं आगे प्रश्न पूछ सकता हूं । मान्यवर, जब यही नहीं मालूम है कि खाता कब खोला गया, तो आगे और क्या प्रश्न ही मैं पूछ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

खाता न खोला गया होता, तो पैसा जमा कैसे होता ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इतना करोड़ों रुपया जो जमा कर दिया गया, इसमें हमें आपत्ति है । मान्यवर, करोड़ों रुपया इकट्ठा जमा करने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके पास खाता खोलने की सूचना हो तो वह माननीय सदस्य को दे दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत—

मान्यवर, खाता खोलने की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । यह सूचना माननीय सदस्य को दे दी जायगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, ये आपके विभाग के एम0 डी0 जो हैं, ट्रान्सफर की सूची बनाने और सूची को बिगाड़ने में दक्ष हैं । क्या इससे यह परिलक्षित होता है कि वह ट्रान्सफर की सूची बनाने और बिगाड़ने में लोगों से पैसा लेकर यह काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आरोप है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या ये आपके विभाग के एम0 डी0 निरंकुश भी हैं ? क्या ये अखबारों में विज्ञापन निकालने का काम भी करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह भी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

तो मान्यवर, मैं तीसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं, जो यह मूल प्रश्न है, उससे सम्बन्धित प्रश्न माननीय सदस्य पूछें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि 1984 और 1985 में इन्होंने कितना रुपया वितरित किया और किन-किन लोगों को वितरित किया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है, उनका इस प्रश्न से जो इस समय हमारे सामने है उससे इसका सम्बन्ध नहीं है । मेरा अनुरोध है कि यह प्रश्न हमको भिजवा दें उसका विधिवत् उत्तर आपके माध्यम से भिजवाने का हम आश्वासन देते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो करोड़ों रुपये बैंक में जमा हुए, वह किस मद के रुपये थे, क्या यह फिक्स डिपाजिट के रुपये थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया इससे एक तो यह भाव सामने आता है कि केवल इसी में यह पैसा जमा किया गया तो यह बात नहीं है छः बैंकों में पैसा जमा किया गया है । स्टेट बैंक में 5 करोड़ 92 लाख, सेन्ट्रल बैंक में 3 करोड़ 42 लाख 800 रुपये, सिंडीकेट बैंक में 1 करोड़ रुपया, बैंक आफ इंडिया, महानगर में 6 करोड़ 22 लाख 1 सौ रुपया और इलाहाबाद बैंक में जमा किया गया है इस प्रकार छः बैंकों में जमा किया, तो लखनऊ का जहां तक सम्बन्ध है कि यह पैसा जमा किया गया तो यह पैसा जो ग्रान्ट आती है, जो गरीबों को वित्तीय सहायता दी जाती है वह होता है । लेकिन जहां तक अनुदान की प्रक्रिया का सवाल है 6 हजार रुपया अनुसूचित जाति को लोन दिया जाता है उसमें आधा पैसा ऋण का होता है । आधा पैसा अनुदान का होता है । 6 हजार से 20 हजार का जो पैसा दिया जाता है उसमें मार्जिन मनी का पैसा होता है उसमें कुछ केन्द्र सरकार से ग्रान्ट मिलती है कुछ राज्य सरकार से ग्रान्ट मिली है, तो यह पैसा तुरन्त निकाल दिया जाता है । यह पैसा आया और दूसरे दिन जमा हो गया, तो मान्यवर, मैं इस बात से खुश हूं कि विरोध पक्ष ने इस बात को उठाया, इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा हुआ । मान्यवर, बैंक आफ इण्डिया की जो सबसे बड़ी रकम है वह चार करोड़ रुपये की है । वह जब जमा की गई है, तो 24 घंटे के अन्दर निकाल दी गई है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी अब काफी लम्बा हो गया आपका उत्तर ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । इसको स्थगित कर दीजिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह प्रश्न बिल्कुल स्थगित नहीं होगा । मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े 11 बज गए हैं । टाइम काफी हो गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फर्रुखाबाद के सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा समितियों के सम्बन्ध में की गई शिकायत

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

*1—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, फर्रुखाबाद ने वर्ष 84-85 में जनपद में करीब पचास ऐसी समितियों का पता लगाया है जिनके प्रशासक सम्बन्धित समितियों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण ठेके पर व्यापार कराकर अवैध धन्धा कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री दीपक कुमार) —

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इनकार किया है और उत्तर दिया है—जी नहीं । मेरी निश्चित जानकारी है कि 50 साधन सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है और प्रशासक ने उनको 2 सौ 3 सौ

पर नीलाम कर रखा है कि इतना महीना देते जाओ और व्यापार करो । पहले स्थगित किया गया अब उत्तर आया--जी नहीं । मान्यवर, उन साधन सहकारी समितियों की कैश क्रेडिट लिमिट जिला सहकारी बैंक ने रिफ्यूज कर दिया है, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । यह कितनी समितियां हैं ?

श्री दीपक कुमार—

मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद में 5 समितियां हैं जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मान्यवर, साधन सहकारी समिति, ममैयापुर, साधन सहकारी समिति, मदनपुर, जिला उपभोक्ता सहकारी संघ, मार्केटिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी, फर्रुखाबाद, साधन सहकारी समिति, पिथनापुर की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इनकी कैश क्रेडिट लिमिट रिफ्यूज कर दी गई । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी जमा पूंजी कितनी है और व्यापार पूंजी कितनी है ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संख्या 50 बताई, इनकी जांच कराई गई, उस जनपद में 146 समितियां हैं । उसके अन्दर 5 ऐसी समितियां हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बगल की दूसरी समिति से सम्बद्ध कर दिया गया है । किसी दूसरे को नहीं दे दिया गया है । जिनकी वित्तीय स्थिति खराब थी व्यापार नहीं कर सकते थे उनको दूसरी समिति से सम्बद्ध कर दिया गया है । इसमें कोई घपले की बात नहीं है । संघों की बात प्रश्न में आपने नहीं किया था ।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

मंत्री जी ने बताया कि 5 समितियों की वित्तीय स्थिति खराब है । मैं जानना चाहता हूं कि उनको वित्तीय स्थिति खराब होने का क्या कारण है, उन कारणों की जांच करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

वित्तीय स्थिति खराब होने का यही कारण है कि वह अपना व्यवसाय ठीक से नहीं कर पाये । इसीलिये उनको सम्बद्ध किया गया है कि उनकी स्थिति ठीक हो जाय और वह स्वयं व्यापार कर सकें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय मंत्री जी ने जिन 5 समितियों के बारे में बताया कि उनकी वित्तीय स्थिति खराब है, उनके नाम क्या है ? दूसरे साधन सहकारी समिति, मदनपुर के सचिव को हटाया गया और प्रशासक को बदला गया । मेरा आरोप है कि वहां घपला हुआ है, सचिव हटाये गये हैं और प्रशासक को बदला गया है क्या इस परिप्रेक्ष्य में इस मामले की जांच करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

इनके नाम इस प्रकार हैं—पहला एफ0 एस0 एस0 वमना, विकास खण्ड नवाबगंज, दूसरा साधन सहकारी समिति, महत्पुरबीजल, विकास खण्ड कमालपुर, तीसरा साधन सहकारी समिति रुदायन, विकास खण्ड, कायमगंज, चौथा साधन सहकारी समिति मसैनी, विकास खण्ड, बढ़पुर, पांच एफ0 एस0 एस0 हरकमपुर, विकास खण्ड मोहम्दाबाद । यह पांचों समितियां हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् के छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारियों द्वारा धरना तथा आनपारा परियोजना के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

*2—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5-7-85 को राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय के द्वार पर धरना दे रहे विद्युत् विभाग से निष्कासित 116 श्रमिकों को शासन द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त सन्दर्भ में ही आनपारा परियोजना के श्रमिक 10 जुलाई, 85 से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर चले गये हैं तथा ओबरा, पनकी, पारीक्षा, हरदुआगंज, टाण्डा एवं अन्य जल विद्युत् परियोजनाओं के श्रमिकों ने भी हड़ताल की नोटिस दी है ? यदि हां, तो उपरोक्त श्रमिकों की मांगे क्या हैं और उनको मानने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । राज्य विद्युत परिषद् के छटनीशुदा मस्टर-रोल कर्मचारियों द्वारा परिषद् के मुख्यालय पर दिनांक 5-7-85 को धरना देने एवं नारेबाजी के फलस्वरूप परिषदीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने और अशान्ति की आशंका के कारण 116 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया ।

आनपारा परियोजना के श्रमिकों द्वारा दिनांक 10-7-85 से आन्दोलन किया गया था परन्तु वार्तोपरान्त दिनांक 12-7-85 को आन्दोलन समाप्त हो गया ।

जी नहीं ।

छंटनीशुदा मस्टररोल कर्मचारियों की मांग परिषदीय सेवा में उन्हें पुनः लिया जाना है तथा आनपारा परियोजना के श्रमिकों की मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :

(1) छंटनीशुदा मस्टररोल कर्मचारियों को सेवा में लिया जाय ।

(2) आनपारा के राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण इन्टरमीडिएट कक्षा तक किया जाय ।

(3) पेयजल व्यवस्था में सुधार ।

(4) कर्मचारियों का नियमितीकरण ।

(5) परियोजना चिकित्सालय में उपकरणों की व्यवस्था तथा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वायु प्रदूषण का निराकरण करने हेतु नये वृक्ष लगाना तथा आवागमन हेतु बस व्यवस्था आदि ।

आनपारा परियोजना से संबंधित मांगों के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक मुख्य तापीय परियोजना, आनपारा को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि मस्टररोल पर जो छंटनीशुदा कर्मचारी हैं, उनकी संख्या क्या है और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मस्टररोल पर कर्मचारियों की संख्या लगभग 323 है और इसमें तीन वर्ष के रेगुलर एप्वाइंटमेंट नहीं होते हैं । हटाया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर हटाया जाता है, लेकिन उसमें अधिकांश ऐसे भी कर्मचारी हैं दिनों की गिनती के अनुसार उनके तीन वर्ष हो गये हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, 1971 में परिषद् ने एक आदेश जारी किया था कि उन वर्कचार्ज को नियमित कर दिया जाय, जिन्होंने तीन सालों की सेवा पूरी कर ली हैं और इसी को आधार मान कर मस्टररोल कर्मचारियों को भी जिन्होंने तीन सालों की सेवा पूरी कर ली थी, हजारों की संख्या में गोरखपुर,

सुहावल, पर्वतीय क्षेत्र तथा हरदुआगंज के कर्मचारियों को नियमित किया गया था परन्तु व्यावहारिक गड़बड़ियों के कारण कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था, क्या यह सही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, तीन वर्ष का कार्यकाल (दिनों की गिनती के हिसाब से) जिन कर्मचारियों के पूरे हो गये हैं, उनकी नियुक्ति स्थायी रूप में की गई है और जिन कर्मचारियों का मामला रह गया है, उनके बारे में हम लोग गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, आशा है कि हम लोग शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे जो इनके हित का होगा ।

श्री मित्रसेन—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके वर्कचार्ज और मस्टररोल के लोगों को ही काम पर लगाया जाए, यदि हां, तो क्या इस सिलसिले में कोई समिति गठित की है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, परिषद् ने डायरेक्टर आफ टेकनालाजी के तत्वावधान में एक समिति का गठन किया है जो कि इस पर विचार कर रही है कि ठेकेदारी और वर्कचार्ज व मस्टररोल कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया जाए । लेकिन यह तो श्रीमन्, मस्टररोल कर्मचारियों की बात है और मस्टर-रोल कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए ही हम इस पर विचार कर रहे हैं । यह बहुत गम्भीर परिस्थिति है और 323 लोगों के भविष्य का सवाल है । हम लोग इस पर शीघ्र ही निर्णय लेंगे ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दिनांक 2-8-85 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद बुलन्दशहर की चार तहसीलों में बिना कार्यवाही के लम्बित रिकवरी सर्टीफिकेट

*2—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बुलन्दशहर की विभिन्न चार तहसीलों में 50,000 रुपये से अधिक के कितने रिकवरी सर्टीफिकेट (वसूली-पत्र) गत 6 वर्षों से बिना कार्यवाही के लम्बित पड़े हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा कब तक उक्त सभी वसूली-पत्रों पर कार्यवाही कर दी जायेगी ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

जनपद बुलन्दशहर की चार तहसीलों बुलन्दशहर, अनूपशहर, खुर्जा तथा सिकन्दराबाद में गत 6 वर्षों से 50,000 रुपये से अधिक का कोई रिकवरी सर्टीफिकेट बिना कार्यवाही के लम्बित नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर को सही मानते हुए मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आज की तारीख से और पूर्व तक पचास हजार रु0 से अधिक की रिकवरी बुलन्दशहर में आपके विभाग द्वारा नहीं की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कर रहे हैं या आश्वासन चाहते हैं ।

श्री किरनपाल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पचास हजार रु0 से अधिक

की रिकवरी बुलन्दशहर में आपका विभाग नहीं करेगा ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हम लोगों का काम ही है वसूली करने का ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि गत 6 वर्षों से 50,000 रुपये से अधिक का कोई रिकवरी सर्टीफिकेट बिना कार्यवाही के लम्बित नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों पर यह कार्यवाही हुई है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, पचास हजार रु0 से अधिक की धनराशि वसूली की जो है उसमें बिना कार्यवाही के कोई मामला लम्बित नहीं है । हम कार्यवाही कर रहे हैं । यह 43 वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध 12 लाख 88 हजार 599 रु0 की वसूली की गयी है, वसूली की जा चुकी है ।

श्री त्रिलोकचन्द्र—

मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्यवाही आपके यहां चल रही है, वह आदमी कौन-कौन हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है ? आप उनके नाम बता दीजिए ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जहां तक नाम का प्रश्न है, यह चारों तहसीलों का लम्बा विवरण है और यदि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो तो बताई जा सकती है । यह बहुत लम्बा विवरण है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम पूरा का पूरा बता दें ।

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद मथुरा में विद्युत् संकट दूर करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

*4—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा रिफाइनरी मथुरा सरप्लस विद्युत् का उत्पादन कर रही है और मथुरा जनपद में भारी विद्युत् संकट है ? यदि हां, तो शासन रिफाइनरी से मथुरा जनपद की विद्युत् आपूर्ति को व्यवस्थित करने हेतु रिफाइनरी अधिकारियों से बातचीत कर रहा है ? यदि हां, तो बातचीत की प्रगति क्या है तथा शासन कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था विद्युत् में सुधार हेतु करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं । मथुरा रिफाइनरी मथुरा आवश्यकता से अधिक विद्युत् उत्पादन नहीं कर रही है । अतः उक्त रिफाइनरी से विद्युत् उपलब्ध नहीं हो सकती । विद्युत् के सुधार हेतु विद्युत् उपलब्धता का बढ़ना आवश्यक है जिसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्त में कहा है कि वहां की विद्युत् व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि शासन कौन-कौन से कदम उठा रहा है, जिससे मथुरा की अस्त-व्यस्त विद्युत व्यवस्था भविष्य में ठीक हो जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मथुरा कैन्टूनमेंट क्षेत्र से वहां के जो सेना

के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी समस्या हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। वहां पर उनका एक विद्युत उपकेन्द्र है, उसे सुदृढ़ कर दिया गया है, जिससे मथुरा कैन्ट की विद्युत आपूर्ति ठीक हो गयी है। जहां तक अन्य क्षेत्र की आपूर्ति का सवाल है, गर्मी के दिनों में जब कठिनाई थी और विद्युत उत्पादन मांग के विपरीत इतना नहीं हो रहा था, तब निर्धारित कटौती लागू की गयी थी और उसी के अनुरूप कटौती समय-समय पर करनी पड़ रही थी, इसलिये विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं कर सके। लेकिन, मथुरा वृन्दावन के महत्त्व को देखते हुए, ऐसे अवसरों के लिए विशेष निर्देश हमारे विद्युत परिषद् द्वारा निर्गत कर दिये गये कि किसी प्रकार की कोई कटौती न लागू की जाय और वहां विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ रूप से लगातार होती रहे, ताकि वहां आने जाने वाले यात्रियों को कठिनाई न हो। वैसे माननीय सदस्य किसी विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी देंगे तो उसे सुदृढ़ कर दिया जायगा।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी के विभाग के विद्युत खम्भे और वायरिंग मथुरा जितने ही पुराने हैं और उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गयी हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी उन जीर्णशीर्ण खम्भों और वायरिंग को शीघ्रातिशीघ्र बदलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पूरा सर्वेक्षण करवा लिया जायगा और आवश्यकता होगी तो एक योजना तैयार कर ली जायगी, विद्युत लाइनों और तार के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

ग्राम भलसौना, तहसील सरधना, जिला मेरठ में हरिजन परिवारों की संख्या, चकबन्दी के दौरान आरक्षित भूमि

*5—श्री राजेन्द्र शर्मा—

(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भलसौना, तहसील सरधना, जनपद मेरठ में चकबन्दी के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों के आवास हेतु कुल 1231 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गयी है जबकि ग्राम में हरिजन परिवारों की संख्या 100 से अधिक है ? यदि हां, तो नियमानुसार भूमि आरक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हां, ग्राम भलसौना, तहसील सरधना, जिला मेरठ में हरिजन परिवारों की संख्या लगभग 100 है। किन्तु इनमें से 77 परिवारों के लिये परगनाधिकारी सरधना द्वारा चकबन्दी क्रियाओं के आरम्भ होने के पूर्व ही 7938 वर्ग मीटर भूमि आवास हेतु आवंटित की जा चुकी थी। शेष हरिजन परिवारों के आवास के लिये 1231 वर्ग मीटर भूमि सिद्धान्तों के विवरण पत्र में चकबन्दी समिति की राय से सुरक्षित कर दी गई है। हरिजन परिवारों के आवास हेतु नियमानुसार पर्याप्त भूमि आरक्षित की गई है।

श्री राम औतार, ग्राम बौरी खेड़ा, जिला उन्नाव द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में श्री बंशीधर राज विधायक का शिकायती पत्र

*6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री राम औतार पुत्र श्री रघुवर

ग्राम बौरी खेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा आबादी एवं पंचायत घर के लिए आरक्षित भूमि को अपने चक में मिला लिया है तथा उस पर व भूमि नं0 194 पर भी अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में श्री वंशीधरराज विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 14-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप स्वयं मेरा प्रश्न देख लें । उन्नाव जिले की सूचना मांगी है और 1-6-85 का सवाल है । वहां से आधा घंटे या करीब एक घंटे का रास्ता होगा । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कितना समय लगेगा, सूचना देने में ?

श्री अध्यक्ष—

राम आसरे वर्मा जी, मंत्री जी का कहना है कि जो जितना करीब होता है, उतना ही दूर होता है ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसमें यथाशीघ्र सूचना प्राप्त कर ली जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पता नहीं कब तक हाउस चलता है और कब तक नहीं । मेरा विश्वास है कि सूचना जब तक आएगी हाउस नहीं रहेगा । तो क्या आप स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि एक सप्ताह में सूचना मंगा कर दे दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

अभी पांच तारीख तक सदन चल रहा है । उससे पहले ही सूचना मंगा लें ।

*7—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 16-8-85 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ के अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच

*8—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र पत्रांक संख्या 63/ज0 पा0/85, दिनांक 26-4-1985 (गोपनीय) आल इण्डिया क्राईम प्रीवेन्शन सोसाइटी द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के आजीवन अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्द वर्मा द्वारा भ्रष्टाचार एवं स्वेच्छाचारिता करके विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों को परेशान करने तथा शासन द्वारा दिये गये अनुदान को अपने निजी प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं श्री वर्मा जी (उपरोक्त) के कुछ हस्तलिखित पत्रों की फोटो स्टेट कापी सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित पत्र में शिकायतें क्या थीं और उन पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री इन्द्रजीत—

जी हां ।

उक्त पत्र में प्रश्नकर्त्ता ने श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, अध्यक्ष प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध सरकारी अनुदान का दुरुपयोग करने स्कूल के स्टाफ को धमकी देने व

स्कूल से निकाल देने आदि के आरोप लगाये हैं ।

इस संस्था के बारे में अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं । अतः शासन ने 9 अगस्त, 1985 के आदेश द्वारा उक्त संस्था का प्रबन्ध एक प्राधिकृत नियंत्रक को एक वर्ष के लिए सौंप दिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, सरकार ने प्राग्दर्शन में मान लिया कि इसमें गम्भीर अनियमितताएं थीं । मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी अनियमितताएं हैं, जो गम्भीर रूप की हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सबसे बड़ी गंभीर अनियमितता यह है कि जो प्रशासनिक योजना है, उसका एप्रूवल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से नहीं लिया गया। दूसरे जो तदर्थ अध्यापक रखे जाते हैं, उसमें जो नियम हैं, उनकी नियुक्ति का, उनके चयन का, उसके सम्बन्ध में जो शिक्षा विभाग के नियम हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया है । अध्यापिकाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है, इसमें वंचित रखा गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीया मंत्री जी ने 3 अनियमितताओं का उल्लेख किया । क्या वित्तीय अनियमितताएं भी हैं, जो लाखों रुपये में आती हैं । मान्यवर, यह विद्यालय पूरी तरह से राज्य पोषित है, अनुदान के आधार पर चल रहा है क्या इस विद्यालय को सरकार अधिगृहीत करने की आज सदन में घोषणा करेगी इन वित्तीय और अन्य अनियमितताओं को देखते हुए ? दूसरे जो प्राधिकृत नियंत्रक रखा है वह एक ही वर्ष के लिये रखा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, वित्तीय अनियमितताओं का सम्परीक्षण सम्प्रेक्षक श्री सोनकर ने 1983-84 के संबंध में किया था । उसके संबंध में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पायी गयी थीं । जिनका स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया था, जो स्पष्टीकरण द्वारा पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न कर सके । तभी शिक्षा निदेशक ने नियंत्रक एपाइंट करने के संबंध में अपनी सिफारिश की । 9 अगस्त, 1985 को मान्यवर, नियंत्रक नियुक्त कर दिए गये । दूसरा प्वाइंट कि अगर अनियमितताएं हैं, तो भविष्य में, क्या कार्यवाही करेंगे । मैं बताना चाहूंगी कि इसका परीक्षण करा रहे हैं, नियमान्तर्गत जो भी कार्यवाही होगी, अवश्य की जायेगी । फिर भी अगर यह चीज दूर नहीं होती है और शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत आदेशों का अनुपालन नहीं होता है, तो जो नियंत्रक एपाइन्ट किया है, इसकी अवधि बढ़ाने के संबंध में शिक्षा विभाग अवश्य उचित कार्यवाही करेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

जो अनियमितताएं हुई हैं, उसमें कुल कितने रुपये की अनियमितता प्रकाश में आयी है । उन दोषी लोगों के विरुद्ध क्या मुकदमा लिखवाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसमें जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके संबंध में अवश्य कार्यवाही होगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

कितने रुपये की अनियमितता आज तक प्रकाश में आ चुकी है । इसका उत्तर नहीं मिला और क्या दोषी

लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो सम्प्रेक्षण हुआ है, उस सम्बन्ध में उनसे आख्या मांगी गयी है और रिकार्ड्स मांगे गये हैं । चूंकि रिकार्ड्स हमारे सामने आये नहीं, तभी हमने इस पर जांच शुरू कर दी और नियंत्रक को एप्वाइन्ट किया । सारे रिकार्ड्स के सामने आ जाने के बाद जो भी गम्भीर अनियमितता होगी और जिसके प्रति होगी, उसके विरुद्ध तभी तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वह समर्थक हैं, इसीलिए माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देना नहीं चाहती हैं ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है । प्राधिकृत नियंत्रक को भी बैठा दिया गया । मान्यवर, कुछ ऐसे अध्यापक और अध्यापिकायें भी हैं, जिन्हें प्रबन्धाधिकरण ने सेवा से निकाल दिया है और उन्होंने प्रत्यावेदन भी दिये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि जिन लोगों ने प्रत्यावेदन दिये हैं, उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जिन अध्यापकों और कर्मचारियों के प्रत्यावेदन आये हैं, उनका हम परीक्षण करायेंगे । नियमानुसार और शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार और कानून के अनुसार जो भी उनके साथ न्याय हो सकेगा, वह हम अवश्य करेंगे । इसमें कोई कहने की बात नहीं है ।

सीतापुर जिले में प्रमुख औद्योगिक कस्बा लहरपुर में विद्युत सुधार हेतु योजनायें

*9 श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर जिले में प्रमुख औद्योगिक कस्बे लहरपुर में निर्धारित कोटे में विद्युत न मिलने के कारण लघु उद्योग विशेषकर दरी का कार्य बन्द हो गया है जिससे हजारों लोग बेकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो लहरपुर में विद्युत सुधार के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

लहरपुर नगर जनपद सीतापुर, विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार प्रथम श्रेणी का नगर है । विद्युत उपलब्धता में कमी एवं मांग की अधिकता के कारण प्रदेश के प्रथम श्रेणी के नगरों में माह मई एवं जून, 85 में तीन से पांच घंटे प्रतिदिन निर्धारित विद्युत कटौती प्रभावी थी ।

इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत इकाइयों में अचानक आने वाली उत्पादन की कमी के कारण भी कभी-कभी आपातकालीन विद्युत कटौती भी हुई । इन कटौतियों के फलस्वरूप नगर लहरपुर, जनपद सीतापुर का माह मई एवं जून, 85 में क्रमशः 16 घंटे तथा $18\frac{1}{2}$ घंटे प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति की गई ।

प्रदेश के सभी नगरों की निर्धारित कटौती माह जुलाई, 85 के अन्तिम सप्ताह से समाप्त कर दी गयी है तथा विद्युत उपलब्धता तथा विद्युत मांग का अन्तर काफी कम हो जाने के फलस्वरूप सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लहरपुर कस्बे में इस समय जो बिजली दी जा रही है वह सिंगल फेस की है, जिसकी वजह से मोमबत्ती का उजाला ज्यादा होता है और इनकी विद्युत का कम, इसका कारण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, सिंगल फेस की बात तो माननीय सदस्य ने सही नहीं कही है, शायद वह दो फेस की बात कर रहे होंगे । 3 फेस शायद पावर लूमों को चलाने वाली बात होगी । माननीय सदस्य ने जो बात कही है इसे मैं दिखवा लूंगा अगर 3 फेस सप्लाई विद्युत किये जाने की आवश्यकता होगी बुनकरों के लिए, तो इसे अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, लहरपुर कस्बा कुटीर उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र है, जहां पर बुनकर कपड़ा और दरियां बनाते हैं । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निहित भावना को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का निदेश देंगे कि भविष्य में वहां पर बिजली की कटौती न की जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस बात को जरूर सुनिश्चित कराया जायगा कि अधिक से अधिक विद्युत की आपूर्ति की जाय और जहां तक इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केटागिरी वन की स्थिति तो है और अगर आवश्यकता समझी जायगी तो और बढ़ा देंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

कितने घण्टे देंगे इसका जवाब तो दे दें, अधिक से अधिक तो दो घण्टे भी हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जितनी बिजली आयेगी उतनी मिल जायगी ।

ग्राम चौकनियां, तहसील डुमरियागंज में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता एवं लेखपाल द्वारा फर्जी समझौते के आधार पर भूमि का बंटवारा, दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*10—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ, श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उप संचालक, चकबंदी, डुमरियागंज, जनपद बस्ती तथा बन्दोबस्त अधिकारी से मिल कर ग्राम चौकनियां, त0 डुमरियागंज में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता एवं लेखपाल द्वारा फर्जी समझौते के आधार पर लगभग 58-60 बीघा जमीन दूसरों के नाम कर देने की शिकायत की है और जांच के दौरान उपरोक्त मामला सही पाया गया ? यदि हां, तो इतनी बड़ी अनियमितता के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गौरीशंकर—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा की गयी मौखिक शिकायत की जांच में यह पाया गया कि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम चौकनियां में गाटा संख्या 150/40-4-7, जिसके 109 सह खातेदार हैं, 26

सह खातेदारों के मध्य समझौते के आधार पर भूमि का बंटवारा कर दिया गया तथा सभी सह खातेदारों की लिखित सहमति नहीं ली गयी ।

जांच में यह भी पाया गया कि सह खातेदारों के अलावा किसी अन्य के नाम भूमि अंकित नहीं की गई है तथा बंटवारा अंकित खातेदारों के पक्ष में ही किया गया है ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में अपील विचाराधीन है।

इस प्रकरण में अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का मामला विचाराधीन है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाही विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं, वह उस तहसील में पिछले दो सालों में कितनी बार मुअत्तल हो चुके हैं और कितनी बार अनियमितताएं की हैं और डी0डी0सी0 ने उनको सस्पेंड करने के लिए अपनी संस्तुति भेजी है, तो निलम्बित करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गौरीशंकर—

यह तो स्वयं स्वीकारा है कि जितनी अनियमितताएं हुई हैं इसके लिए जो ए0 सी0 ओ0 का सन्दर्भ दिया है उनका मामला विचाराधीन है और यह पूछा है कि कितनी बार निलम्बित हुए, तो इसकी जानकारी अभी नहीं है, आप जो कहते हैं, सही मान लिया जायगा और इस तरह का अगर कोई प्रश्न आया है, तो आगे उसे भी दिखवा लिया जायगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

40 बीघा जमीन जो पैसे वाले खातेदार थे दो लोग, उनके नाम दर्ज कर दी बिना किसी समझौते के उनसे भारी रिश्वत लेकर । यह दो बार सस्पेंड हो चुका है, एक बार माता प्रसाद जी के क्षेत्र में और एक बार मेरे क्षेत्र में, तो उनको वहां से तत्काल हटा कर निलम्बित करके कार्यवाही करायेंगे ?

श्री गौरीशंकर—

माननीय सदस्य को विशेष रूप से, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके साथ मौखिक शिकायत पर इतना कर दिया है, गम्भीरता से यहां मत व्यक्त किया है, इसीलिए निवेदन किया है गम्भीरता से विचार किया जा रहा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

शासन को अधिकार है और जब स्पष्ट हो गया, प्राइमाफेसी बन गया कि अनियमितताएं हैं, तो बन्दोबस्त अधिकारी न्यायालय, डी0 डी0 सी0, हाईकोर्ट तक चले, तो पूरी चकबन्दी पुनः नये सिरे से करा देने में क्या आपत्ति है ? क्या उसकी नये सिरे से चकबन्दी कराने पर विचार करेंगे ?

श्री गौरीशंकर—

नये सिरे से चकबन्दी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं आया । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसके सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया था और उस तक यह सीमित है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के समय क्या-क्या अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं

और कौन-कौन कर्मचारी उसके दोषी पाये गये हैं ? क्या उनको तत्काल निलम्बित करने की सदन में घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

चकबन्दी अधिकारी ने प्रश्नगत जांच करके अपनी रिपोर्ट बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को दिनांक 18-5-85 को प्रस्तुत की । जांच के दौरान ही भूमि का हस्तांतरण एवं अन्य अनियमितताएं पायी गयीं । चूंकि प्रश्नगत प्रश्न समझौते से सम्बन्धित है, इसलिए उसके सम्बन्ध में ही ए0सी0ओ0 के सम्बन्ध में बात आयी है, उस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

(श्री सुखपाल पाण्डे, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा खड़े हो कर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने पर घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इसको स्पष्ट तो करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

राज्य विद्युत परिषद् में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने पर विचार

*11—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने तथा मशीनों की देखरेख तथा मरम्मत आदि के कार्यों को विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराये जाने की मांग उद्योग में लगे श्रमिक संगठनों ने की है ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त किये जाने की समस्या के अध्ययन हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा एक समिति गठित की गई है । समिति की आख्या एवं संस्तुतियां अभी प्रतीक्षित हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी का गठन कब हुआ था और इसकी संस्तुतियां कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में जब विद्युत् परिषद को शासन ने लिखा तो उसने समिति का गठन किया और उसके डायरेक्टर टेक्निकल, अध्यक्ष हैं । उनके तहत इसमें अध्ययन किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट विद्युत् परिषद् द्वारा शासन को अभी नहीं प्रेषित की गयी है । विद्युत् परिषद् अध्ययन कर रहा है, जो भी निर्णय होगा, उससे शीघ्र ही शासन को अवगत करायेंगे और फिर शासन निर्णय लेगा ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की क्या संस्तुतियां थीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन् शासन के स्तर पर अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, शासन ने उसे मंगवायी है, जैसे ही वह

शासन के पास आ जायेगी तब उससे आपको अवगत करा दूंगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कन्ट्रैक्ट लेबर अबाली-शन ऐक्ट, 1976 में पास हुआ तो उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात यह है कि कन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है इसके मुकाबिले में मस्टररोल लेबर के खर्चे में अन्तर है । इसके खर्चे में करीब तिगुने का अन्तर आता है, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि समिति गठित की गयी थी और उसका प्रतिवेदन बोर्ड को प्राप्त हो गया है । तो बोर्ड को वह प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ है । 1976 में उत्तर प्रदेश शासन ने तय किया था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जायेगा तो उसे अब तक विद्युत बोर्ड द्वारा पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह रिपोर्ट अभी 4-5 दिन पहले बोर्ड को प्राप्त हुई है, उस पर अध्ययन जारी है । अध्ययन के बाद वह शासन को भेजी जायगी । जहां तक ठेकेदारी प्रथा का प्रश्न है, विद्युत परिषद में ही 1976 के अधिनियम के पश्चात् शासन ने इस बात का प्रयास किया है कि हर जगह ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय कन्ट्रैक्ट लेबर अबालीशन ऐक्ट के तहत । इस संबंध में एक बोर्ड भी बनाया गया है जिसमें एक मजदूर नेता उसके अध्यक्ष हैं और यह श्रम मंत्रालय के तहत आता है । यह समिति जगह-जगह जाकर अध्ययन कर रही है । श्रम विभाग को वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उस पर आगे निर्णय उत्तर प्रदेश शासन लेगा ।

श्री रामचन्द्र वक्श सिंह—

राज्य विद्युत परिषद् ने 1975 में एक आदेश पारित किया था कि ठेके-दारी प्रथा को समाप्त किया जाय फिर उसके बाद उसे लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

निजी क्षेत्र में विद्युत गृह बनाने के निर्णय पर विचार

*12—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का कार्य सौंपने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां । विद्युत मांग की तुलना में उत्पादन में कमी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1985 से अब तक इस सप्ताह में क्या इस विषय में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्राचार किया गया था ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन् मेरे स्तर पर ऐसे पत्राचार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा चूंकि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने आपको इजाजत नहीं दी थी । क्या आपके स्तर पर उनसे बातचीत की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें उन्होंने क्या कारण बताये जिसकी वजह से यह बात खत्म कर दी गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को देखा कि विद्युत् की मांग को देखते हुए आवश्यकता है कि हम विद्युत् का उत्पादन बढ़ायें । तभी उन्होंने इसे निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत् गृह बनाने के निर्णय पर विचार किया और जब एक बार हिन्डालको ने इस प्रदेश के शासन को मांग प्रस्तुत की तो उत्तर प्रदेश शासन ने उस पर अपनी रिकमेन्डेशन लिख कर केन्द्र सरकार को भेजा, लेकिन केन्द्र विद्युत् प्राधिकरण जो है, उसने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि केन्द्र सरकार की यह नीति है कि निजी क्षेत्र में विद्युत् के उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 16-8-85 को प्रश्नों की नत्थी 'ग' प्रश्न संख्या 10, जो श्री रमाशंकर कौशिक और श्री गौरी शंकर भइया ने किया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस पर केन्द्र सरकार ने अनुमति नहीं दी, इसलिए सम्भव नहीं है और आज यह उत्तर नहीं है । उत्तर है जी हां । मैंने प्रश्न पूछा कि क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन का कार्य सौंपने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख क्या कारण हैं ? और इस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जी हां । इससे स्पष्ट हुआ कि इधर मैंने पूछा कि 15 अगस्त से लेकर, केन्द्र सरकार से कोई वार्ता हुई या नहीं ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस दिन विचाराधीन नहीं था, नीति नहीं थी और आज यह नीति बन गयी तो क्या इन पिछले 8 दिनों में प्रदेश सरकार ने कोई दूसरा निर्णय लिया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब विचारार्थ था उस समय कहा जी हां । अगर हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं होता तो हम कहते जी नहीं । लेकिन जिसको केन्द्र विद्युत् प्राधिकरण ने अस्वीकार किया इसकी जानकारी मैंने दी थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी कहा कि यह सरकार समाजवादी दिशा में जाने को कटिबद्ध है । शासन की घोषित नीति रही है कि बुनियादी उद्योग की तरफ जायं । क्या अब यह मान लिया जाय कि सरकार पूंजीवाद की ओर वापस जा रही है और निजी क्षेत्र को उसको दे रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, मैंने यह स्पष्ट कहा कि केन्द्र सरकार की नीति नहीं है इसलिए यह अस्वीकार किया । श्रीमन्, केन्द्र सरकार को गया प्रस्ताव इस सम्बन्ध में मान नहीं रही है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और जैसा कि इन्होंने स्वीकार भी किया है, विद्युत् की कमी को देखते हुए यह विचार किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में विद्युत् का उत्पादन दिया जाय तो माइक्रो हाइडिल कारपोरेशन से विद्युत् उत्पादन की सम्भावना को देखते हुए इस पर तेजी से काम लागू किया जाय और पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर, माइक्रो हाइडिल यूनिट जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जो विद्युत् का उत्पादन माइक्रो हाइडिल से किया जाता है इसको देखते हुए यह स्थापना किया है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक ऐसे स्थान का चयन कर लिया जाय इस सम्बन्ध में तेजी से कार्य चल रहा है। लगभग हम लोग 20-25 ऐसी परियोजनाएं हैं जहां पर हम शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

काशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग के ऊपर लगे चांदी के नाग का बदला जाना

*13—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग के ऊपर साढ़े तीन किलो चांदी का लगने वाला नाग जिसे बंगलौर निवासी श्री एम0 आर0 लक्ष्मण नरायन राव ने 28-5-77 को दान दिया था अब मन्दिर के वर्तमान मुख्य कार्यपालक ने बदल कर दूसरा नाग लगा दिया है ? यदि हां, तो नाग बदलने का कारण क्या था और उसका वजन क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के अधिग्रहण के समय ऐसा कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दिनांक 28-5-77 को बंगलौर निवासी श्री एम0 आर0 लक्ष्मण नरायन राव ने शिवलिंग पर लगाने का साढ़े तीन किलो वजन चांदी का नाग दान में दिया था।

शिवलिंग पर रोज लगने वाला नाग यथावत् है। इसके बदलने का प्रश्न नहीं उठता। इस नाग का वजन मय काठ व लाख सहित 13 किलोग्राम से अधिक है।

अलीगढ़ जनपद में राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध सिविल न्यायालय में डिक्री

*14—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक करोड़ 61 लाख से अधिक धनराशि की डिक्री परिषद् के अधिकारियों की लापरवाही के कारण माह अप्रैल, 1985 में हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विरुद्ध सिविल न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा एक करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि की डिक्री माह अप्रैल, 1985 में की गयी थी। यह डिक्री एकपक्षीय एवार्ड के आधार पर की गयी थी। इसके विरुद्ध उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उच्च न्यायालय में अपील किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । प्रकरण में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही न बरते जाने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

राजकीय संरक्षण गृह, लखनऊ में पलायित संवासिनियां

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री विजय सिंह राणा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ शहर स्थित महिला सुधार गृह से 40 संवासिनियां दिनांक 5 जून, 1984 को भाग गयीं ? क्या यह सच है कि उन लोगों ने चन्द दिन पूर्व जिलाधिकारी, लखनऊ को एक पत्र भी लिखा था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ में महिला सुधार गृह नाम की कोई संस्था नहीं है । सम्भवतः अभिप्राय राजकीय संरक्षण गृह (म0) लखनऊ से है जहां से 5 जून, 1985 को 39 संवासिनियां पलायित हुई थीं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अग्निकांडों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने की शर्तें व दरें

*16—श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्नि से पीड़ित परिवारों को 250 रु0 तक अनुदान दिया जाता है ? क्या यह भी सही है कि 1.6 एकड़ सिंचित भूमि तथा 2.6 एकड़ असिंचित भूमि जिनके पास होगी, उनसे अधिक जमीन वालों को उक्त अनुदान से वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अग्निकांडों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए निम्नलिखित शर्तें व दरें निर्धारित हैं :

पात्रता की शर्तें	सहायता की दरें
1—भूमिहीन श्रमिक	1—अहेतुक सहायता 250 रुपए तक।
2—सीमान्त कृषक (1.6 एकड़ तक सिंचित अथवा 2.5 एकड़ तक असिंचित भूमि के खातेदार)	2—आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए गृह निर्माण अनुदान 200 रुपया ।
3—गैर खेतिहर व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 2400 रुपया से कम हो	3—पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए गृह निर्माण अनुदान 400 रुपये ।
	4—अग्निकांड से हुई मृत्यु के कारण मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता 1000 रुपया

उक्त के अलावा (1) ऐसे सभी व्यक्ति जिनका मकान दैवी आपदा के फलस्वरूप पूर्णरूप से नष्ट हो जाय उन्हें भी गृह निर्माण अनुदान देय होगा ।

(2) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति दैवी आपदा के फलस्वरूप इतनी शोचनीय हो जाय कि सहायता के अभाव में वह भुखमरी की स्थिति में आ जाय, तो उनको भी अहेतुक सहायता दी जा सकती है ।

(3) दैवी आपदा राहत कार्यों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक सहायता पहुंचाने तथा भुखमरी का शिकार न होने देना है, क्षतिपूर्ति करना नहीं है ।

उ0 प्र0 सहकारी बैंक के गोआ गये स्टडी टूर में चपरासी, श्री गिरवर प्रसाद त्रिपाठी की मृत्यु, आश्रितों को सहायता

*17—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि मई, 1985 में उ0 प्र0 सहकारी बैंक के गोआ गये स्टडी टूर में चपरासी (श्री गिरवर प्रसाद त्रिपाठी) की कहीं रास्ते में दुर्घटना में मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या साथ गये व्यक्तियों में से किसी ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लखनऊ मुख्यालय को इस सम्बन्ध में कोई सूचना भेजी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या शासन ने प्रतिनिधि मण्डल से कोई जानकारी मांगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन ने श्री त्रिपाठी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को सहायता दी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि स्टडी टूर के सदस्यों को श्री त्रिपाठी की मृत्यु की जानकारी नहीं थी ।

जी नहीं । स्वर्गीय श्री त्रिपाठी के मामा श्री आई0 डी0 त्रिपाठी से यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को सूचना प्राप्त हो चुकी थी ।

स्वर्गीय श्री त्रिपाठी यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारी थे अत: बैंक द्वारा दिनांक 13-5-1985 को रु0 500.00 चिकित्सा हेतु स्वीकृत किये गये तथा दिनांक 20-5-1985 को रु0 5000.00 की धनराशि सहायतार्थ उनकी विधवा को स्वीकृत कर भिजवा दी गई । स्वर्गीय श्री त्रिपाठी की विधवा को 22-7-1985 के आदेश द्वारा बैंक चाकरी में तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया गया ।

सहकारी शीतगृह राजा बाजार जनपद बस्ती में कृषकों का आलू सड़ जाने से मुआवजे के भुगतान की मांग

*18—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1983-84 में सहकारी शीतगृह राजा बाजार जनपद बस्ती में किसानों का 15 लाख रुपये का आलू सड़ गया था ? यदि हां, तो उसका मुआवजा किसानों को अब तक न मिलने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

रु0 7,44,012 का आलू सड़ा था ।

दी ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, से क्लेम प्राप्त न होने के कारण कृषकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका ।

पिहानी, जनपद हरदोई में तहसील स्थापित करने का कथित निर्णय

*19—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1979-80 में पिहानी, जनपद हरदोई में जनता सरकार द्वारा तहसील स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो पिहानी में शीघ्र तहसील खोलने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा जनपद हरदोई में पिहानी में तहसील स्थापित करने की संस्तुति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

*20—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—
(दिनांक 26-7-85 को अल्पसूचित तारांकित प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित)

अतारांकित प्रश्न

ग्राम गौरहार, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के निवासियों का खलिहान जलने से आर्थिक सहायता की मांग

1—श्री राम चन्द्र तख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौरहार मजरे बहरौली परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के निवासियों का खलिहान विगत माह अप्रैल में जलकर राख हो गया था जिसकी सूचना तहसीलदार फतेहपुर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त गांव के निवासियों को आज तक कोई भी आर्थिक सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी हां।

प्रभावित व्यक्तियों में से किसी का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था अतः गृह अनुदान अनुमन्य नहीं था। इसके अलावा प्रभावितों की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं थी अतः अहेतुक सहायता नहीं दी गई।

यातायात पर्यटन सहकारी संघ लि0, मुनी की रेती, टेहरी गढ़वाल में नियुक्ति और स्थानान्तरण में अनियमितताओं की शिकायत

2—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जून 1985 के अन्तिम सप्ताह में उन्हें इस आशय की शिकायत मिली है कि यातायात पर्यटन सहकारी संघ लि0, मुनी की रेती टेहरी गढ़वाल, को सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण में अनियमिततायें की गयी हैं? यदि हां, तो शिकायत के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां।

शिकायत की जांच की जा रही है।

3—श्री मैनेजर सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

थानाध्यक्ष कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा अवैधानिक तरीके से विद्युत उपभोग किये जाने की जांच

4—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष कुमार गंज, फैजाबाद गत फरवरी 1985 से अवैध रूप से बगैर किसी मीटर रीडिंग के जबरिया विद्युत उपभोग कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र भी मा0 मंत्री को अप्रैल, मई 1985 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। थानाध्यक्ष कुमारगंज, फैजाबाद अवैधानिक तरीके से बिना मीटर के विद्युत का उपभोग कर रहे थे। इस अवैधानिक कनेक्शन को 5-8-85 को विच्छेदित कर दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 10 मई, 1985 को प्राप्त हुआ है जिस पर जांच की जा रही है।

जिला मथुरा के माट क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

5—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माट क्षेत्र, जिला मथुरा में कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है और उनमें कितने हरिजन बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा किन-किन गांवों में नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जिला मथुरा के माट क्षेत्र के कुल 76 गांवों में से 22 गांवों का एल0 टी0 मेंस द्वारा तथा 43 गांवों का सी0 ई0 ए0 की परिभाषा द्वारा दिनांक 31-3-85 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है । एल0 टी0 मेंस द्वारा विद्युतीकृत 22 गांवों की 17 हरिजन वस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

(1) जोरा (2) बिजोली बांगर

(3) बेगमपुर बांगर (4) पैगांव बांगर

(5) सूरज (6) चौहरी गांवों की हरिजन बस्तियों में अभी विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

जनपद कानपुर देहात ग्राम बावन झाला मुजफ्फरनगर में भूमिहीनों को दिये गये भूमि के पट्टे

6—श्री रामचन्द्र वख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात, तहसील बिल्हौर, ग्राम बावन झाला, मुजफ्फरनगर में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा 2 वर्ष पूर्व भूमिहीन लोगों को खेती के लिये भूमि के पट्टे दिये गये थे ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों को भूमि आवंटन किया गया था ? क्या पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया है और कागजात में उनके नाम दाखिल खारिज हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1983 के प्रश्नगत ग्राम में कुल 65 व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था जिसको स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु अनियमित आवंटन की शिकायत पर पट्टों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आदेश दिए गये तथा वर्तमान समय में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, कानपुर के न्यायालय में इनसे सम्बन्धित वाद विचाराधीन है ।

7—श्री शेर बहादुर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में भूमिहीनों को पट्टा देने हेतु कथित प्रस्ताव

8—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में कितने प्रस्ताव विभिन्न ग्रामों द्वारा भूमिहीनों को पट्टे देने के लिए प्रस्तावित तहसील व परगना अधिकारी के यहां आदेशों के लिये वर्ष 1984 व 1985 से पड़े हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में किसी ग्राम का भूमिहीनों को पट्टा देने के लिये कोई प्रस्तावित पत्रावली तहसील व परगना अधिकारी के यहां आदेश के लिये वर्ष 1984 व 1985 से नहीं पड़ी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में भूमिहीनों द्वारा पट्टों पर कब्जा दिलाने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र

9—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में भूमिहीनों द्वारा वर्ष 83/84 तथा 84/85 में कितने प्रार्थना-पत्र किन-किन ग्रामों के तहसीलदार व परगनाधिकारी को प्राप्त पट्टों पर कब्जा दिलाने के लिये दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितनों पर कब्जा दिलाया जा चुका है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि परगनाधिकारी अकबरपुर ने कितने मसलों में स्वयं मौके पर जाकर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया में नियमानुसार कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील अकबरपुर, फैजाबाद में वर्ष 1983-84 में 9 तथा वर्ष 1984-85 में 33 प्रार्थना-पत्र तहसीलदार व परगनाधिकारी को कब्जा दिलाने के बारे में प्राप्त हुये थे, जो 25 ग्रामों के थे जिनमें से 22 ग्रामों के 38 मामलों में कब्जा दिलाया जा चुका है । ग्रामवार विवरण *संलग्न है ।

परगनाधिकारी, अकबरपुर ने किसी भी मामले में स्वयं मौके पर जाकर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि यह विधि की दृष्टि में आवश्यक नहीं है ।

ग्राम कमालुद्दीनपुर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में विद्युतीकरण का कार्य

10—श्री संतोष चतुर्वेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कमालुद्दीनपुर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । सितम्बर, 1984 में ग्राम कमालुद्दीनपुर, ब्लाक राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद के विद्युतीकरण का आंकलन, राज्य सामान्य योजना के अंतर्गत रु0 71327 का स्वीकृत हुआ था परन्तु पिछले वित्तीय वर्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा कई बार सम्पर्क करने पर भी ग्रामवासियों से विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हो सके । अस्तु उक्त ग्राम का विद्युतीकरण उक्त योजना के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो सका ।

ग्राम कुम्हरौर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में चकबन्दी कार्य

11—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कुम्हरौर तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में चकबन्दी कार्य का प्रारम्भिक चरण शुरू हो गया है और पर्चे एम0 पी0 आर0 में दर्ज कर ग्राम में बांट दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुम्हरौर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में चकबंदी का प्रारम्भिक चरण प्रारम्भ हो गया है और ग्राम में धारा-9 का प्रकाशन दिनांक 30-6-85 को हो चुका है । जोत चकबन्दी आकार पत्र-5, 5-ख कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं और तदनुसार ही एम0 पी0 आर0 में माह जून, 1985 में धारा-9 के प्रकाशन की प्रगति दिखाई गई है ।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 127 पर)

12—श्री हर्ष वर्धन—

[6ठें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में विवेकानन्द बाल सदन जलेसर रोड व श्रम जीवी महिला छात्रावास में छात्र और महिलायें

13—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में विवेकानन्द बाल सदन जलेसर रोड व श्रम जीवी महिला छात्रावास में कितने छात्र और महिलायें हैं ? क्या यह सही है कि उक्त संस्था में एक भी छात्र नहीं है ? यदि हां, तो संस्था के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिलाधिकारी आगरा से आख्या प्राप्त की जा रही है ।

बलिया जिले में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का बकाया वेतन

14—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जिले में चल रहे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का वेतन कितने दिनों से बकाया चल रहा है तथा उससे कितने शिक्षक प्रभावित हैं ? क्या सरकार शिक्षकों को बकाये वेतन का भुगतान कराने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बलिया जनपद में आवर्तक अनुदान पर संचालित 8 हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के 39 शिक्षकों को माह फरवरी 1985 से वेतन नहीं मिला है । मण्डलीय उप निदेशक वाराणसी द्वारा रु0 50,000 की धनराशि जुलाई, 1985 में अवमुक्त की गयी है । इस धनराशि से अध्यापकों को माह फरवरी, 1985 का वेतन भुगतान कर दिया गया है । शासन द्वारा पूरे वर्ष का बजट अवमुक्त किये जाने पर अवशेष महीनों का भुगतान हो सकेगा ।

15—श्री शारदानन्द अंचल—

[दिनांक 26-7-85 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में कन्डेरा जाति की श्रेणी

16—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कन्डेरे नामक नाम से जानी जाने वाली जाति पिछड़ी या अनुसूचित जन जाति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

क्योंकि कन्डेरा जाति प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों की श्रेणी में नहीं आती है ।

17—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 79 के अंतर्गत स्थानांतरित]

किसान सेवा सहकारी समिति मानिकगंज, विकास क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद बस्ती द्वारा उठाई गई चीनी व उसका वितरण

18—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति मानिकगंज विकास क्षेत्र डुमरियागंज जनपद बस्ती में पिछले मार्च, 1985 से जून 85 तक कितनी बार चीनी उठायी गयी और इसका वितरण किन-किन गांवों में कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस माह में किया गया ? क्या यह सही है कि वितरण रजिस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे लगाकर वितरण दिखाया गया

है और चीनी चोर बाजार में ब्लैक कर ली गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या किसी उच्च अधिकारी को भेजकर पूरे गांवों में फिजिकल वेरीफिकेशन कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

किसान सेवा सहकारी समिति मानिकगंज जनपद बस्ती द्वारा मार्च 85 से जून 85 तक पांच बार चीनी उठायी गयी । चीनी के वितरण के सम्बन्ध में *सूचना संलग्न है ।

समिति क्षेत्र के ग्रामों में 110 चीनी प्राप्तकर्ताओं के सत्यापन करने पर कोई फर्जी वितरण का मामला सामने नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त प्रकार से फिजिकल वेरीफिकेशन कराया जा चुका है ।

ग्राम दारापुर, ब्लाक राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में बालक सुरेन्द्र कुमार के विद्युत करेंट लगने से क्षतिपूर्ति दिए जाने संबंधी कार्यवाही

19—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-85 को ग्राम दारापुर ब्लाक राजेपुर जिला फर्रुखाबाद में एक बालक सुरेन्द्र कुमार को खेत में काम करते समय बिजली के टूटे हुये तारों में विद्युत प्रवाह होने की वजह से करेंट लग गया था जिसके इलाज के दौरान उसका दाहिना हाथ काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या बालक के पिता को कोई सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

मुख्य विद्युत निरीक्षक की अनुसंधान आख्या तथा चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति दिये जाने के बारे में विद्युत परिषद् द्वारा कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

कोसी आर्टीयल ड्रेन मथुरा हेतु कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि, प्रतिकर का भुगतान

20—श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशलपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी में है कि कोसी आर्टीयल ड्रेन मथुरा की खुदाई व रिथोडलिंग हो चुकी है और किसानों के मुआवजे का पैसा आवंटन हेतु सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग को दे दिया है ? यदि हां, तो भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा द्वारा अभी तक सम्बन्धित किसानों को मुआवजा न देने का क्या कारण है ? क्या शासन विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रु0 23,83,555.00 के विपरीत केवल रु0 6,48,005.31 ही वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है । इस प्रकरण में अभी अंतिम अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है । धारा 4(1)/17 एवं धारा 6(1)/17 की विज्ञप्तियों के प्रकाशन की जानकारी सिंचाई विभाग द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा को दिनांक 25 मई, 1985 को उपलब्ध करायी गयी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अनुमानित प्रतिकर के धनराशि की मांग सिंचाई विभाग से की गई है । कृषकों की भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रतिकर के

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 128 पर)

सम्बन्ध में आपत्ति करने हेतु नोटिस जारी की जा चुकी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर पर प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही में कोई विलम्ब न पाये जाने के कारण भूमि अध्याप्ति कार्यालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम ढकौली, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर में चकरोड के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही

21—श्री त्रिलोकचन्द—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ढकौली, थाना बीबीनगर, जनपद बुलंदशहर में वर्ष 1977 में चकरोड सं0 62 के रोकने पर फौजदारी हुई थी ? क्या यह सही है कि चकरोड संख्या 62 के मूल आकार को श्री निहाल सिंह आदि द्वारा बदल दिया गया और जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार चकरोड के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के गांवों में विद्युतीकरण

22—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84, 84-85 में तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया ? क्या सभी प्रस्तावित गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि बहुत से ग्रामों में विद्युतीकरण के नाम पर खम्भे गड़े हैं मगर उनमें तार नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे गांव हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में व्यक्तिगत कनेक्शन हेतु दिये गये आवेदन-पत्र

23—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत दो वर्षों से कितने लोगों ने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिये अग्रिम धनराशि के साथ आवेदन किया है ? क्या उन लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कनेक्शन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सामान्य प्रशासन (पुनर्गठन) अनुभाग में छंटनीशुदा कर्मचारियों को पारस्परिक ज्येष्ठता दिये जाने का शासनादेश

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रशासन (पुनर्गठन) अनुभाग के शासनादेश संख्या 88(1)66/ओ0एण्ड0एम0 दिनांक 2-3-67 के पैरा 3 बी तृतीय में छंटनी शुदा कर्मचारियों को (पारस्परिक ज्येष्ठता) देने की बचनबद्धता की गई थी और उक्त संदर्भ में नियुक्ति (बी) अनुभाग से शासनादेश एवं सिद्धांत निर्गत करने की अपेक्षा की गई थी ? क्या नियुक्ति (बी) अनुभाग ने तत्सम्बन्ध में कोई शासनादेश निर्गत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 1967 से 1971 तक नायब तहसीलदार पद पर चुने गये छटनीशुदा कर्मचारियों को पारस्परिक ज्येष्ठता उस संदर्भ में शासन देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां । इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 49/1/65-नियुक्ति (ख) दिनांक 25-9-68 निर्गत हुआ है । इसके अनुसार ऐसे कर्मचारियों की नये विभाग या नयी सेवा या नये पदों पर ज्येष्ठता उस विभाग, सेवा या पद के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी । प्रश्नगत अवधि में नायब तहसीलदार पद हेतु आयोग द्वारा चुने गये तथा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे कर्मचारियों की ज्येष्ठता "नायब तहसीलदार सेवा नियमावली, 1944" के नियम 19, 20, 22, 23 के अन्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 25-9-68 के प्राविधान के अनुसार निर्धारित की गयी है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला संरक्षण गृहों में संवासिनियों को रखने की अधिकतम सीमा

25—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला संरक्षण गृहों में संवासिनियों को रखने की कोई अधिकतम समय सीमा है ? राजकीय महिला संरक्षण गृह, लखनऊ में इस समय कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो वहां पर एक वर्ष से अधिक समय से हैं और उन्हें न छोड़ने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत संवासिनियों को बाद के फैसले के बाद निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष की होती है ।

राजकीय महिला संरक्षण गृह, लखनऊ में इस समय 14 महिलाएं ऐसी हैं जो वहां पर एक वर्ष से अधिक समय से हैं । यह महिलायें न्यायालय के आदेशानुसार संरक्षण गृह में प्रवेश की जाती हैं और न्यायालय के आदेशानुसार ही मुक्त की जाती हैं । इन 14 महिलाओं को मुक्त करने के आदेश न्यायालय से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

दैनिक वेतन पर टंकक/कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी, नियमित किये जाने पर विचार

26—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ में जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर टंकक/कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार दो साल से अधिक दिनों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माह जनवरी 1981 से 31 दिसम्बर 1984 तक 53 कर्मचारी दैनिक वेतन पर टंकक/कनिष्ठ लिपिकों के पद पर कार्यरत थे ।

जी नहीं, केवल परीक्षा उत्तीर्ण 15 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत टंकक/कनिष्ठ लिपिकों को नियमित करने का मामला विचाराधीन है । शेष दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला सहायक निबन्धक द्वारा सहकारी संघ, परसपुर व साधन सहकारी समिति त्योरासी के गोदामों का निरीक्षण तथा सील तोड़े जाने के विरुद्ध कार्यवाही

27—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ परसपुर (गोंडा) व साधन सहकारी समिति तेवरासी (गोंडा)

की जांच सन् 85 में सहायक निबंधक, सहकारिता गोंडा द्वारा की गई थी और उसकी प्राथमिक सूचना थाना परसपुर में की गई थी ? यदि हां, तो क्यों गोदामों को सील कर दिया गया था ? यदि हां, तो आरोप-पत्र का ब्यौरा क्या था ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जिला सहायक निबंधक द्वारा सहकारी संघ परसपुर का निरीक्षण 10-4-85 को किया गया था । निरीक्षण के दौरान उक्त संघ पर 10 बोरा चीनी का स्टाक मलांव साधन सहकारी समिति का पाया गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी थी । उक्त संघ का गोदाम तथा साधन सहकारी समिति, त्यौरासी का गोदाम भी सचिव के विरुद्ध शिकायतों के कारण सील कर दिया गया था ।

28—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त गोदामों की सील तोड़ दी गयी है, जिससे जांच की कार्यवाही प्रभावित हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सील करने व तोड़ने का पूरा विवरण सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारी संघ, परसपुर के गोदाम में सील लगी हुई है परन्तु साधन सहकारी समिति ,त्यौरासी की सील टूटी हुयी है । उसे कब और किसने तोड़ा इसकी जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

विक्रय केन्द्र परसपुर (गोण्डा) का कथित निरस्त लाइसेंस

29—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव होलसेल सोसा-

यटी गोण्डा द्वारा विक्रय केन्द्र परसपुर (गोंडा) का लाइसेंस सन् 85 में निरस्त किया गया था ? यदि हां, तो इस आरोप-पत्र व (निरस्त आदेश) का पूर्ण विवरण क्या था ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले के ग्राम अमोनी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण संबंधी कथित आदेश

30—श्री किशन लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने दिनांक 1-6-85 को बाराबंकी जिले के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत को अपने कार्यालय के पत्र सं0 217/बी0आई0पी0/85 द्वारा यह आदेश दिया गया कि बाराबंकी जिले के ग्राम अमोनी पो0 रामपुर जनक की हरिजन बस्ती में शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाय ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्य में क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

31—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के किन-किन विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू है तथा जिले से किन-किन विकास खण्डों में विद्युतीकरण हेतु संस्तुति आयी है तथा कब तक वे विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवानिवृत्त सहकारी पर्यवेक्षक, श्री किशोरी लाल मिश्रा को बकाया का भुगतान

32—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी लाल मिश्रा, सेवा निवृत्त सहकारी पर्यवेक्षक, गुरसराय जिला झांसी जो 31 अक्तूबर, 1981 को जनपद बांदा से सेवानिवृत्त हुए थे को, उनके द्वारा जमा की गई जमानत का धन, ग्रेच्युटी, वेतन अवकाश एवं वेतन वृद्धि एरियर का धन पी0 सी0 यू0 द्वारा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सेवानिवृत्त सहकारी पर्यवेक्षक, श्री किशोरी लाल मिश्रा को 1,329.00 रु0 (एक हजार तीन सौ उन्तीस रुपया मात्र) की जमानत की धनराशि तथा रु0 5,969.00 (पांच हजार नौ सौ उन्हत्तर रुपया मात्र) ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान दिनांक 8 अगस्त, 1985 को तथा वेतन अवकाश एवं वेतन वृद्धि एरियर की धनराशि का भुगतान 17-8-1985 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात से संबंधित गांव बछना व गांव उट्ठा आदि गांवों का सर्वे तथा विद्युतीकरण

33—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विद्युतीकरण हेतु ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर (देहात) से संबंधित गांव-बछना व गांव उट्ठा आदि कई गांवों का सर्वे वर्ष 1985 में हुआ था किन्तु अभी तक उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कारण क्या है और उन गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद कानपुर (देहात) के गांव बेरखानपुर व गांव सरैया में बिजली दिये जाने की मांग व ग्राम आकिन में विद्युतीकरण किये जाने का औचित्य

34—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर (देहात) के गांव बेरखानपुर व गांव सरैया में ग्राहकी सिक्योरिटी के 25 रुपये जमा होने के बावजूद इन गांवों को अभी तक बिजली नहीं दी गई परन्तु इसी ब्लाक बिल्हौर के गांव आकिन में बिना सिक्योरिटी जमा कराये हुए बिजली दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । ग्राम आकिन (अरौल) में 33000 वोल्ट का विद्युत गृह अप्रैल, 1985 में चालू किया गया है । चूंकि इस बिजलीघर के निर्माण हेतु ग्राम आकिन की भूमि ली गयी है । अस्तु ग्राम आकिन का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है । ऐसी स्थिति में जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जनपद के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन को विद्युत् आपूर्ति

35—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के सफेदाबाद रेलवे

स्टेशन को विद्युत् आपूर्ति हेतु रेलवे विभाग ने अलग लाइन व फीडर के लिए लगभग 5 वर्ष पूर्व पैसा जमा किया था ? क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन के लिए अलग फीडर का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो रेलवे स्टेशन को किस फीडर से विद्युत् आपूर्ति की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम परसिया, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया में कतिपय हरिजनों को दिया गया भूमि का पट्टा

36—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत तहसील रसड़ा के ग्राम परसिया, में सिंगासन, बनवारी, छागुर, शिव प्रसाद, रामकृत, मानिक आदि हरिजनों को घर बनाने के लिए पट्टा हुआ था ? यदि हां, तो क्या उन हरिजनों को उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । ग्राम परसिया, तहसील रसड़ा जनपद बलिया में सिंगासन, बनवारी छागुर तथा मानिक आदि 47 हरिजनों सहित कुल 74 व्यक्तियों को दो चक्र में आवास स्थल का आवंटन हुआ था परन्तु शिव प्रसाद को पट्टा नहीं हुआ है बल्कि शिवनाथ को हुआ है । इसी प्रकार रामकृत को पट्टा नहीं हुआ है बल्कि उनके पुत्र मोती चन्द व लखीचन्द को पट्टा हुआ है ।

उपरोक्त 47 हरिजनों में से श्री बनवारी सहित 31 हरिजनों को पूर्ण-रूप में कब्जा दे दिया गया है । 4 आवंटियों को आंशिक रूप से कब्जा दिया गया है । शेष अनुसूचित जाति के 12 व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है जिसका कारण यह है भूमि संख्या 539 बारह लोगों में आवंटित की गयी है परन्तु उक्त भूमि अभिलेखों में पुरानी आबादी दर्ज है एवं मौके पर रिहायशी मकान बने हैं तथा कुछ अंश पर हरिजनों के घर हैं जिस पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका । ऐसे आवंटियों का पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है ।

37—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 26-7-1985 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र, वरिष्ठ लिपिक जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, बलिया कार्यालय के अनियमित कार्यों से संबंधित-पत्र

38—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र वरिष्ठ लिपिक, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, बलिया कार्यालय के अनियमित कार्यों से संबंधित श्री घूराराम सदस्य/कार्यकर्ता युवा कांग्रेस (आई) बलिया का शिकायती-पत्र दिनांक 22-4-85 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, शिकायती-पत्र पर उप निदेशक, वाराणसी मंडल, वाराणसी को जांच कर संस्तुति सहित आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की पट्टियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

39—डाक्टर शितानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की पट्टी

बनेलस्यूं, पट्टी कंद्वालस्यूं तथा पट्टी मनियारस्यूं के पुनर्गठन के संबध में तत्कालीन मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्रांक डी/2/72/सी0 एम0, दिनांक 10-5-1975 के क्रम में जनपद विकास समिति के अध्यक्ष श्री मदन सिंह नयाल के पत्रांक दिनांक 30-11-75, 19-9-77, 21-11,79 एवं तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी के पत्रांक पौड़ी/29/परिसीमन दिनांक 3-1-1980 पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है कब तक इन पट्टियों के पुनर्गठन किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पट्टियों के पुनर्गठन विषयक जनपद विकास समिति, गढ़वाल के अध्यक्ष श्री मदन सिंह नयाल के दिनांक 19-9-1977 के पत्र की प्रतिलिपि सहित उनका दिनांक 21-11-1979 का पत्र तथा विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का पत्रांक पौड़ी/27/परिसीमन, दिनांक 3-1-1980 शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्रों में इंगित प्रश्नगत पट्टियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त जिला प्रशासन द्वारा व्यवहारिक न पाये जाने के कारण शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

महापालिकाओं वाले नगरों में महिला छात्रावास की स्थापना की मांग

40—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय बड़े पैमाने में नगरों में महिलाएं कार्य कर रही हैं तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महापालिकाओं वाले नगरों में जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली में हास्टल की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नगरों में महिलायें बड़े पैमाने में कार्य कर रही हैं, महापालिकाओं वाले नगरों में से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी तथा आगरा में एक-एक राजकीय श्रमजीवी महिला छात्रावास की स्थापना की जा चुकी है। शेष नगरों के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली, अहीर, अकोला और बिचपुरी में खोले गये ग्रामीण गोदाम

41—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गोदाम खोले जाने के सन्दर्भ में जनपद आगरा के खण्ड विकास बरौली अहीर अकोला और बिचपुरी के कितने ग्रामीण गोदाम खोले गये हैं और इन गोदामों पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या कुछ गोदाम ऐसे भी हैं जहां कर्मचारी तो हैं पर न मिट्टी का तेल है और न चीनी ? यदि हां, तो वहां पर कर्मचारी नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जनपद आगरा के प्रश्नगत तीन विकास खण्डों में विश्व बैंक की सहायता से निर्मित तीन ग्रामीण गोदाम खोले गये हैं। इन गोदामों पर कुल 10 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इन विकास खण्डों में कोई भी ऐसा गोदाम नहीं है, जहां कर्मचारी हों, पर मिट्टी का तेल व चीनी न हो।

बुन्देलखण्ड के पांच जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग

42—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग क्या

है तथा प्रदेश के शेष बावन जिलों में प्रति व्यक्ति औसत विद्युत् उपभोग क्या है ? बुन्देलखण्ड तथा शेष प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग में कितना अन्तर है ? इस अन्तर को समाप्त करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पांच जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग वर्ष 1984-85 में 59.33 यूनिट था तथा उत्तर प्रदेश के शेष अन्य जिलों का इस अवधि में प्रति व्यक्ति उपभोग 96.15 यूनिट रहा है । प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग का अन्तर 36.82 है ।

इस अन्तर को समाप्त करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत् की कोई कटौती नहीं की जा रही है । तथा इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 48 योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिन पर कार्य चल रहा है ।

जनपद आजमगढ़ में पवई व फूलपुर ब्लाक को आई0 ई0 एस0 स्कीम के अन्तर्गत लिया जाना तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

43—श्री भीखा राम—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पवई व फूलपुर ब्लाक को आई0 ई0 एस0 स्कीम के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो पांच वर्ष के अन्दर कितने गांव तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव बाकी हैं और कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, प्रश्नगत ब्लाकों को आर0 ई0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत लिया गया है और पांच वर्ष के अन्दर 74 गांवों व 33 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है । अभी 53 गांवों का विद्युतीकरण बाकी है, जिनका विद्युतीकरण, सामान एवं धन की उपलब्धता के आधार पर अगले पांच वर्षों में किये जाने की आशा है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को लिपिक पद पर नियमित किये जाने संबंधी-पत्र

44—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा पत्र सं0 2988/हसक स्था-2, दिनांक 20 मार्च, 1985 द्वारा निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को लिपिक पद पर नियमित किये जाने के संबंध में उ0 प्र0 प्रशासन को भेजे गये पत्र पर, शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मामला अभी शासन के परीक्षणाधीन है ।

देवरिया जिले में बधौचघाट स्थान पर विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति तथा निर्माण कार्य

45—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बधौचघाट नामक स्थान पर वर्ष 1977 से 1980 तक के दौरान शासन ने विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत् उपगृह के निर्माण के लिए तरकुलवा विद्युत् उपगृह से बधौचघाट नामक स्थान तक विद्युत् खम्भे गाड़े गये ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1978—80 तक खर्च की गयी ? क्या उक्त विद्युत् उपगृह बनकर तैयार

हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त विद्युत् उपगृह के निर्माण का कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । वित्तीय वर्ष 1978—80 तक कुल धनराशि रु0 1,37,856.10 का खर्च किया गया ।

जी नहीं । इस समय इस कार्य को करने की कोई स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है ।

जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत बिल्हौर व अरौल तथा रसूलाबाद क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति विषयक-पत्र

46—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत बिल्हौर व अरौल तथा रसूलदाबाद क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था दूर कराने हेतु किसी विधायक का कोई पत्र दिनांक 14 मार्च, 1985 से 21 मार्च, 1985 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । श्री हनुमान प्रसाद कुरील, विधायक, बिल्हौर के दिनांक 20-3-85 का बिल्हौर व अरौल तथा रसूलाबाद क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति विषयक-पत्र प्राप्त हुआ । उक्त पत्र के सम्बन्ध में निम्न-लिखित कार्यवाही की गई है :—

1—कानपुर देहात के 33 के0 वी0 अरौल पोषक का तड़ित संग्राहक (लाइटिनिंग अरेस्टर) क्षतिग्रस्त हो गया था न कि ट्रांसफार्मर जिसको माह अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में पुनः चालू कर दिया गया ।

2—बिल्हौर, अरौल, ककवन एवं रसूलाबाद कस्बे कानपुर देहात क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा उनके स्तर अनुसार ही निर्धारित विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है । फिर भी स्थानीय दोषों के अथवा कभी-कभी विद्युत् उपलब्धता में आयी कमी में अघोषित कटौती के कारण निर्धारित से कम विद्युत् आपूर्ति हो जाती है ।

3—अरौल नवनिर्मित विद्युत् उपगृह को माह अप्रैल 1985 के प्रथम सप्ताह में चालू कर दिया गया है ।

4—माह मार्च 1985 से शीतगृहों को 16 से 18 घंटे विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की गई लेकिन उपरोक्त व्यवस्था से विद्युत् प्रणाली की सुरक्षा हेतु अचानक आने वाली विद्युत् उपलब्धता की कमी के फलस्वरूप कभी-कभी कमी आना सम्भव है । अतः पनकी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि आकस्मिक विद्युत् कटौती राज्य विद्युत् परिषद् के केन्द्रीय विद्युत् नियंत्रण लखनऊ के निर्देश पर ही की जाती है ।

तहसील पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा की गयी धनराशि

47—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में तहसील पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनमें प्रति परिवार 25 रु0 (पच्चीस रुपये) के हिसाब से विद्युत् कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि विद्युत् विभाग के पास जमा की गयी है और उन्हें अभी तक विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1984-85 में तहसील पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 6 विकास खण्डों के

507 परिवारों ने 25 रु0 (पच्चीस रुपये) प्रति परिवार के हिसाब से विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा किये हैं ।

158 परिवारों की औपचारिकतायें पूर्ण हो गई हैं परन्तु विद्युत् मापक-यंत्रों की कमी के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके । यंत्रों का प्रबन्ध किया जा रहा है और उनके मिलते ही कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

349 परिवारों ने औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की हैं इसलिए कार्यवाही नहीं की गई है ।

विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है ।

ग्राम गोडऊर, गाजीपुर के विद्युतीकरण हेतु कृत कार्यवाही

48—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 8 वर्ष पूर्व ग्राम गोडऊर, गाजीपुर के विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों ने सिक्योरिटी मनी जमा की है और विद्युत् विभाग द्वारा कहीं-कहीं पर लाइन खींचने के बाद छोड़ दिया गया है और यह रिपोर्ट दी गयी है कि विद्युतीकरण पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी व दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । उक्त ग्राम का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार हो चुका है और विस्तृत विद्युतीकरण, एल0 टी0 मेन्स बिछाकर किया जा रहा था परन्तु कुछ लोगों द्वारा लाइन खींचने में रुकावट डालने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ । अस्तु जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

49—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या यह सही है कि वर्षों पूर्व लगाये गये बिजली के तार व खम्भे गायब कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो चोरी गये सामान के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

50—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गोडऊर के समस्त लोगों को बिजली उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं, क्योंकि एल0 टी0 लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ।

राज्य विद्युत् परिषद् पर लगा पूंजी निवेश तथा घाटे का विवरण

51—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत् परिषद् पर कितना पूंजी निवेश लगा हुआ था और प्रत्येक वर्ष कितना घाटा रहा ?

श्री सुनील शास्त्री—

विगत नौ वर्षों (1975-76 से 1983-84) का ब्यौरा वर्तमान सत्र के तृतीय शुक्रवार को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर में दिया जा चुका है । दसवें वर्ष (1984-85) के विवरण के संकलन का कार्य अभी अपूर्ण है ।

फर्जी संस्थाओं द्वारा डाक्टरी प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 24 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से मैंने 7 स्वीकार की है । इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

(12 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[मान्यवर, प्रदेश में फर्जी डाक्टरों की बाढ़ सी आ गयी है और तथाकथित डाक्टर खुले रूप से जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तथा मरीजों को दवा के नाम पर जहर दे रहे हैं । यहां तक कि ऐसे लोगों ने फर्जी मेडिकल कालेज खोल लिये हैं लखनऊ में परसों एक ऐसे गिरोह का पता चला है जो धड़ल्ले से 300 रुपये लेता है जाली तौर पर डाक्टर होने का प्रमाण-पत्र देता है और डाक्टरों के नाम पर क ख ग का भी ज्ञान न रखने वाले लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रमाण-पत्र देकर मौत का सौदा कर रवाना भेज देते हैं । स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सांठगांठ से यह कार्य फल-फूल रहा है । अतः मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बाराबंकी की शिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों में हेराफेरी तथा फर्जी टी0 सी0 जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद—

[मान्यवर, आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद बाराबंकी की शिक्षण संस्थाओं में सार्वजनिक अभिलेखों में हेरफेर करके फर्जी टी0 सी0 जारी की जा रही है । जनपद बाराबंकी के ही जूनियर बेसिक पाठशाला कोलवा, रुदौली के इन्चार्ज श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी ने पर्याप्त रिश्वत लेकर एक अनपढ़ एवं निरक्षर व्यक्ति श्री राम वरन पुत्र सालिक के नाम से सार्वजनिक अभिलेखों, प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश फार्म, उपस्थिति, रजिस्टर आदि में हेरफेर करके फर्जी टी0 सी0 जारी किया है । उक्त टी0 सी0 को श्री राम बरन के विरुद्ध एक वाद में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री लालता प्रसाद को दिया गया है जिसमें उसके पिता का नाम व आयु गलत दिखायी गयी है । अतः मैं आपके माध्यम से शासन से उपरोक्त विषय में किसी उच्च अधिकारी द्वारा त्वरित जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

तहसील दादरी, गाजियाबाद में नाला हसनपुर पर पहली साइफन बन्द होने से किसानों को परेशानी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[महोदय, जनपद गाजियाबाद के तहसील दादरी में ग्राम प्यावली एवं ग्राम जैतवारपुर में नाला हसनपुर पर पहली साइफन इतनी पुरानी हो चुकी है जिसने अब काम करना बिलकुल बन्द कर दिया है, जिससे दोनों उपरोक्त गांवों की लगभग 400 एकड़ भूमि पिछले 20 वर्ष से पानी से घिरी पड़ी है जिससे ग्रामवासियों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1985 को सिंचाई मंत्री की मेरठ मण्डलीय बैठक में एवं 15 जून 1985 को जनपद गाजियाबाद की सिंचाई सलाहकार बैठक में इस बात का जिक्र हो चुका है । मान्यवर, अब वर्षों से गांवों में भी पानी उपरोक्त साइफन के खराब होने की वजह से भर गया है हजारों किसानों में रोष, क्षोभ एवं अपार चिन्ता व्याप्त है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि हसनपुर नाले पर ग्राम प्यावली एवं जैतवारपुर की सुरक्षा हेतु साइफन का तुरन्त रिमाडलिंग कराने की कृपा करें ।]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति सम्भल, जनपद मुरादाबाद के कार्यालय में श्री आदर्श कुमार रस्तोगी लिपिक द्वारा आग लगाये जाने की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद आजम खां—

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11-4-82 को कृषि उत्पादन मण्डी समिति सम्भल जनपद मुरादाबाद के कार्यालय में चल रहे आडिट के दौरान श्री आदर्श कुमार रस्तोगी लिपिक ने समिति के चार वर्ष के रिकार्ड में भयंकर आग लगायी । इस अग्निकाण्ड में मण्डी समिति को श्री आदर्श कुमार रस्तोगी के द्वारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ है । इस काण्ड में श्री रस्तोगी के 23 करोड़ रसीदें तथा रोकड़ बही, बाधी जली आज भी कार्यालय में साक्ष्य हेतु उपलब्ध हैं । परन्तु आज तक किसी भी जांच अधिकारी ने उस साक्ष्य को नहीं देखा है । श्री रस्तोगी के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी, इसका अब तक कोई पता नहीं चल रहा है ।

अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि उपरोक्त संबंधित मामले की जांच करायी जाय और दोषी पाये गये उक्त रस्तोगी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था की जाय ।]

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एशबाग, लखनऊ में राजकीय प्रेस के पीछे नजूल की भूमि पर बसे पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोगों को सुविधाएं दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप—

[अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि एशबाग, लखनऊ में स्थित राजकीय प्रेस के पीछे नजूल भूमि पर पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोग अपने छोटे-छोटे घर बनाकर काफी समय से निवास कर रहे हैं । इनका जीवन दयनीय एवं निम्न स्तर का है । वे तमाम मानवीय सुविधाओं से भी वंचित हैं । पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोगों को बसाये जाने हेतु सरकार ने अनेकों योजनायें चला रखी हैं तथा इसके लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है, लेकिन इन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचता है । यह विदित हो कि इसके पास ही अभी बसे श्रम नगर को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विनियमितीकरण करके वहां पर बसे लोगों को नागरिक सुविधायें प्रदान की हैं । अतः उसी आधार पर यहां के लोगों को भी वही सुविधायें प्रदान कर दी जायं । यह एक लोकमहत्व का प्रश्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें ।]

ग्राम अमुआखेड़ा, शिकोहाबाद, मैनपुरी में सुनीता की ससुराल वालों के द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज वर्मा—

[अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आज फिर दहेज के कारण मारी गयी एक नव-वधू की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं ।

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मृतका सुनीता का विवाह एक वर्ष पूर्व ग्राम अमुवाखेड़ा के नेमसिंह पुत्र अत्तर सिंह के साथ हुआ था । घटना के 15 दिन पहले ही उसके गौने की विदाई हुई थी । 16 मई, 1985 को सुनीता का भाई, बहिन की ससुराल गया, जहां सुनीता की सास और अन्य घर वालों ने सोने की लड़ व विक्की दहेज में न देने के कारण उससे झगड़ा किया ।

मान्यवर, भाई, 19-5-1985 को लौटकर आता है और 20-5-1985 को इन लोभी जानवरों द्वारा सुनीता की हत्या कर दी जाती है । इसी गांव के राजवीर सिंह और लोटन सिंह लाश को चिता से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें मारकर भगा दिया जाता है । वे ही सुनीता के भाई को सूचना देते हैं । मान्यवर, सुनीता के भाई का स्पष्ट आरोप है कि शिकोहाबाद के दरोगा हातीलाल यादव और क्षेत्राधिकारी मलखान सिंह ने रिश्वत लेकर सं0 302/201 और 206/85 आई0 पी0 सी0 में पंजीकृत दहेज सम्बन्धी अपराध की धारायें ही बदल दी जिसमें अपराधी स्वच्छन्द होकर घूम रहे हैं ।

अत: मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से मांग करती हूं कि सुनीता के हत्यारों को बचाने वाले दोषी पुलिस-कर्मियों का स्थानांतरण करके उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और सी0 आई0 डी0 द्वारा मामले की जांच करायी जाय अन्यथा दहेज का दानव इसी तरह मासूम-अबलाओं को निगलता रहेगा ।]

आजमगढ़ में सुल्तानीपुर-मऊनाथ भंजन तथा खुरहट सरसेना की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट—

[अध्यक्ष महोदय 219, विधान सभा क्षेत्र, मुहम्मदाबाद गोहना की सबसे पुरानी सन् 1930 ई0 की बनी हुई सुल्तानीपुर मऊनाथ भंजन तथा खुरहट-सरसना सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी नहीं हो सका । उक्त दोनों सड़कों की पटरियां क्षतिग्रस्त तथा ऊंची नीची हो चुकी हैं, जनता तथा पशुओं का पैदल चलना भी कठिन है । उक्त सड़कों का समय-समय से मिलने वाला बजट उच्चाधिकारियों द्वारा राजनीति प्रेरित होकर जिले की अन्य सड़कों पर होता रहा है । ब्लाक रानीपुर, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से आजमगढ़ का बड़ा ब्लाक है । प्रत्येक चुनाव में जनता प्रत्याशियों के समक्ष सड़कों का प्रस्ताव रखती है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने भी ब्लाक रानीपुर की सड़कों की समस्या शासन के समक्ष नहीं रखा । इस क्षेत्र में अभी भी 200 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जीवित हैं, उपरोक्त सड़कों के निर्माण न होने की वजह से शासन के प्रति काफी उदासीन हैं । इस क्षेत्र का नवनिर्वाचित सदस्य होने की वजह से आपका ध्यान उक्त दोनों सड़कों की ओर आकृष्ट कराना अपना नैतिक दायित्व समझता हूं । मैंने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार को उपरोक्त सड़कों के बावत लिखा है लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता ।

मैं आपसे से मांग करता हूं कि सुल्तानीपुर मऊनाथ भंजन तथा खुरहट-सरसेना सड़कों की जांच कराकर अविलम्ब निर्माण करने की कृपा करें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली श्री सत्यपाल सिंह की, दूसरी श्री मुहम्मद आजम खां

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की, तीसरी श्री अनुग्रह नारायण सिंह की, चौथी डा0 दिनेश जौहरी की, पांचवीं श्री गौरी शंकर भइया की, छठी श्री देव कुमार यादव की, सातवीं श्री राम आसरे वर्मा की, आठवीं श्री सूर्य प्रताप शाही की, नवीं श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री किरनपाल सिंह की, दसवीं श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री सुखपाल पान्डे की, ग्यारहवीं श्री अशोक बाजपेयी की, बारहवीं श्री शारदा प्रताप की और तेरहवीं सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह की है । जहां तक पहली सूचना का सवाल है, यह संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, लिहाजा यह अस्वीकार है । श्री मुहम्मद आजम खां की सूचना विधायकों को दवा मिलने के बारे में है । इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हो गयी है । इस पर सूचना पहले भी दी गयी है । इसको पुनः नहीं उठाया जा सकता है । तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है जो नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है और इसी प्रकार से डा0 दिनेश जौहरी की भी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । जहां तक श्री गौरी शंकर भइया की सूचना का सवाल है, 2-9-1985 को, निगमों के घाटे के बारे में श्री गौरी शंकर भइया की चर्चा लगी हुई है । श्री देव कुमार यादव जी का मामला वक्तव्य के लिये लगा हुआ है । श्री राम आसरे वर्मा की सूचना का जहां तक सवाल है, वह इस प्रश्न को कई बार उठा चुके हैं । श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, प्रश्नों के बारे में कई बार निर्णय दिये जा चुके है । जहां तक श्री शतरुद्र प्रकाश की सूचना का सम्बन्ध है, झन्डे के इस मामले पर, काफी विचार हो चुका है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं । श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री अशोक बाजपेयी की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, वह नियम 300 में नहीं आती है । जहां तक श्री शारदा प्रताप की सूचना का सवाल है, अगर किसी मंत्री ने गलत जवाब दिया है, तो उसको वह विशेषाधिकार के अन्तर्गत उठा सकते हैं और इसी प्रकार की श्री दिवाकर विक्रम सिंह की भी सूचना है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है, वह पहले भी आया था, और मुझे जवाब दिया गया था कि भविष्य में समय दिया जायेगा, अभी यह प्रश्न उठाया नहीं गया है, आप इस पर विचार कर लें और हमें मौका दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठें । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी, आप तो हमें रास्ता बता सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री गौरी शंकर भइया—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप—

[× × ×]

टिप्पणी—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य—

[× × ×]

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री शारदा प्रताप—

अगर आप मेरे औचित्य के प्रश्न को नहीं सुनते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री शारदा प्रताप—

इसके विरोध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[× × ×]

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह बाहर गये और फिर तुरन्त वापस आकर अपनी सीट पर खड़े होकर पुनः बोलने लगे ।)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं । कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

टिप्पणी—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

झांसी जिले के मोंठ तहसील पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने तथा समथर, जनपद झांसी में तहसील स्थापित किये जाने के संबंध में याचिकायें

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से झांसी जिले के मोंठ तहसील केन्द्र पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री गुलाब चन्द्र गुप्त एवं अन्य निवासीगण मोंठ जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से समथर जनपद झांसी में तहसील स्थापित किये जाने विषयक श्री जगदीश सिंह परिहार आदि निवासीगण समथर जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

†छापी नहीं गयी ।

जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर को तहसील बनाये जाने के संबंध में याचिका

श्री मित्र सैन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आज्ञा से जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर को तहसील बनाये जाने विषयक श्री कमलासन पाण्डेय, ब्लाक प्रमुख मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मद संख्या 7 में मैंने 20 जुलाई को एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत किया था उस पर न तो कोई सूचना सदन में आई और न आपकी तरफ से कोई निर्देश आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं, आ जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना का नोटिस दिया है उस पर आप कब तक निर्णय दे देंगे । उसमें लिखा है सैनिक स्कूल के बारे में आपको 3 सदस्यों की समिति बनाने का निर्देश था ।

श्री अध्यक्ष—

आपने अब उठाया है मैं उसे देख रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

कब तक फैसला होगा । (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस दिया था (व्यवधान) कई दिन हो गये ।

श्री अध्यक्ष—

वह आ जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

बजाय सदस्यों की समिति बनाने के अधिकारियों की समिति बना दी गयी है और उसने काम करना भी चालू कर दिया है । आपके आदेशों की स्पष्ट अवहेलना हुई ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं जो निर्णय होगा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप शासन को निर्दिष्ट करें, अधिकारियों की समिति ने काम करना शुरू कर दिया है उसको आप रोकें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय फजलुल बारी जी, जो आपने मसला उठाया है उस पर मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

(मद संख्या 8 पुकारने पर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

इस पर मुझे कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट है (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इसी पर कहना चाहता हूं । आठवीं विधान सभा में एक मामला प्रस्तुत हुआ था विशेषाधिकार का ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यमंत्रणा समिति ने बैठकर सर्व-सम्मति से फैसला लिया है उसमें आपको क्या कहना है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मेरा कहना यह है कि एक सिफारिश की माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के मामले में ।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला कार्यमंत्रणा समिति के सामने आया था उन्होंने कहा कि 2 ता0 को इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

कमेटी ने फैसला लिया कि उस आदमी को जो दोषी पाया गया है उसे हाउस में तलब किया जायेगा । उसे सजा दी जायेगी । तो कब विधान सभा बैठेगी और कब उसे सजा देंगे इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं (व्यवधान) ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश सुन लीजिये (व्यवधान) माननीय ओझा जी आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों के संबंध में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय ओझा जी बैठिये, माननीय बर्क साहब बैठिये (व्यवधान) माननीय सुखपाल पाण्डेय जी बैठिये । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बैठिये । मैं आपसे सहायता चाहता हूं (व्यवधान) माननीय सुखपाल पाण्डेय जी आप बैठिये, माननीय गौरी शंकर भइया जी बैठिये । (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय जिसके बारे में श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने विशेषाधिकार समिति को मामला सुपुर्द किया है ..

(व्यवधान)

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 1985 की बैठक में जो सिफारिश की है वह यदि आपकी सबकी इजाजत हो तो पढ़ा हुआ मान लिया जाये, नहीं तो पढ़कर सुना दिया जाये चूंकि लम्बी सिफारिश है, जो आज के एजेन्डे में छपी है, आपके सामने आ चुकी है । तो सदन सहमत है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पढ़ी हुई मान ली जाय ।

(सदन की सहमति से सिफारिश पढ़ी हुई मान ली गयी) ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि :—

1—सदन का 24 अगस्त, 1985 का उपवेशन पूर्वान्ह 10 बजे से प्रारम्भ हो तथा उक्त तिथि को नियम 300 व 301 तथा नियम 51 व 56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं,

2—दिनांक 25 अगस्त, 1985 से 1 सितम्बर, 1985 तक सदन के उपवेशन न हों, तथा

3—दिनांक 2 सितम्बर, 1985 से 5 सितम्बर, 1985 तक के उपवेशनों में नियम 56 की सूचनाएं न ली जायं तथा इन उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

2 सितम्बर, 1985 सोमवार

अपरान्ह 3 बजे तक,

(1) असरकारी संकल्प ।

अपरान्ह 3 बजे के उपरान्त

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(क) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 —एक घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 —एक घंटा।

(3) मा0 श्री गौरी शंकर भइया की नियम 52 की सूचना पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों के निरन्तर बढ़ते घाटे, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा—एक घंटा ।

(4) मा0 श्री गौरी शंकर भइया तथा अन्य सदस्यगण की नियम 52 की सूचना पर प्रदेश में नव-विवाहित युवतियों को जलाने, गला घोंटकर मारने तथा आत्म हत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होने के संबंध में चर्चा—पौन घण्टा ।

(5) श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी) के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा—पौन घण्टा :—

"यह सदन संस्तुति करता है कि महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।"

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

3 सितम्बर, 1985 मंगलवार

अपरान्ह 3 बजे तक,

(1) असरकारी विधेयक ।

अपराह्न 3 बजे के उपरान्त

(2) उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (सशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार एवं उसका पारण—एक घण्टा ।

(3) मा0 श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी की नियम 52 की सूचना पर प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में तेजी से हो रही वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा—एक घण्टा ।

(4) मा0 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम 52 की सूचना पर प्रदेश में सूखे से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा—एक घण्टा ।

(5) मा0 श्री राजेन्द्र गुप्त के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा—पौन घण्टा :—

''यह सदन प्रदेश में बिजली आपूर्ति में भीषण अव्यवस्था तथा घोषित एवं अघोषित कटौती के कारण उद्योग, व्यापार तथा कृषि सभी के प्रभावित होने, जल संकट पैदा होने एवं भीषण गर्मी में विद्युत् उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति पर चिन्ता प्रकट करता है ।''

4 सितम्बर, 1985 बुधवार

अपरान्ह 3 बजे तक,

(1) असरकारी संकल्प ।

अपराह्न 3 बजे के उपरान्त

(2) मा0 नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यगण की सूचना पर काशी विद्यापीठ के अध्यापकों पर हमले के सम्बन्ध में चर्चा—एक घण्टा,

(3) मा0 श्री राम सजीवन की सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के 309 पदों के सम्बन्ध में धांधली के विषय पर चर्चा—एक घण्टा,

(4) मा0 श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा—एक घण्टा,

(5) मा0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा—पौन घण्टा :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के सम्बन्ध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की जाये ।"

5 सितम्बर, 1985 गुरुवार

अपरान्ह 3 बजे तक,

(1) असरकारी विधेयक (जो 3-9-1985 को अनिस्तीर्ण रहे) ।

अपराह्न 3 बजे के उपरान्त

(2) मा0 श्री राम गोविन्द चौधरी की सूचना पर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा—आधा घण्टा,

(3) मा0 श्री कल्याण सिंह एवं अन्य सदस्यगण की सूचना पर शासन द्वारा गेहूं का प्रति क्विंटल घोषित मूल्य किसानों को न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा—आधा घण्टा,

(4) मा0 बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर किंग जार्ज मेडिकल कालेज की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा—आधा घण्टा,

(5) मा0 श्री अशोक बाजपेयी, मा0 श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य सदस्यगण की सूचना पर हरदोई तथा बाराबंकी में गन्ना मिलों पर किसानों के बकाया के संबंध में चर्चा—एक घण्टा,

(6) मा0 श्री बदन सिंह की नियम 52 की सूचना पर उत्तर प्रदेश में खारे पानी के क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा—एक घण्टा,

(7) मा0 श्री लाल प्रताप सिंह के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा—पौन घण्टा :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबंधित किया जाय ।"

(8) मा0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा—पाँच घण्टा :—

"प्रदेश में घाघरा, सरयू, गोमती तथा उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति का स्थायी हल निकालने के लिए सरकार एक आयोग का गठन करे जो गठित होने के 6 माह के अन्दर अपनी संस्तुतियों का प्रतिवेदन सरकार को दे दे, ताकि उसकी सिफारिशों को लागू करके प्रतिवर्ष होने वाली धन व जन की हानि को रोका जाये।"]

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन में दी है सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× × ×]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[× × ×]

"व्यवधान"

एक सदस्य—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

जितने भी माननीय सदस्यों ने, शतरुद्र प्रकाश से लेकर अब तक कहा है, वह नहीं लिखा जायेगा। जब मैं एक निर्णय दे चुका हूं, उस निर्णय के बाद कोई

टिप्पणी :—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985*

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुक्म सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

एक सदस्य—

(श्री गौरी शंकर भइया के अपने स्थान पर शान्त खड़े होने पर) यह एक माननीय सदस्य इस तरह खड़े हैं, आप इनके बारे में अपनी व्यवस्था तो दे दें ।

श्री हुक्म सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, एक सदस्य खड़े हैं और सारी कार्यवाही हो रही है । आप या तो इनको बिठायें या इनको सुना जाए ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है कि कोई बात लिखी नहीं जाएगी । जो बात तिवारी (रवीन्द्रनाथ) जी ने उठाई है, वही उठेगी ।

श्री गौरी शंकर भइया—

वह नहीं है, मुझे दूसरी बात कहनी है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैंने नियम 56 की सूचनायें ले ली हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

तो मैं खड़ा हूं ।

---

*दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की सूचना माननीय बृह्म दत्त द्विवेदी, माननीय गौरी शंकर भइया, माननीय सूर्य प्रताप शाही माननीय सरदार सिंह, माननीय शारदा प्रताप शुक्ल, माननीय किरनपाल सिंह, माननीय सत्यपाल सिंह की फर्रुखाबाद में 5 व्यक्तियों की हत्या के बारे में हैं। आठवीं सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी की 10 लाख रुपयों की नकली शराब पकड़े जाने के बारे में हैं। नवीं सूचना माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा की आई0 टी0 आई0 में दाखिले के मामले के सम्बन्ध में हैं। दसवीं सूचना माननीय राजकिशोर सिंह की मथुरा कालेज में प्राचार्य की गिरफ्तारी के बारे में हैं। 11वीं सूचना माननीय बेनी प्रसाद वर्मा की बाराबंकी चीनी मिल पर बकाये के बारे में हैं। 12वीं सूचना माननीय कल्याण सिंह, माननीय हरीश जी, माननीय श्याम बिहारी सिंह, माननीय अवनीश कुमार सिंह वगैरह की मंडी परिषद की परीक्षाओं में धांधली के बारे में हैं। 13वीं सूचना माननीय मनोहर लाल की फतेहपुर में त्रिपाठी परिवार को झूठे मुकदमें में फंसाने के बारे में हैं। 14वीं सूचना माननीय राजेन्द्र गुप्ता की शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में हैं। 15वीं सूचना माननीय मो0 मसूद खां, माननीय बलराम यादव वगैरह की आजमगढ़ में पानी के जमाव के बारे में हैं। 16 वीं सूचना माननीय विजय सिंह राणा की बालटी बाबा के बारे में हैं। 17वीं सूचना माननीय शतरुद्र प्रकाश की बनारस में जल संकट के बारे में हैं। 18वीं सूचना माननीय शारदानन्द अंचल की बलिया में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को परेशान किये जाने के बारे में हैं। 19वीं सूचना माननीय राम आसरे वर्मा और माननीय हृदय नारायण दीक्षित की रामाधीन कालेज लखनऊ में भ्रष्टाचार के बारे में हैं। 20वीं सूचना माननीय विष्णुदेव और माननीय रघुवर दयाल वर्मा की जिला परिषद आजमगढ़ की जमीन की बिक्री के बारे में हैं। 21वीं सूचना माननीय राम सजीवन की कर्वी में कूड़ा होने के बारे में हैं। 22वीं और 23वीं सूचना माननीय राम गोविन्द चौधरी व माननीय डा0 दिनेश जौहरी की डाक्टरों के फर्जी प्रमाण-पत्र के बारे में हैं। 24वीं सूचना माननीय मोहम्मद आजम खां, माननीय अमीर आलम खां वगैरह की रजा मोहम्मद लाइब्रेरी रामपुर में किताबों की चोरी के बारे में हैं। 25वीं सूचना माननीय सत्य प्रकाश विकल की राजकीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन के बारे में हैं। 26वीं सूचना माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की कानपुर में छात्र नेता की गिरफ्तारी के बारे में हैं। 27वीं सूचना माननीय सखपाल पांडे की हरैया बस्ती में [illegible] के कटान के बारे में हैं। 28वीं सूचना माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की डा0 अम्बेदकर होस्टल, गोरखपुर पर कब्जे के बारे में हैं.

*श्री बृह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, दिनांक 22 अगस्त को (कल) फर्रुखाबाद जिले में थाना ठटिया के गांव बेहटा में 5 आदमियों की नृशंस हत्या कर दी गयी। जो सूचना मिली हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके अनुसार 25 से अधिक व्यक्ति लाठी, भाला, बन्दूक, रिवाल्वर लेकर घर पर चढ़ गये और गृह मालिक जो थे उन्होंने अपना मकान बन्द कर लिया तो आतंकवादियों, हत्या करने वालों ने किवाड़ों को तोड़ दिया। भय के कारण एक बच्ची तहखाने में छिप गयी और बदमाश तहखाने में जाकर उस मासूम बच्ची को घसीट लाये और उसके ऊपर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद एक बालक जो छत पर चढ़ गया था अपनी जान बचाने के लिए उसकी भी हत्या कर दी गयी। यह हत्यारे खुले रूप से थाने के 2 कि0 मी0 दूरी पर हत्या का जघन्य कार्य करते रहे। हत्यारे बाहर से सीढ़ी लगाकर घर पर चढ़ गये और जो बच्चा सो रहा था उसकी भी जान नहीं छोड़ी।

देवकुमारी नामक बच्ची को गोलियों से भून दिया। शिशिर चन्द्र, मनोज व उनके घर के तीन बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गयी। हत्यारे बराबर हथियार लिये हुये खुले रूप से गांव भर में घूमते रहे और आतंक फैलाते रहे और धमकी देते रहे कि अगर किसी ने कोई गवाही देने की हिम्मत की, तो उसको भी और उसके परिवार वालों को भी इसी तरह से गोलियों से भून दिया जायगा। इसके पहले छीठया थाने में ही ग्राम मढपुरा में भी सामूहिक हत्या काण्ड हुआ था। पूरे जनपद में इस घटना से भय और आतंक व्याप्त है। थाने से मात्र दो किलो मीटर दूर इस जघन्य घटना के होने पर भी पुलिस घन्टों तक घटना-स्थल पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों को पुलिस के प्रति आस्था और विश्वास नहीं रहा और वे अभी भी भय-भीत हैं। मान्यवर, जरा कल्पना करें कि इससे अधिक और क्या हो सकता है कि उस बच्ची ने मकान के अन्दर कोठे में बने हुये तहखाने के अन्दर छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, किन्तु फिर भी हत्यारों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा और घसीट करके बाहर निकाल कर गोलियों से छलनी कर दिया। मृत बालिका और बालक की लाश को भाले से छेद कर गांव भर में घुमाया गया, जिससे ऐसी विषम स्थिति हो गयी है, मानो जंगल का राज्य कायम हो गया हो। पूरे फर्रुखाबाद में अराजकता की स्थिति व्याप्त है और कानून व्यवस्था पूरी तौर से भंग है। शिशिरचन्द्र अपनी तारीख करने के लिए उसी दिन कन्नौज जाने वाले थे, किन्तु तब तक न्याय की भीख मांगने वाले शिशिरचन्द्र के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मैं चाहूंगा कि इस नृशंस हत्याकाण्ड पर जिसमें मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है, सदन की शेष कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायी जाय।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जो द्विवेदी जी ने तथ्य रखे हैं, उनकी मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूं। यह हमारे शाहजहांपुर से लगा हुआ इलाका है, जहां सामूहिक नरसंहार हुआ है। पिछले 10 वर्षों से इस गांव के अन्दर 40-50 लोग मारे गये, फिर भी पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। शिवाधार कटियार के बड़े पुत्र की पिछले साल हत्या कर दी गयी थी, जिसका मुलजिम शान्ती जो 10-12 कत्लों का मुज-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिम हैं, का भी कत्ल कुछ लोगों ने कर दिया था, तभी से इस प्रधान ने जो शान्ती गिरोह का सरगना था, यह ठान लिये था कि इसका बदला शिवाधार के परिवार को साफ करके लिया जाय और पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाय, चाहे जो कुछ भी इसके लिये करना पड़े। ये सारे के सारे लोग वहां की स्थानीय पुलिस से इतना ज्यादा मिल गये कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रह गया और इसीलिए उन्होंने कानून अपने हाथों में लेकर इस परिवार की निर्मम हत्या कर दी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है। अगर वह तारीख में जाते समय रास्ते में मार दिये गये होते, तो साधारण हत्या की घटना होती, लेकिन अर्द्ध रात्रि में घर में घुस कर इस तरह से बच्चों, महिलाओं की सामूहिक हत्या करना कानून और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज कानून और व्यवस्था का बजट पेश हो रहा है। ऐसे अवसर पर यह हत्या काण्ड सरकार के मुंह पर तमाचा है। अभी चार दिन पहले रायबरेली के अन्दर सामूहिक हत्या काण्ड हुआ है और कल फर्रुखाबाद में भी हो गया। इसके पहले सिंहपुर में हो चुकी है। इस प्रकार से यह सामूहिक हत्या काण्ड की श्रृंखला में वृद्धि होती जा रही है और यह सरकार किसी भी हालत में इसे रोक नहीं पा रही है। इस तरह से जनता में बेहद असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसलिए मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं, आप इस पर केवल वक्तव्य दिलाने की कोशिश न करें।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं एक घन्टे से एक व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि हमारी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है। पहले आप हमको व्यवस्था के नाम पर सुन लें, उसके बाद नियम 56 के बारे में मेरा सवाल है, उस पर मुझको सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

जो मैं निर्णय दे चुका हूं, उसके बारे में आपको कहना है? आप मेरे निर्णय के बारे में कह रहे हैं, जो निर्णय मैं दे चुका हूं।

श्री गौरी शंकर भइया—

उस सन्दर्भ में नहीं कहना है। आपके सचिवालय से जो आपको सूचना दी जाती है...

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप नियम-56 पर बोल लीजिये, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे कार्यालय में आकर पूछ लीजियेगा। आप नियम-56 पर ही बोलें।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैंने सूचना दूसरे विषय पर दी है और फैसला दूसरे विषय पर आ गया है। यह तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में जो कठिनाई हो, उसमें मुझसे मिल लीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैंने सूचना दूसरे पर दी है और आपका फैसला दूसरे पर आ गया है। मैं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की रिपोर्ट क्यों नहीं आई इस सम्बन्ध में मैंने सूचना दी है और आपने नियम के सवाल पर चर्चा मंजूर की है। इस पर आप निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम-56 पर बुलाया है। उस पर आपको बोलना हो तो बोलें।

श्री गौरी शंकर भइया—

जो घटना उस जनपद में हुई थी, इस सन्दर्भ में एक सूचना भी आई थी। सत्यपाल जी की सूचना थी। रायबरेली में चार लोगों की हत्या कर दी गई। कल पांच लोगों की हत्या कर दी तो यह देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में परिवार के परिवार साफ करने का काम सुनियोजित ढंग से गुण्डे पुलिस से मिलकर कर रहे हैं। हत्यायें करके वह उस इलाके में घूमते रहे और एक किलोमीटर की दूरी पर थाना है। वहां के लोगों का आरोप है कि हत्यारे पुलिस के संरक्षण में ऐसे काम करते हैं। उस थाने में लोगों ने रपट लिखाना बन्द कर दिया है। जब पुलिस गुण्डों से मिलकर रपट नहीं लिखने देगी, थाने नहीं आने देगी, तो पूरे गांव के लोग रपट करने नहीं जायेंगे। मान्यवर, रायबरेली में चार लोगों की हत्या हो जाये, पांच लोगों की फर्रुखाबाद में हत्या हो जाये, तो सवाल ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब हो गई है। मान्यवर, हमारे जनपद बलिया में एक आदमी रिक्शे से जा रहा था उसको उतारकर पुलिस के दरोगा ने मार दिया, जो एस0 पी0 बना हुआ है। वह कहता है नक्सलवादी है। मैनेजर सिंह को मारना चाहता है। पुलिस से मिलकर हत्यायें हो रही हैं, कह दिया जाता है नक्सलवादी हैं, गुण्डे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज इसका बजट है, तो जो यह सुनियोजित ढंग से काम हो रहे हैं, हत्यायें हो रही हैं, इसमें वक्तव्य देने के लिए आप निर्देशित करें।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम है। दोनों में मुकदमेबाजी भी चल रही थी। दोनों परिवारों में इससे पूर्व भी हत्यायें हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन को हमने इसमें कार्यवाही करने को लिख दिया है....

श्री अध्यक्ष—

चलिये वक्तव्य के लिए स्वीकार किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में जिस मामले को सदन में उठाने की अनुमति चाही है वह गांधीवादी सिद्धान्तों और आदर्शों में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी हाल में आगरा नगर की पुलिस ने इंका के प्रमुख नेता श्री गुलशन सेठी के गोदाम 51, ताजमहल रोड पर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आगरा कैन्ट रेस्त होटल पर, अंग्रेजी शराब के ठेकेदार सत्य प्रकाश उर्फ सोफी के गोदाम 23-सी नार्थ अर्जुन नगर पर तथा सेवाला जाट स्थित एक दूकान पर छापे मारकर लगभग 10 लाख रुपये की नकली शराब ग़ैर ड्यूटी पेड शराब तथा अवैध व विदेशी शराब बरामद किया हैं। छापे में विभिन्न कम्पनियों के नकली लेबिल भी हजारों की संख्या में बरामद हुए हैं जिन पर "ओनली फार सेल इन यू0 पी0" छपा हैं। छापे में बरामद की गयी अवैध शराब की बोतलों पर लगे लेबिल "नाट फार सेल इन यू0 पी0" को हटाकर उक्त नकली लेबिल को लगाकर अवैध शराब यहां बेंची जाती थी। उक्त छापों में पुलिस को शराब की विभिन्न कम्पनी डिप्लोमेट, बैग पाईपर, मैग डोबेल, डबल डाग, आदि के भी हजारों नकली लेबिल मिले हैं। बरामद की गयी शराब का बहुत बड़ा भाग पलंग में विशेष रूप से बनाये गये सन्दूकों तथा दीवार में छुपाकर रखा गया था। दीवार पर "अन्डर रिपेयरिंग नाट फार यूज" लिखा था। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध एक्साईज ऐक्ट की धारा 60/63 कापी-राइट ऐक्ट की धारा 63 तथा भा0 दं0 सं0 की धारा 420 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया हैं और फरार व्यक्तियों की तलाश जारी हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री प्रकाश सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक श्री ए0 के0 जैन ने छापे में शामिल पुलिस कर्मियों को क्रमशः एक हजार व 250 रुपये का इनाम दिये जाने की घोषणा की हैं, लेकिन पिछले दो दिनों से कांग्रेस (आई) के नेता को बचाने के लिये सरकार पर मुकदमा वापस लेने और मामले को समाप्त करने के लिये भारी राजनैतिक दबाव पड़ रहा हैं। मान्यवर, जिन लोगों के घरों में यह छापे मारे गये, नकली शराब पकड़ी गई उनके लाइसेन्स आज तक नहीं निलम्बित किये गये। वह आज भी धड़ल्ले से जहरीली शराब बेंच रहे हैं। गांधी के आदर्शों का गुणगान करने वाली यह सरकार भारतीय संस्कृति को पुष्ट और आगे बढ़ाने के लिये, आज कहां गांधी के आदर्शों पर चल रही हैं। एक तरफ मद्य निषेध की बात हो रही हैं और दूसरी तरफ जहरीली शराब, नकली शराब 10 लाख की पकड़ी जा रही हैं, बिना इक्साइज ड्यूटी दिये हुए शराब बेची जा रही हैं। इससे कितना राजस्व का नुकसान हो रहा हैं। इन तस्करों को सरकार संरक्षण दे रही हैं। मान्यवर, इसमें मिलता क्या होगा इनको 40-50 हजार और पब्लिक एक्सचेकर का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा हैं। मान्यवर, जहरीली शराब से जगह-जगह से लोगों के मरने की सूचना आ रही हैं। यह गंभीर मामला हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि गांधी के देश में, गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार यदि यह सरकार मद्य निषेध लागू करना चाहती हैं, तो मेरा निवेदन हैं कि यह मामला लोकमहत्व का हैं अविलम्बनीय हैं, लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न हैं। इसलिए मान्यवर, इस पर सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और सदन के कार्य को रोक कर इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ग्राह्यता की यह सारी शर्तें पूरी करता हैं, इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध हैं कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराएं ताकि यह लगे कि उत्तर प्रदेश जो इस देश की आत्मा हैं और रामकृष्ण की धरती हैं और रामकृष्ण की इस धरती पर जो हम सदस्यगण बैठे हुए हैं, वे सभी इनके आदर्शों का और महात्मा गांधी के आदर्शों

का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं आदर्शों को अक्षुण्ण रखने के लिए हम यहां प्रयत्नशील हैं।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित तिवारी जी ने ठीक ही कहा कि यह सरकार राम व कृष्ण और महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरा करने के लिए ही कटिबद्ध है। साथ ही मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि सरकार की नजर में जो भी अपराधी है, वह अपराधी है, उस पर चाहे किसी भी राजनीतिक दल का लेबिल लगा हो, उससे यह सरकार प्रभावित नहीं होने वाली है। दूसरी बात मान्यवर, आपके माध्यम से अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले पर पूर्णरूप से कार्यवाही हो रही, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और हमारे आगे भी प्रयास इस ओर जारी है और जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा और हमारे रास्ते में कोई भी हायल नहीं होगा, कार्यवाही बराबर की जा रही है, इसलिए कार्य-स्थगन का प्रस्ताव इस पर नहीं बनता है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

प्रदेश के आई0 टी0 आई0 कालेजों में तीन ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है मोटर मेकेनिक, रेफ्रीजरेशन आदि। इनके प्रशिक्षण के लिए छात्रों के साक्षात्कार लिये गये और इसके बाद जो छात्र उत्तीर्ण हुए उन्हें कालेजों में प्रवेश भी दे दिये गये, परन्तु मान्यवर, शासन द्वारा इन ट्रेड्स का एप्रूवल न मिलने के कारण, उन छात्रों को प्रशिक्षण प्रवेश देने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है जिससे छात्रों में काफी रोष, एवं असन्तोष व्याप्त है और ऐसा करने से मान्यवर, सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है, इसलिए मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो सूचना अभी माननीय वर्मा जी ने दी है, इस सम्बन्ध में उन्हें मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि कालेजों में प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गयी है 30 अगस्त, 1985 तक के लिए, इसलिए इस पर कोई रोष एवं असन्तोष की बात नहीं है और इस सारे मामले पर विचार चल रहा है, जो मैं समझता हूं कि वह छात्रों के ही हित का होगा इसलिए इस मामले पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष—

बाराबंकी चीनी मिल पर बकाये के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत 5-9-85 को चर्चा लगी हुयी है और माननीय कल्यान सिंह की सूचना जो मण्डी परिषद की परीक्षाओं में हुयी धांधली के सम्बन्ध में है, की सी0 आई0 डी0 जांच की घोषणा हो चुकी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जो चर्चा आपने लगाई है, वह चीनी मिल के किसानों के बारे में है। यह दूसरा मामला है। यह बुढ़वल में जो मिल के मजदूर हैं उनका 30 लाख रु0 बकाया है। सरकार का दायित्व है कि श्रमिकों

का जो अधिकार है कि उनको समय पर वेतन, ग्रेच्युटी, फण्ड, बोनस आदि मिले।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं यह सब चर्चा में आ जायेगा। इस पर चर्चा लगी हुई है। आप जो बोल रहे हैं वह सब चर्चा में बोलेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आप कह दीजिये कि आपने इसको भी उसी चर्चा में शामिल कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—

हां, यह भी चर्चा में शामिल है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मण्डी परिषद् के घोटाले के बारे में जो दिया गया है, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दी गई है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[xxx]

श्री अध्यक्ष—

शाही जी, कुछ नहीं लिखा जायेगा। जब एक निर्णय हो गया, सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द हो गया तब आप क्या कह रहे हैं। माननीय राम सजीवन जी की सूचना पर भी चर्चा लगी हुई है। माननीय राज किशोर सिंह जी, मथुरा कालेज के बारे में आपको कुछ कहना है, कहिये।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, मथुरा जिले में एक चम्पा अग्रवाल इन्टर कालेज है, वहां पर प्रबन्ध समिति निलम्बित है, प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष निलम्बित हैं। वहां के प्रधानाचार्य एस0 पी0 गर्ग हैं। वहां पर जो निलम्बित प्रबन्ध समिति है उस प्रबन्ध समिति ने जबरदस्ती कालेज को बन्द करवा रखा है और प्रधानाचार्य एस0 पी0 गर्ग को पुलिस के द्वारा पकड़वाया और पिटवाया। उसके बाद वहां के छात्र संघ के नेता गये तो उनको भी पिटवाया और लाठी चार्ज किया। अब स्थिति यह है कि उस कालेज में पुलिस का दखल हो गया है और पूरा कालेज पुलिस की छावनी बन गया है। लड़कों का पठन-पाठन बन्द है। ऐसी स्थिति में लड़कों की जिन्दगी बरबाद हो रही है। कई अध्यापक और छात्रों की गिरफ्तारी हो गई। वहां पर स्थिति असामान्य हो गई है और लोगों को वहां पर रहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको स्थगन के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, वहां पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहां धारा 144 लगानी पड़ी और अभी भी हम इस प्रयास में हैं कि वहां पर स्थिति सुधर जाय। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समस्या है उसके समाधान का प्रयास करेंगे। मान्यवर, एक स्कूल का मामला है, कोई कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं बनता।

टिप्पणी—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने और डाक्टर दिनेश जौहरी जी ने फर्जी डाक्टरी प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में दिया था। वह नियम 301 के अन्तर्गत आज ले लिया गया है। हर नियम के अन्दर तो लिया नहीं जायेगा। नियम 301 के अन्दर ले लिया गया है।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है, वह अत्यन्त ही लोकमहत्व का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी लखनऊ नगर में 4 साल से एक ऐसा फर्जी गिरोह फर्जी प्रमाण-पत्र देकर फर्जी डाक्टरों को बनाने का काम कर रहा है, जिसके पास अनुभव नहीं है। वह झोलानुमा डाक्टर प्रदेश में घूम-घूम करके दवा देने का काम करते हैं जनता को। इससे भयंकर स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि प्रदेश में करोड़ों लोगों की जानमाल को खतरा उत्पन्न हो गया है। एक-एक हजार रुपये देकर लोग फर्जी प्रमाण-पत्र ले रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं रीजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर। कल ही उस गिरोह का सरगना पकड़ा गया है आर0 के0 पाठक नाम का व्यक्ति। वह प्रमाण-पत्र पर सीचव, रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स आफ इंडिया की हैसियत से हस्ताक्षर करता है। यह गिरोह इतना प्रभावशाली है कि शासन की नाक के नीचे बैठकर प्रदेश के अन्दर और बाहर के लोगों को फर्जी प्रमाण-पत्र देकर जान मारने का लाइसेन्स इसी सरकार की नाक के नीचे दे रहा है। यह कुछ प्रभावशाली लोगों की साजिश से प्रमाण-पत्र का कारखाना चलाया जा रहा है। इनके पास फर्जी मुहर है। फर्जी प्रमाण-पत्र की इनके पास पत्रिकाएं हैं। इन्होंने जनता की जानमाल को खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण बन गया है। केवल यह सवाल नहीं है कि उनको पकड़ लिया जाय। सवाल यह है कि लाखों लोगों को प्रमाण-पत्र दिया गया है और वे घूम-घूम करके दवा दे रहे हैं और न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गयी है। उनको कोई अनुभव नहीं है। उन फर्जी डाक्टरों को गिरफ्तार करें ताकि वे गलत दवा न दें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। शासन के संज्ञान में यह बात नहीं है और इसके लिये उसने कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उन डाक्टरों को जिनको ये प्रमाण-पत्र दिये गये हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करें कि उनसे प्रमाण-पत्र वापस ले लिये जायं। लेकिन ऐसे डाक्टरों की कोई सूची इनके पास नहीं है। असली सूची को पाठक ने मुंह में चबा कर फाड़ डाला। इसलिये यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर निश्चित रूप से चर्चा करावें। क्योंकि प्रदेश की करोड़ों जनता की जान माल का सम्बन्ध इससे जुड़ा है। इसलिये इससे अधिक लोकमहत्व का प्रश्न और नहीं हो सकता। अतः इस पर सदन को स्थगित करके चर्चा अवश्य करावें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 दिनेश जॉहरी—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में फर्जी डाक्टर बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। और हर रोज सैकड़ों की तादाद में 300 रुपये देकर फर्जी डाक्टर बन रहे हैं। मेडिकल कालेज में एलोपैथिक डाक्टर आयुर्वेदिक डाक्टर, होम्योपैथिक डाक्टर और यूनानी डाक्टरों के अलावा अब ये पांचवें फर्जी डाक्टर बन रहे हैं। ये फर्जी आर0 एम0 पी0 डाक्टर वे दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जो नुकसान देती हैं और पढ़े-लिखे डाक्टर मुश्किल से देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोई स्टेप नहीं उठा रहा है।

(एक बजकर 20 मिनट)

न इन्हें पकड़ने के लिये और न यह फर्जी मेडिकल कालेज बन्द करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है। चौधरी साहब ने पहले ही इस विषय पर काफी कुछ कह दिया है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहूंगा कि इन पर आवश्यक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, आप इस पर चर्चा करा दें सारे तथ्य सदन के सामने आ जायेंगे। यह पूरे प्रदेश में फर्जी लोग फैले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस तरह की सूचना को नियम 301 में ले लिया है। नियम 56 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र गुप्त के खड़े होने पर)

माननीय गुप्त जी, आप शिक्षा विभाग के कटौती के प्रस्ताव में काफी बातें कह चुके हैं।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह घटना उसके बाद घटी है। अगर घटना उसके बाद की है तो आप हमें हमारे अधिकारों से कैसे वंचित कर देंगे। कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कोई पाप तो नहीं किया था। 1 करोड़ 29 लाख बच्चे इससे प्रभावित हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर घटना उसके बाद घटी है तो आप कहें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और मुद्रण का एकाधिकार शिक्षा विभाग को है। अगर उसमें भ्रष्टाचार हो और घटिया स्तर की पुस्तकें छपने लगें तो 1 करोड़ 29 लाख बच्चे उससे प्रभावित होंगे। मान्यवर, शिक्षा विभाग ने 7 करोड़ के आर्डर्स बिना किसी आधार के, बिना किसी व्यवस्था के मुद्रकों को दिये। मान्यवर, पिछले वर्ष 1984 तक व्यवस्था थी कि शिक्षा विभाग जिन मुद्रकों की सूची अधिग्रहीत करता था, उनकी प्रमाणिकता के बारे में प्रिंटिंग एण्ड टेक्नालाजी संस्थान जो इलाहाबाद में है, उससे परीक्षण कराया जाता था। उसके एप्रूवल देने के बाद ही कुछ कार्यवाही होती थी। मान्यवर, पिछले वर्ष इस प्रिंटिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एण्ड टेक्नोलाजी संस्थान ने हमारे प्रदेश में 198 ऐसे मुद्रकों को डिसक्वालिफाइड घोषित कर दिया था। लेकिन, शिक्षा विभाग चाहता था कि जो डिसक्वालिफाइड घोषित हो गये हैं, उनमें से अधिकांश को यह काम दे दिया जाये। इस बार उन्होंने प्रिंटिंग एण्ड टेक्नोलाजी संस्थान से कोई एप्रूवल नहीं लिया और जो डिसक्वालिफाइड हो गये थे उनमें से 92 को मुद्रण का काम दे दिया गया। 2 करोड़ रुपये उनको दे दिये गये हैं। इस तरह से घटिया स्तर की पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं। प्रथम श्रेणी के मुद्रक भी प्रमाणित किये जाते हैं जिनके बारे में प्रिंटिंग एण्ड टेक्नोलाजी संस्थान प्रमाण-पत्र दे दे। उनसे भी प्रमाण-पत्र नहीं लिया। बहुत से मुद्रकों को ए क्लास का प्रमाण-पत्र दे दिया। एक ऐसे अधिकारी द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है, संसदीय परम्पराओं के अनुसार मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया। यह डायरेक्ट्रेट में पाठ्य पुस्तक अधिकारी भी हैं और एक दूसरा विभाग भी उनको दिया गया है। एक्सटेंशन देने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था बनी थी कि जहां पर कोई टेक्निकल मामला हो, वहां के बारे में विचार हो सकता है लेकिन मान्यवर, आप देखें पाठ्य पुस्तक कोई टेक्निकल मामला तो है नहीं। कोई भी अधिकारी इसे कर सकता है। यह 7 करोड़ रुपये का डिस्पर्समेन्ट कराया जा रहा है, यह भ्रष्टाचार का ज्वलंत प्रमाण है। मान्यवर, इस तरह से घटिया स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन होने जा रहा है, जिससे कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के छात्र प्रभावित होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अविलम्ब चर्चा करायें। हम सदन के सामने और भी इस सम्बन्ध में तथ्य रखना चाहेंगे। हम तो मान्यवर, सरकार को सहयोग देना चाहते हैं और सहयोग देने के लिये ही हमने इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में रखा है।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी यह उत्तरदायित्व शासन का है और शासन इसको हमेशा से निभाता आ रहा है कि पाठ्य-क्रम समय से चले और पढ़ने वाले बच्चों को सही मानक की किताबें और कापियां मिलें। कुछ प्रकाशकों और मुद्रकों की शिकायतें माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने कही हैं और उनकी संख्या भी 92 बताई है, वह हमें इसकी एक सूची भेज दें। हम उन्हीं की सूचना को आधार मानकर इसकी जानकारी कर लेंगे यदि कहीं गलती हुई होगी तो इसमें सुधार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो मेरी सूचना ली गई है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन जिस लाइब्रेरी का मैंने हवाला दिया है, इस तरह की लाइब्रेरी दुनिया में तीन ही जगह हैं एक काहिरा में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी और तीसरी रामपुर में। मान्यवर, रजा लाइब्रेरी की अपनी एक तालीमी अहमियत है। कुछ समय पूर्व अखबारों में भी इसकी चर्चा रही। उन दिनों यह इश्यू पार्लियामेन्ट में भी उठाया गया था। चूंकि यह मामला पार्लियामेन्ट की हदूद में पूरी तरह नहीं आता था और माननीय राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं, लिहाजा पार्लियामेन्ट ने यह कह कर डाप कर दिया कि इस मामले पर यू0 पी0 एसेम्बली में चर्चा हो सकती है। चूंकि उस समय एसेम्बली नहीं चल रही थी, इसलिए यह प्रश्न यहां पर नहीं आ सका। रामपुर की इस लाइब्रेरी में अरबी, फारसी और उर्दू की किताबों में जो नायाब नुस्खे हैं, वे हिन्दुस्तान की और किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि दुनियां भर में नहीं हैं। यह लाइब्रेरी हमारी आबरू है, कहा जाता है कि हजरत अली के हाथ का या उस जमाने का चमड़े पर लिखा हुआ बेशकीमत कुरान शरीफ है। लेकिन जिलाधिकारी, रामपुर मिसेस सुनन्दा प्रसाद ने साजिश में मिलकर इन नुस्खों को गायब कराने की कोशिश की है। यह खबर अखबारों में भी छपी। जिन किताबों को लाकर्स में रखा जाना चाहिए था, उन्हें वहां नहीं रखा गया।

मान्यवर, ये किताबें जो हिन्दुस्तान की बेशकीमत जागीर हैं इन्जजत हैं, उन्हें इस तरह से बरबाद किया जा रहा है। यह एक इम्तिहाई लांकमहत्व का प्रश्न है। मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने एक रिसीवर (ओ0 एस0 डी0) वहां पर भेजा था, सारी लाइब्रेरी को लाक कर दिया गया है, रीडिंग रूम को सील कर दिया गया है। दूसरे मुल्कों के तलबा जो वहां रिसर्च वर्क पढ़ने के लिए आते थे, वे तो उससे महरूम हुए ही, और जो हमारे हिन्दुस्तान के हजारों स्टूडेन्ट्स थे, जो रिसर्च करने आते थे, जिन्हें इन किताबों में कई नायाब नुस्खे मिलते थे, वे भी उससे महरूम हो गये हैं। रिसीवर का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। तालीमी दुनिया का यह अहम इदारा है, इसके बन्द रहते तालीमी दुनिया पर अंकुश रहेगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करवा दें कम से कम सरकार का इस पर वक्तव्य आ जाय ताकि सारी सही सूरते हाल सामने आ जाये।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो केवल आपका ध्यान ग्राह्यता की शर्तों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो सूचना दी है, इसके पक्ष में कहा है कि जो मैं सुन रहा था पार्लियामेन्ट में उठ चुका था वहां नहीं उठना चाहिए एसेम्बली में उठना चाहिए, कब लाइब्रेरी बन्द हुई? कब का मामला है? साल भर पहले से बन्द है, 6 महीने से बन्द है, दो महीने से बन्द है, कोई जानकारी न तो उन्होंने अपने भाषण में दी और न ही उनकी सूचना में है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि माननीय सदस्य खड़े होते ही अपेक्षा करते हैं कि जानकारी तुरन्त दें, कार्य-स्थगन का स्वरूप, यह आपका अधिकार क्षेत्र है, यह बना दिया जाय तो हमारे लिए भी बड़ी कठिनाई आती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां—

पार्लियामेन्ट में उठने का मतलब यह नहीं है कि असेम्बली में न उठाया जाय। मान्यवर, लाइब्रेरी बन्द है, अविलम्बनीय इसलिए है क्योंकि रीडिंग रूम, रिसर्च वर्क, किताबें, सब बन्द हैं और आज भी बन्द हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि इस तरह की केवल तीन लाइब्रेरियां ही दुनिया भर में हैं। इससे ज्यादा अविलम्बनीय कोई प्रश्न नहीं हो सकता, मेरी सूचना उस पर पूरी उतरती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूं। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है यह लाइब्रेरी केन्द्र के अन्तर्गत आती है, मैं इसे देख लूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

इसके अध्यक्ष राज्यपाल हैं, ग्रान्ट यू0 पी0 देता है . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि, मैं इस पर रूलिंग दूंगा। शेष सूचनायें मैंने अस्वीकार कीं।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 45-लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या 64-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65-सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-69 सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक उद्यम विभाग

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8 कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,64,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45-लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,06,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, जिन अनुदानों की स्वीकृति के लिये मैंने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, वे इस प्रदेश के सामान्य प्रशासन व पुलिस प्रशासन से मुख्यतया संबंधित हैं । जरा कल्पना करें कि भारत का

विशालतम प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, तहसीलों की संख्या, ब्लाकों की संख्या, जिलों की संख्या, मण्डलों की संख्या सभी को देखते हुए लगभग 12 करोड़ जनसंख्या का यह विशाल प्रदेश, जिसमें 1,12,624 गांव हैं इनमें बसे हुए करोड़ों लोग, गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर शक्तिनगर तक कुशीनगर से लेकर राजघाट तक, को प्रजातांत्रिक ढंग से संविधान के अन्तर्गत कुशल प्रशासन देने का दायित्व है । वह इन्हीं अनुदानों के अन्तर्गत स्वीकृति की अपेक्षा की है । इस विशालतम प्रदेश को प्रजातांत्रिक ढंग से प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के अन्तर्गत, संविधान की मर्यादाओं के अन्तर्गत चलाने का दायित्व जो शासन का है, उसके अन्तर्गत आज जो अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, उसको भी देखना है । आज प्रजातांत्रिक ढांचे में सर्वत्र भीतरी और बाहरी दबाव हमारे सामने आ रहा है । आतंकवाद और उग्रवाद, यह देश की अनेक ताकतों को प्रभावित करने की चेष्टा करता रहा है और आज भी कर रहा है । यह आतंकवाद और उग्रवाद कभी-कभी हमें अपने जो हमारा सामाजिक जीवन है, उसमें भी दिखायी देता है । सहिष्णुता कैसे हो जो प्रजातंत्र के लिये आवश्यक है कि एक दूसरे के विचारों को, अगर विरोध भी हो तो किसी प्रकार से शान्ति से गम्भीरता से बिना क्रोधित हुए, एक दूसरे के विचारों को सुनें, अपने झगड़ों को निपटायें । आज यह समस्या हमारे सामने है, जैसे अनेक विकासोन्मुख देशों के सामने है, यह समस्या आज भी हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है ।

श्रीमन्, इस सारी पृष्ठभूमि के संदर्भ में हमें प्रदेश के सामान्य प्रशासन को चलाना है, उसे गति देनी है । प्रशासन का कार्य केवल शान्ति-व्यवस्था ही बनाये रखना नहीं है बल्कि विकासोन्मुख देश के लिये और जो आवश्यकतायें हैं, उस ओर भी शासन को गति देनी है । एक तरफ तो शान्ति व्यवस्था और सामान्य प्रशासन जिसे रुटीन वर्क या रुटीन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसको बनाये रखना है । इसे रोजमर्रा के प्रशासन के अलावा प्रशासन को प्रदेश के विकास में भी गति देनी है जो कि हमारी योजनाओं में निहित है । इस दृष्टिकोण से मैं आग्रह करूंगा कि सम्मानित सदन के सामने जो हमारा प्रस्ताव है; वह इन पर विचार करे ।

श्रीमन्, आप देखें कि इतने बड़े प्रदेश में किस प्रकार हम जन-जन तक पहुंचें और विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित करें, यह मुख्य समस्या है । इसलिये हमने मण्डलीय मंत्रि परिषद् को समिति का आह्वान किया है । प्रत्येक मण्डल में कैबिनेट उप समिति की बैठक हो और वह समय-समय पर मिल कर विकास की प्राथमिकताओं को, उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन को देखे । हमने प्रत्येक जिले के लिये प्रभारी मंत्री नियुक्त किये हैं और उनको दायित्व दिया है कि जिले की सभी समस्याओं का गहन अध्ययन करके वे अधिकारियों से सामंजस्य करें । आज इतने बड़े प्रदेश के विकास के लिए प्रशासन में गति देने की हमारी रणनीति है जो कि जिले के प्रभारी मंत्री पर आधारित है । इसके साथ ही साथ जिला योजनाओं के माध्यम से, जिला समितियों के माध्यम से विकास में गति देने के लिये जिला योजना का निरूपण जन प्रतिनिधियों के आधार पर उनका क्रिया-

न्वयन हमारी इस रणनीति का मुख्य आधार हैं ।

हमारा यह प्रयास हैं कि जो जिला परियोजनायें हैं उनमें आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 और आई0 पी0 एस0 की जो भिन्न-भिन्न श्रेणियां हैं, उनको गतिशीलता देने के लिये हम ढांचे का विकेन्द्रीकरण अधिक से अधिक करना चाहते हैं । हमारी चेष्टा हैं कि सब शासकीय श्रेणियों का केन्द्रीकरण न हो बल्कि इनका इस तरह से समन्वित विकेन्द्रीकरण हो जिससे कि समन्वित प्रशासन चले ।

इस सदन के आशीर्वाद से जो स्थानीय निकाय हैं, उनके क्षेत्र का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय, चाहे वह ब्लाक समिति हो, चाहे क्षेत्र समिति हो, चाहे जिला स्तर की समिति हो, चाहे गांव पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे कारपोरेशन हो, चाहे सहकारिता समिति हो, चाहे मंडी समिति हो या अन्य चुनी हुई संस्थायें हों, हमारा प्रयास होगा कि उन सबके चुनाव हों और यह चुनाव करके अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के समन्वयात्मक संगठन के माध्यम से हम विकास की प्रगति की चेष्टा करें । हमारा यह प्रयास तभी सफल हो सकता हैं जब हम उत्तर प्रदेश की शासकीय समस्याओं को दलगत भावना से न देखें ।

उत्तर प्रदेश जो कि एक पिछड़ा हुआ प्रदेश हैं । इसके गांव-गांव की समस्याओं का हल हम सहिष्णुता के आधार पर करें । प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर भाईचारे की भावना के आधार पर सहिष्णु कानशेन्स में मिला-जुला आधार हो । इस प्रकार की उद्यान्तता आज विद्यमान हैं आम तौर पर जो निर्णय होते हैं, वह सर्वसम्मति से होते हैं । यह ऐसे बहुमत से होते हैं जो सभी लोगों के विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं, उसमें कार्य हो । मात्र इसी आधार पर जो सामान्य सहमति की स्थिति हैं । मैंने देखा आज श्रीमन्, जो हमारा सतर्कता आयोग हैं, भ्रष्टाचार की आज बहुत शिकायतें हैं, और भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति हैं, हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने उस पर काबू पा लिया हैं । लेकिन इसके लिए आज एक भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता हैं, उसके लिए हम सबको तैयार होना होगा ।

आज अगर हम देखें कि लोकायुक्त का जो प्राविधान हैं, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए । लोकायुक्त के सामने जो शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की, वह उनके सामने जानी चाहिए । आज सतर्कता आयोग के आंकड़ों के जाल में मैं नहीं पड़ना चाहता । जो विभागीय प्रतिवेदन आपके सामने हैं । चाहे वह सतर्कता आयोग, पुलिस एन्टीकरप्शन विभाग हो चाहे और कोई हो, इसकी रिपोर्ट आपके सामने हैं । इसको हम तेज करेंगे । जो टैप का काम हैं, उसको हम बढ़ायेंगे । बिजिलेंस के जरिये जहां-जहां भी जनता से संबंध पड़ता हैं विभागों का और जहां पर रुपयों का लेनदेन होता हैं और जहां पर भी भ्रष्टाचार की आमतौर से गुंजाइश हैं उन कार्यालयों में, जैसे सेल्स टैक्स में वहां बिजिलेंस के जरिये टैप करायी जायेगी और जो नया तरीका हैं, इलेक्ट्रानिक तरीका हैं, उनके लिए हम वह करेंगे और आने वाले वर्ष में इस कार्य को हम तेज करेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, अगर इसमें पकड़े गये तो हम सर्वसम्मति से देखेंगे कि वह इस केस में

सफल हों । कई बार ऐसा होता है, ऐसे भी विषय हैं । इस संबंध में जो भी शिकायतें हमारे पास आयेंगी, हमने इसीलिए कहा कि जो लोकायुक्त हमारा है, उनकी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायत आती है जनता से, उसको लोकायुक्त के पास भेजा जायेगा । एक तरफ ऐसे व्यक्ति वह जिन्हें कहते हैं कि फलां भ्रष्ट है, ऐसे हैं । श्रीमन्, जब लोकायुक्त का पद बन गया है और यह ऐसा कहते हैं बजाय इसके कि लोग जिम्मेदारी भी लें, जो भ्रष्ट का आरोप लगाते हैं । वह जिम्मेदारी लोकायुक्त की होनी चाहिए ताकि वह भी जरा इसके अन्दर आये, उसको दण्ड प्राप्त हो । मैं समझता हूं कि लोकायुक्त की मशीनरी जो है, उसका ऐसा इस्तेमाल करें सारे जीवन में । अन्यथा क्या होगा कि अगर हम इस प्रकार के आरोपों को बिना पुष्टिकरण के लगाते रहे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैसे अन्य विकासोन्मुख देशों में एक तानाशाही प्रवृत्तियां, फौजी शासन, ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी ।

भारत जैसे देशों में जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज भी विद्यमान है लेकिन अगर हम सारे जहां में यह कहें कि सभी बुरे हैं, इससे मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं होने वाला है और प्रजातंत्र में विश्वास को हम कम करेंगे जो कि हमारे देश के लिए किसी प्रकार से उचित नहीं है । इसलिए मैं जो आज देखता हूं कि सबसे अधिक जो आती हैं शिकायतें वह सामान्य जनता की जो ग्रीवान्सेस हैं शिकायतें हैं, वह बढ़ती जा रही हैं और वह अधिकतर जिलास्तर पर ही नहीं प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं जो केवल शिकायतें सचिवालय में आयीं वर्ष 1984 में आप देखें 2 लाख 32 हजार 610 प्रतिवेदन प्राप्त हुए, चिट्ठियों के अलावा । तो श्रीमन्, हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें कि इन शिकायतों को जिला स्तर पर ही या विभागीय स्तर पर ही अधिक से अधिक सुनी जा सके । इसलिये हम, जितने अधिकारी जिला स्तर पर हैं जिलाधिकारी से लेकर उनसे कहा है कि महीने में एक दिन जनता की शिकायतें सुनने के लिए घंटे मुकर्रर कर दें । जिससे जितनी भी शिकायतें हों, विभाग से संबंधित हों, महीने में एक दिन नीयत कर दें, जिससे लोगों की शिकायत का वहीं पर समाधान हो जाय और जो प्रभारी मंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जब वह जिले में जायें तो समय मुकर्रर कर दें । मैं इसको दरबार की संज्ञा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि वह जिले में जायें और घन्टे मुकर्रर कर दें और जो भी शिकायत आवे, वहीं अधिकारियों से मिलकर समाधान कर दें और अगर किसी में समय लगने वाला हो तो उससे कह दें कि अगले महीने में उसका निबटारा किया जायेगा, जिससे लोगों का लखनऊ का दौड़ना बन्द हो जाये और शिकायतें जिले स्तर पर ही हल हो जायें और जो शेष रह जायें जिनका यहां पर आना आवश्यक है, उनको मुझे प्रस्तुत करें ।

पब्लिक ग्रीवान्सेज को दूर करने की जहां तक बात है, मैं चाहता हूं कि तहसील का प्रशासन, जिले का प्रशासन और जो विकास का प्रशासन है, उनमें समन्वय अधिक हो । आज जिलाधिकारी का कार्य दायित्व और अधिक बढ़ गया है । भारत सरकार ने महाराष्ट्र प्रदेश के अहमद नगर

जिले में एक प्रयोग किया था कि किस तरह से तेजी से निर्णय हों । इस योजना को 12 मन्डलों के एक-एक जिले में कार्यान्वित किया जायेगा । बदायूं और फर्रुखाबाद में इसको किया गया था । अहमद नगर प्रणाली में, कलेक्टरी में काम किस प्रकार से ठीक हो, तहसील में किस प्रकार से काम ठीक हो, इसका प्रयास किया जायेगा । साथ ही साथ यह भी प्रयास होगा कि 7वीं योजना में एक जिले में यह देखा जाये कि तहसीलों के काम को और ब्लाकों के काम को कम्प्यूटर की तहत लाया जा सके । लखनऊ में एक तहसील और ब्लाक जो एक ही स्थान पर हैं, इसका प्रयोग किया जायेगा । रेवेन्यू रिकार्ड डाले जायेंगे, बैंकों का जो लेने देन है उससे संबंधित रिकार्ड को डाला जायेगा और जो भी आंकड़े हों वह भरे जायें । श्रीमन्, दूसरे देशों में जब लाभ हो सकता है, तो ग्रामीण और शहरी जनता को लाभ मिलना चाहिये । इस संबंध में एक पाइलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया जा रहा है । एक तरफ जो अहमद नगर प्रणाली है उसे जिला प्रशासन में तेजी लाने के लिये लागू करने जा रहे हैं और दूसरी ओर कम्प्यूटर का प्रयोग करने जा रहे हैं । श्रीमन्, सचिवालय प्रशासन में कम्प्यूटर का इस्तेमाल किया है और हमारा यह भी प्रयास होगा कि चीफ, मिनिस्टर कार्यालय में भी कम्प्यूटर की व्यवस्था हो जिससे एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 की जो शिकायतें आती हैं कि उनका उत्तर नहीं दिया जाता है, देर में उत्तर जाता है, कार्यवाही नहीं होती है, ठीक से जवाब नहीं मिलते हैं, मैं इसको स्वीकार संख्या में पत्र आते हैं, मेरा प्रयास होगा करती हूं और क्षमा चाहता हूं, बड़ी अगर सफल हो गया तो केवल बटन दबा-कर मालूम कर लूंगा कि कब, किस मसले पर चिट्ठी भेजी गयी थी, बटन दबाकर फैसला कर लेंगे । तो मैंने अपने डेटा प्रोसेसिंग कन्सलटेशन कारपोरेशन से कहा है कि उसको डेवलप करें, कोई तरीका निकालें । जो एम0 एल0 ए0 के पत्र हैं, उनका आधुनिक ढंग से फालोअप हो सके । तो हम शुरुआत कर रहे हैं । मैं यह नहीं कहता, लेकिन हो सकता है । मेरा विश्वास है और मैं प्रयास कर रहा हूं । श्रीमन्, जहां एक लोक सेवा आयोग का प्रश्न है . . . ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

जब कंप्यूटर हो जायेगा तो मंत्री सारे खतम हो जायेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण दत्त—

माननीय सदस्य ने क्या कहा ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जब कंप्यूटर हो जायेगा तो मंत्रियों की जो भारी संख्या है वह कम हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त—

श्रीमन्, कंप्यूटर चाहे कितने ही हों, विधान सभा की सदस्यता यही बनी रहेगी और जब विधान सभा की सदस्यता यही बनी रहेगी तो मंत्रि परिषद् के सदस्य भी उसके 1/11 होंगे । वह चाहे किसी की भी सरकार हो । 12 प्रतिशत की इजाजत है । उसमें कम्प्यूटर की जरूरत नहीं है । इस 12 प्रतिशत में कभी उनका नाम भी रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं। जब माननीय नेता सदन खड़े हैं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त—

श्रीमन्, मैं आभारी हूं आपका। मैं निवेदन कर रहा था मैंने कुछ मोटी-मोटी बातें आपके सामने रखीं। हमारे पास बहुत सी मांगें आती हैं तहसील और जिला बढ़ाने की। 57 जिले हमारे पहले से हैं। अभी कुछ जिले बनाने का प्रस्ताव बोर्ड आफ रेवेन्यू ने पहले भेजा था दो, चार, पांच जिले बनाने की सिफारिश बोर्ड आफ रेवेन्यू ने की थी। अगर जनहित में होगा तो यह प्रस्ताव मंत्रि-परिषद् में रखा जायेगा और तब हम उसमें विचार करेंगे।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद कमिश्नरी में कानपुर जैसे शहर में कमिश्नरी नहीं है। हमने यह सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि कानपुर को सिद्धान्त मानकर एक नया डिवीजन बनाया जाय।

श्रीमन्, दो-चार बातें मुख्यतः पुलिस के बारे में आती हैं। एक तो साम्प्रदायिक दंगे, दूसरे निर्बल और हरिजन वर्ग का उत्पीड़न, तीसरे महिलाओं पर दहेज के संबंध में अत्याचार और चौथे जो आज कल आ रहा है बदला लेने की भावना से प्रेरित पुराने झगड़ों के आधार पर हत्यायें। श्रीमन्, ये चार-पांच बातें ऐसी हैं डकैतियों के अलावा, ये जो मुख्य बातें हैं, ये सामने आ रही हैं। दूसरे यह कहा जाता है माफिया गैंग, जो सभी ठेकों पर हावी होना चाहता है कि ठेके भी उनको मिल जायं, उससे उनको लाभ हो, अखबार में भी उनकी खबर छप जाय और यदि उनका काम न हो तो वे धमकी भी दें। यह माफिया गैंग जो है यह राजनीति में भी सब जगह घुस जाता है। हर पार्टी की राजनीति में दखल देने की कोशिश करता है। अधिकारियों को धमकाता है, पत्रकारों को धमकाता है और चुनाव में भी उनके बकरे कुछ उनकी तरफ आ जायेंगे और कुछ दूसरी तरफ चले जायेंगे और इस तरह से सबको दबाने की कोशिश यह गैंग करता है। श्रीमन्, हमने इन सबका ध्यान रखा है कि कानून की परिधि में रहते हुए, क्योंकि शांति व्यवस्था में भी वह खतरा है इनका हमने समन्वित प्रयास किया है। सबसे बड़ी कठिनाई आज क्या है? इसे माननीय सदस्य अपने अनुभव से भी देखते होंगे कि हर चीज के दो पहलू हैं। एक पक्ष कहता है कि बड़ा अन्याय हो गया और दूसरा पक्ष कहता है कि न्याय हुआ ही नहीं और भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। इसका प्रत्येक सदस्य को अनुभव होगा। इसीलिये दूध का दूध और पानी का पानी, क्या सही है क्या गलत है, कभी-कभी इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

(इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

श्रीमन्, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसे मैं यह नहीं कहता कि संपूर्ण है इसमें कोई दोष नहीं है या पुलिस में जो लोग हैं जैसा उनका आचरण होना चाहिये वैसा है। मैं कभी दावा नहीं करता हूं। हमारी पुलिस व्यवस्था आज की नहीं है, यह व्यवस्था उस पुराने साम्राज्यवाद के जमाने से चली आ रही है। लेकिन इसी पुलिस व्यवस्था से हमें काम करना है और

जब उनकी सरकार थी तो उस समय भी यही पुलिस व्यवस्था रही है। जो स्थायी है। हम कहते हैं कि 3 साल के बाद स्थायी हो जाना चाहिये तो इस स्थायी का अर्थ यह है कि कोई शासन हो, कोई मुख्य मंत्री हो उसको इन्हीं से काम लेना है। फिर रूल आफ ला के अधीन हम उनको दंड दे सकते हैं। अगर गलत काम कोई कर रहा है तो कोर्ट और अदालत के आधार पर दंड देना होता है तो यह एक कठिनाई हमारे सामने आती है।

आपने देखा होगा कि कानून और नियम के अंतर्गत हमने प्रयास किया है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है और न व्यक्ति पर कोई आरोप लगाते हैं। जो कानून की दृष्टि से गैंग है, जिसे जिला प्रशासन ने कहा और जिसे हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट को कमेटी ने कह दिया कि इनके आरोप इतने हैं तो उन पर हमने कार्यवाही की और भविष्य में भी आग्रह करूंगा इसी प्रकार को कार्यवाही हो। जो हमारे राजनैतिक जीवन में, समाज में, ठेकों में और हमारे विकास की गति को रोक रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का हमें आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि इससे राजनीति और सामाजिक व्यवस्था खराब होती है। उसका असर हमें मालूम है जिलों में काम नहीं हो सके, जो ठेके हुए उनमें किस प्रकार लोगों को दबाया गया। इसकी कहानी आप को मालूम है।

जहां तक कौमी दंगों का सवाल है यह बड़े खेद का विषय है। यदाकदा ऐसी घटनायें हमें सुनने को मिलती हैं। अभी भी महात्मा गांधी के चरम वरदान, गणेश शंकर विद्यार्थी के चरम वरदान और हर राजनीतिक पार्टी के प्रयास के बावजूद कोई न कोई घटना हो जाती है इसका हमें दुःख है। इसमें जो प्रशासन को काम करना चाहिये, हमारी चेष्टा रही है जहां-जहां भी ऐसा हुआ, सहारनपुर में दुर्भाग्य-वश जो कुछ हुआ उस पर हमने किया है कि जहां कहीं भी इस प्रकार के कोई धार्मिक स्थान एक साथ हों जैसे सहारनपुर में हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाय और हमेशा जिले में पुलिस विभाग के जो एस0 एस0 पी0 हैं वे खासतौर पर वह उन गांवों और शहरों की लिस्ट रखें जहां पर इस प्रकार के धार्मिक स्थान हैं ताकि कोई अवांछनीय तत्व ऐसा वातावरण न पैदा करें। आदेश दिये हैं कि जहां-जहां शांति समितियां हैं वे हमेशा सक्रिय रहें ऐसा न हो कि शांति काल में उसमें कोई कमी हो जाय और जो धार्मिक त्योहार होते हैं उनमें उनकी मीटिंग होनी चाहिये उसमें धार्मिक नेताओं का और जनता का सहयोग लिया जाय। ऐसा न हो कि जब कम्यूनल राइट हो जाय तब कार्यवाही करें। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिये जायं ऐसे आदेश दिये हैं कि कोई झगड़ा न हो। यह हम सबकी चेष्टा होनी चाहिये।

इसी तरह से हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों की बात है। मैं आंकड़ों में नहीं जाता कि यह कम हो गये। इस तरह के कार्य सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप हैं, हम कब संभलेंगे? आज भी बहुत से लोग ऊंच नीच की भावना से प्रेरित हैं। हजारों सालों से ठोकरें खाने के बाद भी नहीं संभले हैं तो यह समाज में कहीं न कहीं कमजोरी है जिसे सबको मिल कर दूर करना है। जहां तक शासन का प्रश्न

हैं इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यह समाप्त हो । हम एक बात कर रहे हैं सिंहपुर-रसवल के अनुभव के बाद कि जहां कहीं किसी भी थाने में कोई एफ0 आई0 आर0 या शिकायत आती हैं, आज शिकायत आती हैं कि हरिजनों की शिकायत थानों में दर्ज नहीं होती हैं, तो प्रत्येक थाने का काम होगा कि उसकी सूचना वह जिला हरिजन सेल के एस0 एस0 पी0 को भेजेगा उसके साथ ही साथ जिला प्रशासन जो हैं वह उसकी कापी, हरिजन सेल, आई0 जी0 जो यहां हैं, उसके पास भेजेगा । मान्यवर, सिंहपुर रसवल की जानकारी जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर हरिजन सेल को पहले होती तो उसका निदान पहले ही ढूंढ़ लेते । इसलिये 57 जिलों में 100 ऐसी शिकायतें आयी हैं, तो यहां से मानेटरिंग होगी । इसलिये जहां से घटना होने की संभावना की शिकायत आती हैं, उस संभावना के आधार पर जांच की जायेगी । तो उत्पीड़न को कम करने के लिये हमने यह निर्देश दिये हैं ।

श्रीमन्, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, बड़ी खुशी हैं, एक बात अच्छी हुई कि जहां कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा, नियम 300 और नियम 301 द्वारा मालूम होता रहा हैं और कोई ऐसी घटना प्रदेश में नही बची हैं कि जिस पर यहां सदन में विवाद न हुआ हो । पुलिस प्रशासन की जो शिकायतें थीं, इन 30 दिनों में उनका एक्सरे एक नहीं दो-तीन बार हो चुका हैं । तो इससे मालूम हो गया कि प्रदेश में क्या हैं, इसलिये समय बच गया और वही बातें आज दोहराने की जरूरत नही आयेगी । चूंकि वह सभी बातें कही जा चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, वक्तव्य हो चुके हैं । लेकिन उससे हमें सबक लेना हैं । इसलिये जो कह रहा हूं वह निचोड़ हैं माननीय सदस्यों के सुझावों का । आप देखें, यह बात कही गयी थी कि पुलिस को मौका आगे बढ़ने का, अच्छे अधिकारियों को आगे बढ़ने की सुविधा नही मिली हैं, सुविधायें कम हैं, प्रबंध कमजोर हैं । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में इस वर्ष कुछ प्रयास किये हैं । पहले कुछ किया हैं कि अच्छा काम करने वाले जो हैं उनको तरक्की का अवसर मिले, इसका प्राविधान हमने किया हैं । मान्यवर, पिछले महीनों में जो हमारी तरफ से प्रयास हुआ उसमें 1300 स्थानापन्न असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को नये पद देकर सब-इंस्पेक्टर के पद पर प्रोमोट किया, 286 सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर में प्रोमोट किया, 70 इंस्पेक्टर, पुलिस को उप अधीक्षक बनाया, 70 एडीशनल एस0 पी0 प्रोमोट किये गये । श्रीमन्, इसी प्रकार महानिरीक्षक के 10 पद, डी0 आई0 जी0 के 9 पद और पुलिस महानिदेशक का एक पद बनाया हैं । तो यह सब इसलिये किया ताकि पुलिस फोर्स की क्षमता बढ़े ।

श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों ने कल और 4-5 दिनों से जो कह रहे हैं मैं उनकी बातें सुन रहा हूं कि पुलिस, कांस्टेबिल, दारोगा में क्या संबंध होना चाहिये । विश्व में यह बहुत विचार हुआ हैं कि पुलिस कांस्टेबिल ओरिएन्टेड हो या आफिसर ओरिएन्टेड होना चाहिए । श्रीमन्, यह सही बात यहां उठी । अधिकांश जो शांति व्यवस्था के पंडित हैं, उनकी राय हैं कि अधिकाधिक पुलिस को आफिसर ओरिएन्टेड होना चाहिए ताकि दिन प्रति दिन कानून पेचीदा हो रहे हैं तो उनको समझने के लिये कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल पर न छोड़ें, अधिकारी स्तर पर ऐसे लोग हों

ताकि वह कानून का निरूपण कर सकें जिससे न्याय और अन्याय के बीच जो मर्यादा है वह कायम रहे। इसीलिये आफिसर्स की संख्या पिछले सालों में बढ़ाई गयी है। इसके साथ ही हमें उनके प्रोमोशन का भी ध्यान रखना है। इसी तरह पुलिस की संख्या और प्रदेशों की तुलना में जनसंख्या के आधार पर कम है, इसको मैं मानता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा तो हमने पिछले साल प्रयास किया है और 33 कंपनियां बढ़ायी हैं और रेलवे पुलिस को भी हमने मजबूत किया है। महिला पुलिस को भी मजबूत किया है। इसमें संख्या बढ़ी है और यह भी प्रयास किया है कि अल्पसंख्यक लोग भी पी0 ए0 सी0 में आएं। हमारा प्रयास बराबर यह रहा है कि इनकी संख्या बढ़े। थानों की संख्या भी बढ़ी है और आने वाले 4-5 सालों में हमारा प्रयास होगा जैसे कई जिलों में थाना अथवा चौकियां बढ़ाने का सवाल है, वह कल भी आया था-जो डाकूग्रस्त जिले हैं 12, वहां चौकियों और थानों की संख्या बढ़ाई जाए। अलीगंज, जिला एटा के बारे में यह निर्णय लिया है हमने कि शांति व्यवस्था के सवाल को विकास के साथ जोड़ा जाए।

बहुत से जिलों में, तहसीलों में, थाना क्षेत्रों में सड़कें कम हैं, बिजली नहीं है और स्कूल नहीं है वगैरह तो उनके बारे में यह देखा गया है कि वहां पर ज्यादा डकैती पड़ती हैं। इसीलिए प्रयास यह किया जाएगा ऐसे स्थानों पर ज्यादा विकास हो, विकास को शान्ति व्यवस्था से जोड़ा जाए। इस संबंध में सदन को जानकर यह खुशी होगी कि इसके लिए हमने केन्द्र को प्लानिंग कमीशन को 390 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर दे रखी है, जिससे ऐसे पिछड़े, दुर्गम और बीहड़ स्थानों पर सड़कों की व्यवस्था की जा सके, स्कूल खोले जा सकें और एक सामाजिक क्रान्ति आ सके। जिसके फलस्वरूप हमारी शान्ति व्यवस्था भी नार्मल हो सके और प्लानिंग कमीशन के सब ग्रुप ने एक प्रस्ताव मंजूर किया है, उसकी अन्तिम सूचना तो अभी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सिद्धान्ततः उसने इसको मान लिया है। कृषि और यातायात मंत्रालय को यह दे रखा है कि उससे हम इन जिलों में क्या क्या कर सकते हैं जो जिलों में बीहड़ के इलाके हैं। इस तरह से अगर हम शांति व्यवस्था और विकास को जोड़कर चलें तो इसमें हमें आशा है कि हम अवश्य सफल होंगे आनेवाले वर्षों में। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हम इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में करना चाहते हैं। यातायात और सेफ्टी भी इसके मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण यातायात बढ़ रहा है और बढ़ते यातायात के कारण आज एक्सीडेंट्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है और वह इस कदर बढ़े हैं कि एक चिन्ता का विषय हो गया है, हमें इस पर भी विचार करना है। अतः हमने यातायात के लिए ट्राफिक पालिसी बनाई है और उसमें हमने एक यातायात निदेशक का नया पद सृजित किया है और यातायात को हम वैज्ञानिक आधार पर लाने की चेष्टा करेंगे। भारत सरकार की जो योजना है पुलिस के मॉडर-नाइजेशन के लिए, उसमें हम यातायात को भी ला रहे हैं ताकि इसका आधुनिकी-करण हो सके और बढ़ती हुई यातायात दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके।

इसके साथ हमने फायर ब्रिगेड सर्विस को भी बढ़ाया है। आने वाले वर्षों में हम इसको बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हम ट्रेनिंग पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कल भी यहां यह सवाल उठा था, तो इस संबंध में हमने एक कमेटी बनाई है मिस्टर सिंहल के चेयरमैनशिप में। कांस्टेबुल और हैड कांस्टेबुल की ट्रेनिंग कैसे होती है और बदले हुए परिप्रेक्ष्य में उसमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है और कौन-कौन से नए कानून बन गये हैं, इस सबको ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए पाठ्य-पुस्तकों को दुबारा बनवा रहे हैं और जो नए तरीके हैं स्लाइड्स और वी0 सी0 आर0 से पढ़ाने के, उनका हम वहां पर इन्तजाम कर रहे हैं। इसके साथ, क्राउड को कन्ट्रोल करना आजकल सबसे मुश्किल काम हो गया है। भीड़ पर नियन्त्रण करने के आधुनिकतम तरीकों से अवगत होने के लिए हमने अपने एक पुलिस अधिकारी को जापान भेजा है। जिससे कहीं पर यदि कोई भीड़ बहुत हिंसक हो जाए, तब भी उस पर गोली चलाने की नौबत न आए। बिना गोली चलाए भीड़ पर नियन्त्रण पाया जा सके। इसके लिए नये-नये तरीके हमें अपनाने हैं। उसके बारे में रिपोर्ट आ गई है और उसके अनुसार उन्हें हमें ट्रेन्ड करना होगा। इसके साथ पुलिस का मानवीय व्यवहार होना चाहिए। तो पुलिस की ट्रेनिंग में, कैसे व्यवहार किया जाय, जो बोलने का तरीका है वह किस प्रकार का हो, जन प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार हो, यह सारी बातें ट्रेनिंग में शामिल कर रहे हैं। इसके लिये काम शुरू कर दिया है। मैं स्वयं इस बात को देख रहा हूं। मैं तीन मीटिंगों इस बारे में कर चुका हूं और आगे भी इस काम को देखूंगा और बहुत आभारी हूंगा कि यदि हमारे साथियों का सहयोग इस बारे में प्राप्त हो सके।

श्रीमन्, जो दूसरा सुझाव समय-समय पर सदन में दिये गये हैं उन सब पर हम विचार करेंगे। आज भी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित नेता और अन्य माननीय सदस्य जो इस बारे में सुझाव देंगे मैं उनसे अवश्य पूरी तरह से लाभान्वित हूंगा। मान्यवर, लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। लोक सेवा आयोग में, बहुत सी तदर्थ नियुक्तियों के बारे में प्रश्न उठाये गये। बार-बार तदर्थ अध्यापकों और अधिकारियों के बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं कि हर बैठक में किसी न किसी रूप में यह प्रश्न सामने आये। कारण यह है कि लोक सेवा आयोग के पास कार्य इतना है कि वह समय से निर्णय नहीं ले सकते। मैं कोई आयोग की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सम्मान करता हूं लेकिन नियम ऐसे हैं कि हर मेम्बर के पास कागज जायेगा। अभी कानून बनाया गया है, मैं सदन का आभारी हूं कि सदन ने उस कानून को स्वीकार किया है जिससे कि चेयरमैन को कुछ अधिकार दिये गये हैं। हमने एक निर्णय और लिया है कि जो सबार्डिनेट सर्विसेज हैं, मातहत सेवायें हैं अभी वह पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते थे, उनका सेलेक्शन वहां से होता था तो हम सबार्डिनेट सर्विसेज के लिये एक नया कमीशन बना रहे हैं संविधान की इजाजत से। इससे पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्य हल्का हो जायगा। जो डाक्टर्स से लेकर सेल्स टैक्स अफसर, प्रोफेसर से लेकर अध्यापक तक जिनका काम पब्लिक

सर्विस कमीशन करता हूँ वह कुछ मानों में हल्का होगा ।

मान्यवर, न्यायाधिकरण जो हमारे ट्रिब्यूनल हैं उनको हम मजबूत करना चाहते हैं ताकि वह सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं और दक्षता के मामलों को देख सकें । जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन है उसने अपना परीक्षण का कार्य तेज कर दिया है । आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो हमारा इन्सपेक्टोरेट है उसने पिछले दिनों 1637 आफिसेज का मुआइना किया है । हम चाहते हैं कि यह काम और हो ताकि हमारे जो कार्यालय हैं उनकी छानबीन हो सके । हमारा प्रयास है कि आज जो नोटिंग का तरीका है, एक मामले में नोटिंग बार-बार होती है जिससे फाइनल निर्णय लेने में देर होती है । तो इस काम को, यह काम जल्दी कैसे हो, इसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन को दे दिया है । चीफ सेक्रेटरी ने इस संबंध में बैठक की है । कई बार ऐसा होता है कि विभागाध्यक्ष के यहां से चिट्ठी आती है, हमारे सचिवालय में, 3-3 बार नोटिंग होती है । फाइल पर नोटिंग नीचे से होती है फिर सेक्शन अफसर लिखता है उसके बाद फिर नोटिंग होती है, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के पास आती है तो इस तरह से फाइल में देर होती है । तो हमारा प्रयास होगा कि नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे की जाय ? कई मेजों पर फाइल जाती है जिससे देर होती है । सदन में भी इसकी शिकायत होती है तो यह सारा काम करना है, इसका निर्णय लिया है । श्रीमान्, और भी बातें हैं जिनका मैं इस समय उल्लेख करना उचित नहीं समझता हूं । मैंने सदन का काफी समय लिया कल जब फिर समय मिलेगा तो मैं चेष्टा करूंगा कि क्षमतापूर्वक उत्तर दूं । मुझे आशा है कि माननीय नेता विरोधी दल, अन्य माननीय नेता और सम्मानित सदस्य हमारी जो कठिनाइयां हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे और उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात वह जरूर हमें बतायेंगे, सुझाव देंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा ।

श्रीमन्, जो हमारे मुख्य सचिव हैं, इस बीच में उन्होंने अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, मैं भी लिखता हूं, उन्होंने सारे अधिकारियों को टैगोर की एक पंक्ति की याद दिलायी है । मैंने अपने इस भाषण में जो कुछ संक्षेप में निवेदन किया है, मैं अपने सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर हमें शासन को या शासन तंत्र को बहुत चुस्त, मजबूत, विकासशील और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करने योग्य बनाना है तो वह तभी हो सकता है जब हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता की भावना से कार्य करेंगे ।

(2 बजकर 20 मिनट)

लेकिन सबसे अधिक यह सदन जो सार्वभौम है, जिसके सामने हम सब नत मस्तक हैं, जिसमें प्रजातंत्र की सार्वभौम शक्ति निहित है, प्रत्येक सदस्य को, मुझको भी मैं मुख्य सेवक भले ही क्यों न हूं, मुख्य मंत्री का मतलब मुख्य सेवक है अस्ताचल में अस्त होते हुए सूर्य ने यह कहा कि सायंकाल की वेला में मेरी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए कौन तैयार है, मैं कल प्रातः फिर आऊंगा तो गम्भीरता छा गयी वातावरण में तो एक दीप, एक मिट्टी का दीपक सामने आया उसने कहा कि हे सूर्य

दे'वता चिन्ता न कर', मैं अपनी सारी न्यून-ताओं को लेकर हाजिर हूं प्रकाश की ज्योति दिये । तो मार्ग कठिन है, संविधान को निभाना कितना मुश्किल है, लेकिन यह सब कठिनाइयां हल्की हो सकती हैं एक विश्वास के साथ आत्म विश्वास के साथ, एक ऐसा वातावरण बनायें, जिससे प्रशासन को काम करने में अपनी जिम्मेदारी को निभाने में एक अवसर मिल सके, प्रदेश को आलोकित करें और देश को अंध-कार से प्रकाश की ओर ले चलें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 8-कार्मिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया भर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 17-गोपन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 25-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 36-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 45-लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 64-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 65-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 69-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनु-दान संख्या 70-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

सभी अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज मैं केवल औपचारिकता मात्र अपना भाषण शुरू कर रहा हूं । पहले ऐसी परम्परा थी कि सदन में जो चर्चा

होती थी माननीय सम्मानित सदस्य या नेता विरोधी दल के सुझाव, जो दिए जाते थे, आलोचना होती थी, सहर्ष स्वीकार की जाती थी और उसके बाद कार्यवाही को देखकर अमल भी किया जाता था, लेकिन मान्यवर, अब कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कितने ही माननीय सदस्य चाहे वह इधर के हों चाहे वह उधर के हों शासन की आलोचना या कोई आलोचना उठाते हैं, तो सरकार प्रतिष्ठा का सवाल उठाकर कार्यवाही नहीं करती है। जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतने विशाल उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की, वहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1947 में देश आजाद हुआ था, तो प्रशासन के मामले में हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों से कुशल प्रशासन उत्तर प्रदेश का माना जाता था। लेकिन आज मान्यवर, एक तरफ जहां आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ा है वहीं दूसरी तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचार में हमारा प्रदेश बहुत आगे पहुंच रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। संसदीय लोकतंत्र में जो सरकारी मशीनरी है, जो मन्त्रिमंडल है उस पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। प्रशासन कैसा हो, उसकी कार्य-कुशलता पर निर्भर करता है। निष्पक्षता पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल निष्पक्ष हो या कार्य कुशल हो, तो उसका प्रभाव मान्यवर, सरकारी मशीनरी पर पड़ेगा। इसलिये मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि जानबूझ कर, कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी को, चाहे कोई भी मुख्य मंत्री हो उसका पिछला राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत ईमानदारी, कार्यकुशलता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की क्षमता, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिये और इस प्रकार की सिफारिशें कई प्रशासनिक सुधार आयोगों ने भी की हैं, यहां तक पिछले प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि मुख्य मन्त्री को अपने निजी आचरण से लोकाचार में प्रदेश के सामने आदर्श कायम करना चाहिये मैं पिछले वर्षों में 1980 से 1985 तक जो कांग्रेस का शासन रहा है उसका जिक्र करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मन्त्रियों ने अपने निजी आचरण से लोकाचार के आदर्श कैसे प्रस्तुत किये हैं। 1980 से 1985 तक तीन मुख्य मंत्री प्रदेश में हुए। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह उनके शासन की उपलब्धि थी सामूहिक हत्यायें, फर्जी मुठभेड़ और इस प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को दस्यु प्रभावित घोषित करके आतंकवाद के साम्राज्य की स्थापना करना। लोकतंत्र की सरकार में मान्यवर, हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में, निरीह निर्दोष लोगों पर इतने जुल्म कभी नहीं हुए, जितने विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में हुये। फिर दूसरे मुख्य मंत्री आये श्री श्रीपति मिश्र, उनकी उपलब्धि थी कुछ काम न करो गल्ती नहीं होगी। उनकी दूसरी उपलब्धि थी अल्पसंख्यक महिला के नाम के मकान को अपने बेटे के नाम करा गये। दूसरी, उनकी उपलब्धि थी जो राजनीति में काम करने वाले विरोधी दल के लोग थे उनको झूठे और संगीन केसों में फंसाना। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जातिवाद को बढ़ावा देना।

मान्यवर, तीसरे मुख्य मंत्री तिवारी जी आये। जो पिछली सरकार की अक्षमता

थी, भ्रष्टाचार था, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिये तिवारी जी मुख्य मन्त्री बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजे गये। मान्यवर, तिवारी जी की उपलब्धि क्या रही। तिवारी जी आये लोक सभा चुनाव से पहले इस प्रदेश में सामूहिक नरसंहार, एक वर्ग के सैकड़ों लोगों की हत्या की गई और लूटा गया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि तिवारी जी की रही। कानपुर, बनारस, गाजियाबाद और हलद्वानी में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। उसमें हम लोगों ने मामूली सी मांग जांच के लिए की थी और यह मांग इसलिये की थी कि संगठित हिंसा में पुलिस और सत्ता पक्ष के लोगों की साजिश थी। विपक्ष के सारे लीडरों ने मांग की थी, हमने चिट्ठी लिखकर भेजा, लेकिन जांच करने के लिये तैयार नहीं हुये। जब अकाली दल के साथ घुटनाटेक समझौता होता है तो कानपुर की न्यायिक जांच स्वीकार कर ली गयी। जब हम मांग करते हैं तो अनुचित और जब केन्द्र सरकार जांच कराती है तो ऐतिहासिक आवश्यकता। ऐतिहासिक आवश्यकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब शान्ति व्यवस्था प्रदेश की राज्य सूची का विषय था तो केन्द्र सरकार को जांच नहीं कराना चाहिये था, इस सरकार को जांच कराना चाहिये था, यह असंवैधानिक है और प्रदेश की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। जब कानपुर की जांच हो रही है तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ की क्यों नहीं, बनारस की क्यों नहीं, गाजियाबाद की क्यों नहीं और जहां से आप पार्लियामेन्ट के मैम्बर रहे, विधान सभा सदस्य हैं, संगठित हिंसा हुई, हलद्वानी की जांच क्यों नहीं हुई। मेरी मांग है कि उनकी जांच होनी चाहिये। मेरा आरोप है पुलिस और सत्ता पक्ष के लोगों ने मिलकर संगठित हिंसा की है। इसकी जांच करायें, बात साफ हो जायेगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आचरण के सम्बन्ध में। मंत्रिमण्डल का गठन हुआ है तिवारी जी के द्वारा इसमें अक्षम और अयोग्य मंत्रियों को मंत्रि मंडल में लिया गया इसमें कुछ गूंगे हैं कुछ बहरे हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते जवाब आता नहीं बढ़कर आयेंगे नहीं। इसलिये मैंने कहा था कि यदि आप कुशल प्रशासन चाहते हैं तो राजनीतिक जीवन कैसा था इसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता निर्णय लेने में सक्षमता सब चीजों पर विचार करके मंत्रि मण्डल बनायें। कोई गलतफहमी न हो इसलिये आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है गरिमापूर्ण है। मेरी नजर में मंत्रियों से कहीं श्रेष्ठ है स्पीकर का पद। लेकिन मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा था गलतफहमी न हो माननीय स्पीकर महोदय जो आज हैं वह स्पीकर नहीं बनना चाहते थे वह मंत्री बनना चाहते थे और मंत्री के रूप में उनकी छवि कुशल प्रशासक एवं ईमानदारी की थी लेकिन उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया गया और उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पीकर बनाया गया। मान्यवर, मंत्रिमण्डल का गठन करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विवेक से काम नहीं लिया, जिसका नतीजा आज उत्तर प्रदेश भोग रहा है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त को इस शासन ने बिलकुल शक्तिहीन और प्रभावहीन

बना दिया है इसीलिए जब भी यह किसी मामले को लोकायुक्त के सुपुर्द करने की बात मुख्य मंत्री जी करते हैं, तो हम लोगों के मस्तिष्क में स्वतः यह बात आ जाती है कि इस भ्रष्टाचार के मामले को यह टालना और छिपाना चाहते हैं। मान्यवर, आप देखें कि इस लोक आयुक्त ने कई अधिकारियों एवं मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट दी, उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही हुयी, सारे के सारे मामले दबा दिये गये। इसीलिए मान्यवर, अब जनता का विश्वास इस पर से हट गया है। एक और बात मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कंधों पर पूरी तरह से दिल्ली बैठी हुयी है। दिल्ली के बिना इनके यहां कोई काम हो ही नहीं सकता। इस बात को आपने आज भी अखबारों में पढ़ा होगा और इससे पहले भी कई बार। इनके यहां विभाग बटेंगे तो दिल्ली से, मंत्री बनेंगे तो दिल्ली से, वैसे माननीय मुख्य मंत्रीगण को हर स्थान पर इस आशय के अधिकार होते हैं। मान्यवर, आप देखें कि आज कल विधान सभा चल रही है लेकिन दिल्ली में माननीय मुख्य मंत्री जी को सांसदों ने हाजिरी के लिए बुलाया है, ताकि आपका पूरा प्रशासन कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा की जायेगी। जैसा वह ढोल बजाते हैं वैसा ही यह गाते हैं, किसी में हिम्मत है जो इसे रोक सके। (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं अनुरोध करूंगा दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, तो उसमें हस्तक्षेप न किया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मंत्रि मण्डल गठन करने का पूरा अधिकार है लेकिन लोकतंत्र का यह तकाजा भी है की अच्छे लोगों के हाथों में सत्ता सौंपे, लेकिन आज दिल्ली इनको कोई काम नहीं करने दे रही है और यह उसी का नतीजा है कि आज यहां भी हर निर्णय हर फैसला और हर मामला दिल्ली की हो तरह हो रहा है। इसका जीता जागता सबूत हमारे आपके सामने है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आज दर्जनों विभाग हैं, क्यों नहीं दे देते दूसरों को इसीलिए नहीं देते कि इनकी नजरों में कोई दूसरा इस योग्य है ही नहीं। इससे मान्यवर, प्रदेश को कई नुकसान हो रहे हैं। एक तो यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास विभागों के अंबार होने की वजह से वे बेचारे 12-12 बजे 1-1 बजे तक सेक्रेट्रीज के साथ लगे रहते हैं, फिर भी समस्त विभागों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है भ्रष्टाचार की कि माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तरह से अपने विभागों को चेक नहीं कर पा रहे हैं, पूरी सतर्कता के साथ उनकी निगरानी नहीं हो पा रही है और फिर दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी खूब पनप रहा है। मान्यवर, मैं आगे बताऊंगा उदाहरण देकर प्रमाण रूप में। माननीय मुख्य मंत्री के पास दर्जनों विभाग होने के कारण कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता है।

लोक सेवा आयोग के बारे में मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के सामने एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

मुझे आश्चर्य है कि संसदीय परम्पराओं के सबसे बड़े ज्ञाता और सांविधानिक जानकारी रखने वाले मुख्य मंत्री जी ही सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । लोक सेवा आयोग के 1964-65 के जो मामले हैं, अब नजर में आये हैं, 20 साल बाद और यह पुस्तिका छपी है सन 1981 में और मिली है इस वक्त जब सामान्य चर्चा होने जा रही है 1985 में । अब पता चला है जब कि नियम है कि संविधान की धारा 323(2) के अनुसार लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रति वर्ष आनी चाहिए और वह राजप्रमुख या राज्यपाल के समक्ष और जो राजप्रमुख मुख्य मंत्री होंगे वह यह रिपोर्ट देंगे और अगर कोई चयन हुआ है तो उसकी पूरी रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । यह सबसे बड़ा संवैधानिक उल्लंघन और अपने पद का भी उल्लंघन धारा 323(2) के अन्तर्गत किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 323 खण्ड (2) में उल्लिखित है कि—

"राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे । ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथा-स्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में यदि हों, जिसमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा ।"

यह मान्यवर, संविधान की धारा 323(2) का पूर्णतया उल्लंघन है । मान्यवर, बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो परीक्षा हुई थी 1964-65 में उनका नतीजा 75-76 तक आया और किसकी नियुक्ति हुई, किसने स्वीकार किया और कैसे नियुक्ति हुई यह आज तक पता नहीं चला । उन तीन परीक्षाओं जिनके संबंध में परीक्षाफल प्रतिवेदनाधीन वर्ष में घोषित किये गये, के सम्बन्ध में रिक्तियों की कुल संख्या 399 थी, जो बाद में बढ़कर 440 हो गई ।इन रिक्तियों के लिए 432 अभ्यर्थी संस्तुत किये गये परन्तु वर्ष के अन्त तक उनमें से किसी एक का भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया । दूसरा मान्यवर, आप देखेंगे कि उसी वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या 75 थी (बाद में बढ़ कर 81) तथा 7 (बाद में बढ़ कर 9) हो गयी थी, इन रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 81 व अनुसूचित जन जाति के लिए 4 अभ्यर्थियों को संस्तुत किया परन्तु प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक उनमें से किसी एक भी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए । मान्यवर, यह मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं । यह इसी प्रतिवेदन में पृष्ठ 6 पर यह रिपोर्ट है ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी पुस्तिका में यह दिया हुआ है कि 1071 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश 1964-65 से लेकर 1974-75 के बीच जिनके परीक्षाफल घोषित किये गये उनके वर्ष के अन्त तक नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित रहे । यह अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्हें आयोग ने अपने द्वारा ली गयी परीक्षाओं के आधार पर पिछले वर्षों में नियुक्ति हेतु संस्तुत किया था । मान्यवर, अभी तक क्या रिपोर्ट है । कितने वर्षों के बाद रिपोर्ट मिल रही

हैं। इससे यह साफ है कि विभागाध्यक्ष के मनमाने लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी तो स्वीकार होगा, नहीं तो नहीं जी हुजूरी करने वाले, चापलूसी करने वाले लोग होंगे तो नियुक्ति होगी। मैं इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। हो सकता है कि परम्पराओं और मर्यादाओं के खिलाफ जाते हों, लेकिन लोक सेवा आयोग का मामला है, इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। विधान परिषद में सचिवालय में मार्शल के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार किया और आयोग ने इस व्यक्ति की संस्तुति की, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी। इसी प्रकार विधान परिषद में ही सचिव के पद के लिए एक अधिकारी को काफी अरसे तक नियुक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ी और हाईकोर्ट में जाना पड़ा, तब उसे नियुक्ति मिली थी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल, दूसरे सदन की चर्चा न करें तो ठीक होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैंने मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही यह उदाहरण दिया है। यदि यहां चर्चा नहीं हो सकती तो लोक सेवा आयोग से बाहर कर दीजिये उस पद को। आपने रूलिंग दी है तो स्वीकार्य है। [x x x]। मुख्य बात यह है कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार किस सीमा तक है। लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिए 200 नम्बर रखे गये हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लिखित परीक्षा में टाप करने वाले एक लड़के को साक्षात्कार में 200 में से केवल 17 नम्बर मिले, जब कि लिखित परीक्षा में वह टाप है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह से मान्यवर, मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए संस्तुति करें कि उसमें 200 नम्बर की जगह केवल 100 नम्बर रखे जायें साक्षात्कार के लिए। एक लड़के ने लिखित परीक्षा में टाप किया और साक्षात्कार में उसे 200 में से केवल 17 नम्बर मिले। वहां पर खुले आम बेइमानी और भ्रष्टाचार है।

आगे सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की बात है। इसकी कार्य प्रणाली के बारे में दोबारा कहना चाहता हूं। वैसे बजट पर सामान्य चर्चा में इस पर विस्तार से बोल दिया था। पिछले साल इस पर ढाई अरब का घाटा था। लगभग 40 अरब की पूंजी लगी है। लेकिन उसके तहत जो नजरिया है कि लाभांश 10 प्रतिशत मिलना चाहिये, यह बराबर घाटा दे रहा है। इसका क्या कारण है। बताना चाहता हूं। निगमों के अध्यक्ष पद पर अवकाश प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। उन अधिकारियों को जिनकी छवि अपने समय में अच्छी नहीं रही है। सत्ता पक्ष के पास ईमानदार लोगों का अभाव है। अगर ईमानदार अधिकारियों का अभाव है तो वहां पर जनता के लोगों को रखना चाहिये। आपकी नजर में कोई विधायक अगर ईमानदार हो तो उसे रखना चाहिये। मैं विधायकों को नहीं कह रहा हूं, सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन

टिप्पणी—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपने अवकाश प्राप्त अधिकारियों को ये निगम सौंप दिये। आपके एग्रो के चेयरमैन हैं के0 डी0 शर्मा। सारा प्रदेश जानता है कि के0 डी0 शर्मा ने 80-81 के बीच में कुछ जिलों में एक जाति को सामूहिक नष्ट करने का संकल्प किया था। दूसरे कौन हैं आगरा में मण्डलीय विकास निगम के अध्यक्ष श्री ओंकार शर्मा। तीसरे कौन हैं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री मुंशी सिंह संत। यह आपकी कार्य प्रणाली है। अगर आपको अधिकारियों को ही रखना है तो ईमानदार अधिकारियों को रखिये। या आप अपनी ही पार्टी के अच्छे विधायकों को इसमें रख लीजिये। हमारी पार्टी के लोगों को तो आप नहीं रखोंगे। आप अपनी ही पार्टी के ईमानदार और योग्य विधायकों को उसमें स्थान दीजिये। आप इस तरह से हर जगह उन लोगों को बिठा रहे हैं जिनकी छवि पहले से ही अच्छी नहीं है। इन निगमों को इसी उद्देश्य से बनाया गया था ताकि प्रदेश का विकास हो। आप सार्वजनिक हित में अच्छे ईमानदार लोगों को इसमें लाइये।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि इस सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों में कुंठा अधिकारियों और कर्मचारियों में बनी हुई है। 6 साल हो गये नियमावली नहीं बना पाये हैं। इसके अतिरिक्त यहां के श्रेणी 3 के लिपिक संवर्गीय समस्त कर्मचारियों ने अन्य विभागों में रोजगार पाने के निमित्त सामूहिक रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांग कर विभाग छोड़ देने का फैसला किया है। मान्यवर, यहां पर टैक्निकल लोग होने चाहिए, जो पूर्ण रूप से दक्ष हों, उनको वहां रहना चाहिये। आपने उप निदेशक (कार्मिक) उप निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (वित्त) यह अधिकारी नियुक्त किये हैं। मैं इनकी शैक्षिक योग्यता में नहीं जाना चाहता लेकिन इनको टैक्निकल ज्ञान तो नहीं है। ऐसे टैक्निकल लोगों को रखे ताकि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों का भली प्रकार कार्य हो सके।

मान्यवर, सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उनका समुचित संवीक्षण करने के लिये सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों में सुधार हेतु 4 सुझाव मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। एक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो केन्द्र सरकार एवं अन्य अधिकांश प्रादेशिक सरकारों की तरह वित्त विभाग का ही एक अंग होना चाहिये। दूसरे सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों द्वारा निगमों में किये गये समस्त कार्यों की प्रशासनिक रिपोर्ट निगमों की संयुक्त वार्षिक बैठक की रिपोर्ट के साथ बजट सत्र में नियमित रूप से रखी जाया करे। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सालाना बजट जब यहां पेश होता है, उसमें उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। तीसरे, इस विभाग को जो निगमों का मासिक, त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण नियंत्रित रूप से कर रहा है, को सार्वजनिक क्षेत्र की हानियों के प्रति सीधा उत्तरदायी बनाया जाय, भले ही इस विभाग को कुछ और अधिकार देने पड़ें। अन्त में मान्यवर, चौथा सुझाव जो काफी महत्वपूर्ण है, वह यह कि निगमों में अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के पदों पर तैनात प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विलीनीकरण पर सरकार विचार करे। एक दो

वर्ष के लिये आई0 ए0 एस0 अधिकारियों का निगमों में आना, और पुनः प्रदेश के अन्य विभागों में चला जाना एक ऐसी विषम स्थिति पैदा कर देता है, जिसके कारण निगमों में किसी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। कम से कम 5 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी किसी निगम में रहे ताकि उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। मान्यवर, अगर आप इन पर ध्यान दें तो यह सार्वजनिक उपक्रम लाभकारी हो सकते हैं।

मान्यवर, मैं अब आपके माध्यम से सामान्य प्रशासन पर आ रहा हूं। इनके जो सचिव हैं, इनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं यह सचिव किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं रहे। मान्यवर, यह आपके सचिव अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गये हैं। आपको मुअत्तल करने का अधिकार है नहीं, केन्द्रीय सरकार को आपको लिखना पड़ता है। अब नियम भी ऐसे बना दिये गये हैं कि उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गयी है। नतीजा यह निकल रहा है कि वे शक्तिशाली हो गये हैं और अगर कहीं अयोग्य मंत्री मिल गया या विषय का कम जानकार मंत्री मिल गया, तो यह वास्तव में प्रशासन बन जाते हैं। आपको यह बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन यह वास्तविकता है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं उन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की योग्यता और कार्यकुशलता का। पिछले दिनों दिल्ली में मुख्य सचिवों की एक बैठक हुई थी कि किन-किन विभागों में कितना भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय सोचे जायं। आज तो मान्यवर, भ्रष्टाचार दिन के प्रकाश की तरह सबके सामने है। इस प्रकार की मीटिंग करके आज आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की योग्यता और कार्यकुशलता के सामने प्रश्नचिन्ह लग गया है। जनता से इनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। इस मीटिंग के बाद मुख्य सचिव ने किस विभाग का परीक्षण करवाया और कहां पर कितना भ्रष्टाचार निकला और कितने लोगों को उत्तरदायी ठहराया और किसको क्या सजा दी। आज ये आई0 ए0 एस0 अधिकारी किसी के जवाबदेह नहीं हैं। मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर अपना उत्तर देंगे तो इन सब बातों को बताने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर, सारे अधिकार आई0 ए0 एस0 ले रहा है और पी0 सी0 एस0 का मनोबल तोड़ा जा रहा है, उसमें आज कुण्ठा की भावना घर कर गई है, जो असली माने में मेहनत करते हैं। एक आई0 ए0 एस0 जो 6 साल बाद कलेक्टर हो जायेगा और 16 साल के बाद कमिश्नर हो जाता है लेकिन अब कोई भी पी0 सी0 एस0 अधिकारी कमिश्नर नहीं बन पायेगा। बड़ी मुश्किल से टकरू साहब कमिश्नर बन गये थे। जहां कार बंगला आदि सुविधायें मिलती हैं, उन सब पर धीरे-धीरे अधिकार आई0 ए0 एस0 का होता जा रहा है यदि यही स्थिति रही तो पी0 सी0 एस0 भी मेहनत कम करना शुरू कर देगा और उसकी ईमानदारी में भी कमी आ जायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले जो 25 परसेन्ट पी0 सी0 एस0 का आई0 ए0 एस0 में प्रमोशन रखा गया था, जिसे श्रद्धेय

चौधरी साहब ने 25 से बढ़ाकर 33 परसेन्ट कर दिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा आपको सुझाव हैं कि आप इसे 50 परसेन्ट कर दें। एक साल के लिए विकास के काम में तैनात कर आप उसे 6 साल बाद जिलाधिकारी बना देते हैं, मेरा सुझाव हैं कि कम से कम 10 साल तक काम करने के बाद आई० ए० एस० अधिकारी को जिलाधिकारी बनायें।

आज जिलों की क्या हालत हैं। अनुभवहीन और संयम से काम न लेने वाले अधिकारियों की वजह से आज जिलों में अनेक समस्यायें हो रही हैं। माना समय दे देते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करें। किस दिन नहीं सुनते, रोजाना सुनते हैं लेकिन होता क्या हैं। जनप्रतिनिधि भी मिलते हैं, जनता भी मिलती हैं, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा हैं। समय निश्चित कर दिया जाय। जिलाधिकारी रोजाना मिलते हैं लेकिन भीड़ यहां आपके पास, मेरे पास आती हैं, यहां भीड़ जुटी रहती हैं, क्यों, क्योंकि जिलाधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने प्रतिनिधियों से कहें, हम भी कहेंगे, लोग जिले के अधिकारियों से मिलें और वह अधिकारी काम करे। उसके बाद भी अगर यहां आते हैं तो इनसे पूछिये कि क्या वे जिलाधिकारी, एस० डी० एम० आदि से मिले थे। जवाब मिलेगा कि एक बार नहीं दसियों बार लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वरना तीन-चार सौ कि० मी० दूर यहां लखनऊ न आते। इसलिए मेरी राय हैं कि कम से कम 10 साल के उपरान्त ही यह डी० एम० बनाये जायें।

सारा का सारा प्रशासन ठप्प हो रहा हैं। इसका कारण हैं नियुक्तियों तथा ट्रान्सफरों में पक्षपात तथा जातिवाद। महत्वपूर्ण जगहों पर आज अधिक से अधिक कौन हैं, किस जाति के आफिसर हैं, उसके आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। आज इतने साल हो गये अनुसूचित जातियों की आरक्षण की उपेक्षा लगातार की जा रही हैं। पिछड़े लोगों को तो आप के शासन में दूसरे नम्बर का नागरिक माना जाता हैं। लेकिन जो हरिजनों का आरक्षण था उसको भी पूरा नहीं किया गया। आपके सामने कहना चाहता हूं प्रमाणित करने के लिए रख रहा हूं और मुख्य मंत्री के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जो कारण थे, जातिवाद जो पनपा था, दिल्ली की सरकार के जो प्रमुख थें उनके दिमाग में यह बात आ गई थी कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद फैल रहा हैं। यह खबर उनकी हैं जो आपके बहुत खास थे। जब तिवारी जी आये तो मैं आशा करता था कि यह समाजवादी रहे हैं, बहुत ही निष्पक्ष हैं उनके जमाने में जातिवाद मिटेगा, हरिजनों, कमजोर लोगों को न्याय मिलेगा, यह बात मैं दिल से कह रहा हूं मेरा यह आरोप नहीं हैं कि आप उपेक्षा करना चाहते हैं या काम करना नहीं चाहते हैं, आप ईमानदारी से उन को अधिकार देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं लेकिन ईमानदार होना ही काफी नहीं हैं। इससे बढ़िया हैं लोगों की नजरों में आप ईमानदार हों, यह ज्यादा जरूरी हैं। दिनांक 1-1-83 को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण की स्थिति यह थी कि प्रथम श्रेणी में कुल 6155 पद थे और अनुसूचित जाति की संख्या थी केवल 348 (6 प्रतिशत)।

द्वितीय श्रेणी में 21363 पद थे और अनुसूचित जाति के थे कुल 1397, (6.53 प्रतिशत)। तृतीय श्रेणी में कुल संख्या है 4,23,149, इसमें अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, कर्मचारी थे 54,616 यानी 12.9 प्रतिशत।

इसी तरह 1 जनवरी, 1983 को उत्तर प्रदेश के जो सार्वजनिक निगम हैं उनकी स्थिति बताना चाहूंगा। प्रथम श्रेणी में अधिकारियों की कुल संख्या थी 2510, उसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 67 यानी 2.6 प्रतिशत। द्वितीय श्रेणी में अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या थी 4818, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या थी 141 यानी 2.9 प्रतिशत। तृतीय श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या थी 1,06,402 इसमें अनुसूचित जनजाति के थे 8862 यानी 8.3 प्रतिशत। चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या थी 83,393, इसमें हरिजन एवं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या थी 13,807 यानी 16.6 प्रतिशत। 35 साल की आजादी के बाद यह हालत है हरिजनों के आरक्षण की जबकि हरिजनों की हिमायती यह सरकार बनी है। हरिजन भाई बैठे होंगे वे समझ लें अपने आप।

सचिवालय में आरक्षण की स्थिति देख लें। 1983 के अनुसार विभिन्न संवर्गों की स्थिति इस प्रकार है। संयुक्त सचिव 6 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है। उप सचिव 27 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है। अनुसचिव 57 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 11 है। अनुभाग अधिकारी 316 हैं, जिसमें हरिजनों की संख्या 25 है। निजी सचिव (विशेष ग्रेड) 5 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है, निजी सचिव (ग्रेड 1) 21 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है, निजी सचिव (ग्रेड 2) 106 हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 2 है। यह हालत है। इससे बड़ी और इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी इस सरकार के लिये हो नहीं सकती। जब आप अधिकारियों के साथ न्याय नहीं दे सकते हैं तो इस जाति के लोगों को न्याय नहीं दे सकते हैं। संविधान लागू होने के 35 साल बाद हरिजनों की यह हालत है। इसी तरह से आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पदों पर कितना पक्षपात है और कितना घोर जातिवाद है। आप इस बात से परिचित हो जायेंगे कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि योग्य अधिकारी हैं, कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं और दूसरी जाति का है तो उस जाति का होने के कारण नियुक्ति नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो इससे ज्यादा कोई दूसरी शर्म की बात नहीं हो सकती. मैं रख रहा हूं। इसलिये रख रहा हूं कि मैंने शुरू में कहा था कि औपचारिकता होगी मेरे भाषण में यहां, शायद माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर अमल करें। पहली सरकार ने जो किया था उसी के अनुसार आज भी है। मैं आपके सामने अपनी बात की पुष्टि में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सचिव के पदों की कुल संख्या 35, इसमें एक ही जाति के पदों की संख्या 14 है तथा हरिजन, मुसलमान और पिछड़े वर्ग के सचिवों की संख्या 4 है। एक ही जाति के लोगों की संख्या 14 और अल्प संख्यक हरिजनों की संख्या सिर्फ 4 है।

इस तरह से आप देखेंगे कि इस समय

प्रदेश में 35 आई0 ए0 एस0 सचिव हैं उनमें से एक ही जाति के 14 लोग हैं और हरिजन, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग की संख्या 4 है। शेष अन्य जाति के अधिकारी हैं। इससे साफ भ्रम होता है और सोचना पड़ता है कि इनका संकल्प क्या है ? इनकी नीति क्या है ? ऐसा नहीं है कि सचिव पद के लिए अन्य अधिकारी योग्य नहीं हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 55 आई0 ए0 एस0 अधिकारी सचिव पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता रखते हैं। आप देखें कि 57 जिले हैं मैंने आपके विभाग से जानकारी मालूम करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वह जानकारी नहीं दी गयी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर बतला रहा हूं कि 16 हरिजन अधिकारी हैं जो कि सचिव पद की योग्यता रखते हैं उनमें से केवल 3 ही सचिव पद पर नियुक्त हैं इससे इस बात का भ्रम भी टूटता है कि अन्य जातियों के अधिकारी उपलब्ध न होने से ही एक जाति विशेष के ज्यादातर अधिकारियों को सचिव के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है।

जिलाधिकारियों की नियुक्तियों में भी यही हालत है। इस समय 20 जनपदों में 20 जिलाधिकारी एक ही जाति के हैं। 10 हरिजन और 3 मुस्लिम और 1 पिछड़े वर्ग के जिलाधिकारी इस समय कार्यरत हैं। इस प्रकार प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या से सम्बन्ध रखने वाले जिलाधिकारियों की संख्या 14 है जबकि 9 प्रतिशत जनसंख्या से सम्बन्धित जिलाधिकारियों की संख्या 20 है। आप कैसे प्रदेश को मजबूत करेंगे ? इतने बड़े जनसमूह को असन्तुष्ट रख कर, उनके साथ भेदभाव करके आप देश को या प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जिन अधिकारियों को बड़े पद मिल गये हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 80 सैकड़ा लोगों की उपेक्षा करके आप प्रगति नहीं कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी पद हेतु योग्यता रखने वाले आई0 ए0 एस0 संवर्ग के 141 अधिकारी उपलब्ध हैं जिनमें से 37 अनुसूचित जाति के हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं। इन 40 में से केवल 11 जिलाधिकारी हैं।

इसी तरह से आप महानगरों में देखिये तो आपको कहीं भी प्रशासक अनुसूचित जाति का नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का तो है ही नहीं। किसी महापालिकाओं में प्रशासक है अनुसूचित जाति का ? इसी तरह से जो आपकी चीनी निगम की 57 चीनी मिलें हैं उनमें से केवल एक में एक हरिजन अधिकारी कार्यरत है। इस तरह से आप देखेंगे कि इनका दृष्टिकोण, इनका संकल्प स्पष्ट झलकता है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी प्रदेश में हरिजनों की हालत क्या है।

यही हाल गृह विभाग का है वहां पर आज आई0 पी0 एस0 अधिकारियों, पी0 पी0 एस0 अधिकारियों के साथ नियुक्तियों और प्रोन्नतियों को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आई0 पी0 एस0, बराबर पी0 पी0 एस0 अधिकारियों का शोषण कर रहे हैं। जिला स्तर पर जो उनका ढांचा है वह बराबर बिगड़ता चला जा रहा है।

अब मान्यवर, बढ़ते-बढ़ते आई0 ए0 एस0 की तरह उनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, मिले लेकिन इस स्थिति को भी देखिये । उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन में एक अप्रैल, 1984 को 2 महानिदेशक, 22 पुलिस महानिरीक्षक और 49 उप पुलिस महानिरीक्षक थे तो उच्च प्रशासन में प्रोन्नति की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, अगर यही रहा तो जिले-जिले में डी0 आई0 जी0 रैंक के अफसर नियुक्त किये जायेंगे । ऊपर का ढांचा इतना भारी हो गया है कि नीचे का प्रशासन चलेगा नहीं, और कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा और डी0 आई0 जी0 रैंक का एस0 पी0 बनाना पड़ेगा । इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा । इसी तरह से यहां पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में बताना उचित समझता हूं । आप देखेंगे कि जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारी हैं 15 प्रतिशत । आप देखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के 55 अधिकारी जो आई0 पी0 एस0 हैं, उपलब्ध हैं । जिनमें से एक आई0 जी0, 11 डी0 आई0 जी0 तथा शेष पुलिस अधीक्षक पदों पर हैं और ट्रान्सफर पोस्टिंग का जो मामला है उत्तर प्रदेश सचिवालय में छोड़कर एक आई0 जी0 जोन, 2 डी0 आई0 जी0 रेंज तथा 9 जिलों में पुलिस अधीक्षक के पदों पर तैनात हैं । इसके विपरीत एक जाति विशेष के अधिकारी जिनकी संख्या आंशिक रूप से हरिजन अधिकारियों से ज्यादा है, 75 प्रतिशत डी0 जी0, आई0 जी0 के पदों पर रेन्जों में से 4 डी0 आई0 जी0 रेंज तथा 57 जिलों में से 23 जिला पुलिस अधीक्षक के पदों पर तैनात हैं । पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक पुलिस अधीक्षक पिछड़े वर्ग का है और मान्यवर, 2 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं जो जिलों में तैनात हैं और इन अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी महानगरों अथवा मण्डलीय जिला मुख्यालय पर तैनात नहीं हैं ।

यहां पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 6 पहाड़ी जिलों में जिनमें अभी तक डी0 वाई0 एस0 पी0 रैंक का अफसर रहता था अब 6 एस0 पी0 रहेंगे । इन 6 में से 4 हरिजन पहुंचे और इन चारों को पहाड़ भेज दिया । इससे जानबूझकर जो हरिजनों के हिमायती हैं उनकी नियुक्ति में ट्रान्सफर में देखें कि किस तरह से पक्षपात हो रहा है । दूसरे अब 57 जिलों में पुलिस उपाधीक्षक की क्या हालत है । कुल पुलिस उप अधीक्षक 208 हैं जिनमें मात्र 13 अनुसूचित जाति के हैं जबकि इस वर्ग के 48 उप पुलिस अधीक्षक उपलब्ध हैं । 66 रिजर्व इन्सपेक्टरों में से 2 हरिजन हैं तथा जिलों में तैनात 230 निरीक्षकों में से 12 अनुसूचित जाति के हैं । इस वर्ग के अधिकारियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें उचित संख्या में महत्वपूर्ण पदों पर नहीं नियुक्त किया गया है । आरक्षण का कोटा अब भी बढ़ा नहीं है जो मैंने आपके सम्मुख रख दिया ।

अब मैं आपके सामने एक सूची पढ़ दूं मुझे ज्यादा समय लग रहा है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं । मान्यवर, आप देखें क्लास 3 में उत्तर प्रदेश में इन्सपेक्टर सी0 पी0 कुल स्वीकृत पद 1120 कार्यरत इन्सपेक्टर 1090, अनुसूचित जाति के 146, 13.39 प्रतिशत अनु-

सूचित जनजाति के कर्मचारी 17 और प्रतिशत 1.55 हैं। पिछड़े वर्ग के 107 और उनका प्रतिशत 9.81 इसी तरह से इन्सपेक्टर ए0 पी0 के कुल पद 161, काम कर रहे हैं 146, अनुसूचित जाति के 5 और प्रतिशत इनका 3.42, अनुसूचित जनजाति के 2 प्रतिशत 1.36, पिछड़े वर्ग के 10 और प्रतिशत 6.48। इसी तरह से सब इन्सपेक्टर सी0 पी0 के कुल पद हैं 9245 कार्यरत कर्मचारी 9242, अनुसूचित जाति के 1442 और प्रतिशत हैं 15.60। अनुसूचित जनजाति के हैं 53 और प्रतिशत हैं 0.57.

(3 बजकर 20 मिनट)

पिछड़े वर्ग के 43 हैं, जिनका प्रतिशत 8.84 हैं, यह हालत है। यह बहुत बड़ी सूची है, मैं समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसको मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा। हालत क्या है, इसको आप देखें। हरिजनों और पिछड़े वर्ग के पास सम्पन्न हैं और वह देश को मजबूत कर सकते हैं, अगर उनमें विषमता फैलायेंगे तो देश कमजोर हो जायेगा, क्या आप का यही इरादा है? मान्यवर, पिछड़े वर्ग का 15 प्रतिशत का आरक्षण है, धीरे से इसको कैंद कर दिया है। जो लड़के पिछड़े वर्ग का सर्टीफिकेट नहीं लगाना चाहते हैं, उसको नहीं माना जा रहा है। जो ओपेन आ रहे हैं, अपनी काबिलियत के अनुसार, उनको 15 प्रतिशत में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंकड़े देकर मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। पांच साल पहले जो स्थिति थी, वह धीरे-धीरे कम हो रही है। 15 प्रतिशत का जो क्लास 3 और क्लास 4 में जो पहले प्रतिशत था, उसका प्रतिशत अब घटता जा रहा है, क्योंकि 15 प्रतिशत को कैंद कर दिया है और वह उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मान्यवर, संविधान के रचयिताओं ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है—डा0 राजेन्द्र प्रसाद से क्या उस तरफ के बैठे लोग ज्यादा काबिल हैं, क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू से, सरदार पटेल से यह लोग ज्यादा काबिल हैं? क्या बाबा अम्बेडकर से यह लोग ज्यादा काबिल हैं, जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना की है। अगर आप गरीबों को सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो आप मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू कीजिये।

मान्यवर, अब मैं आ रहा हूं पुलिस प्रशासन पर, मेरी ऐसी भावना है कि सी0 आई0 डी0 का काम अच्छा है। वह पूरी जांच की तैयारी करते हैं और अदालतों में पैरवी भी करते हैं। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं, सी0 आई0 डी0 का मामला सन्तोषजनक है। माननीय मुख्य मंत्री जी विजिलेंस पर बोले थे मैं, तो कहता हूं कि इसको विजिलेंस के स्थान पर नेग्लीजेन्स कर दें, क्योंकि विजिलेंस की कार्यशैली का पता ही न चले कि वह क्या कर रहे हैं। इस चीज को मैं दो उदाहरण देकर समझा दूंगा विजिलेंस के बारे में। मान्यवर, विजिलेंस के पहले दो बातें अभिसूचना के बारे में कहना चाहता हूं। शैडो रहते हैं, हमारे साथियों के पास भी रहते हैं, इस सम्बन्ध में दो उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो शैडो हैं जो छाया की तरह रहते हैं, उनके 4 प्रभारी निरीक्षक हैं, 13 उप निरीक्षक, 18 हेड कानिस्टेबिल, 70 कानिस्टेबिल। इस कैडर में वर्ष 1960 से लेकर आज तक 72 प्रोन्नतियां

हुई हैं जिनमें से 45 एक ही जाति की हुई हैं और आज तक एक भी हरिजन और मुसलमान की तरक्की नहीं हुई है। पिछड़े वर्ग के 4 थे और उसमें एक सब इंसपेक्टर, उसकी भी पदावनति कर दी और उसका ट्रान्सफर कानपुर कर दिया और ट्रान्सफर की सूचना भी उसको नहीं दी गयी। कानपुर जब वह जाता है, तो उसको वहां पर लिया नहीं जाता है और शैंडो कैडर में लेते नहीं हैं। 4 साल 10 महीने हो गये, मान्यवर, आज तक उसको किसी जगह पर नहीं भेजा गया, न ही उसको तनख्वाह मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पैसे के अभाव में उसके एक लड़के की मौत हो गई वह आज भूखों मर रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से एक शैंडो और है। उसका अपराध सिर्फ यह है कि वह मेरे साथ था। उसे शैंडो के कैडर से निकाल कर मेरठ में पुलिस में भेज दिया गया। उसका कोई अपराध नहीं है। मजबूर होकर उसने अपने रिटायरमेन्ट के और पेन्शन के कागजात भेज दिये हैं। यह हालत है आपके अभिसूचना विभाग की जिसमें ये अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको विशेष रूप से देखें। कोई बड़ा काम नहीं है। छोटा सा विभाग है।

अब मैं सतर्कता विभाग पर आता हूं जिसकी बड़ी तारीफ मुख्य मंत्री जी ने की। मैंने कहा कि इस विजिलेंस जांच के रहते किसी ईमानदार और बेइमान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नियम यह है कि विजिलेंस की रिपोर्ट एक साल के अन्दर देनी चाहिए और असाधारण परिस्थितियों में 18 महीने में देनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें मुख्य मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। इस विभाग के तीन अधिकारी हैं जिनकी विजिलेंस से जांच हो रही थी। उनकी विजिलेंस रिपोर्ट आ गयी। एक फौर्सिवली निकाल दिया गया। दो अधीक्षण अभियन्ता हैं जिनके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही थी लेकिन आज उनको मुख्य अभियन्ता बना दिया गया। मैं नाम भी बता दूं। एक हैं श्री महेश चन्द्र जिन्दल और दूसरे हैं एल0 आर0 अग्रवाल। मान्यवर, जो इसमें विजिलेंस की रिपोर्ट आयी थी उसमें हेरा-फेरी कर दी गयी और उसको बदलवा दिया गया और उसी बदली हुई रिपोर्ट के आधार पर वह हाई कोर्ट में चला गया। यह हालत है आपके विजिलेंस की।

एक और उदाहरण दे दूं। मान्यवर, एक आई0 पी0 एस0 अधिकारी जिन पर बैंक डकैती के लाखों रुपये हड़पने और पचासों लाख रुपया गैर तरीके से अर्जित करने के आरोप हैं और प्रमाणित आरोप हैं, वे आई0 पी0 एस0 अधिकारी डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं। सामूहिक हत्या कराने में उसी का हाथ था। मान्यवर, उसी व्यक्ति के खिलाफ इटावा जिले के लोकदल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री महाराज सिंह तथा गया प्रसाद वर्मा जो आजकल दोनों विधायक हैं, इन्होंने 4 अक्तूबर, 1982 को एडिशनल आई0 जी0 श्री तुषार दत्त को एक ज्ञापन दिया था और आरोप लगाये थे। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री

जी को, मुख्य सचिव को, गृह सचिव को और तत्कालीन महानिदेशक श्री दीक्षित जी को जांच के लिए लिखा था। मैंने पर्सनली मिलकर भी उन्हें आरोप पत्र दिया था। 4 नवम्बर, 1982 को सतर्कता सचिव श्री भूरे लाल जी को इस आई0 पी0 एस0 अधिकारी के विरुद्ध स्वयं मिलकर मैंने आरोप पत्र दिया था। लेकिन सतर्कता विभाग ने आज 3 साल होने के बाद भी, आज वे डी0 आई0 जी0 होकर दिल्ली चले गये हैं। कानपुर से भी उनके ऊपर कुछ आरोप थे और शिकायत हुई थी, लेकिन उनसे विजिलेन्स ने पूछा तक नहीं। मुझे पता चला है और वे पुलिस अधिकारी आज यहां बैठे भी होंगे, इतने गम्भीर आरोप उनके ऊपर थे, विजिलेंस की जांच चल रही है, उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया और आज वे दिल्ली में डी0 आई0 जी0 बना दिये गये। मुझे यह भी पता चला है कि कानपुर के एक बड़े तस्कर से उनका सम्बन्ध था तथा तत्कालीन महानिदेशक श्री दीक्षित से भी उनका सम्बन्ध था। उन्होंने दीक्षित जी से मिलकर सारी फाइल गायब करवा दी। जिसका नाम है मान्यवर, प्रेमदत्त रतूड़ी, आई0 पी0 एस0, मैंने लिख कर भी दिया विजिलेंस सेक्रेटरी को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विजिलेंस का बजट जो आया है 1985-86 के लिए वह 1 करोड़ 87 लाख 32 हजार है तो मेरी राय है कि यह अनावश्यक विभाग है, इसको समाप्त कर दिया जाय क्योंकि इससे बेईमान या ईमानदार अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अब मैं जो प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था है, उसे बताना चाहता हूं। जिस तरह से बजट बढ़ रहा है, अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं उसी रफ्तार से अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। गृह विभाग अपनी रिपोर्ट देता है वह कहता है कि अपराधों की संख्या में कमी आ रही है। लेकिन मुझे जो रिपोर्ट मिली है गृह पुलिस अनुभाग-3 के आंकड़ों के अनुसार 1980 में कुल हस्तक्षेपीय अपराध 1,96,715 थे जो 1984 में 1,72,157 रह गये। यानी अपराधों की संख्या में कमी आ गयी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपराधों में कमी नहीं आई है बल्कि अपराध दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। उसका मैं सबूत दे सकता हूं सभी माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों हमसे सहमत होंगे कि हत्याओं के अलावा अन्य अपराध छिपाये जाते हैं, उनको छिपाया जा सकता है, लेकिन हत्याओं को छिपाया नहीं जा सकता है, इसलिए अपराध घटे हैं। लेकिन असली द्योतक हत्याओं की संख्या है जिनसे साबित होता है कि वह घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। मैं 1980 से लेकर 15 जून, 1985 तक की हत्याओं की स्थिति माननीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जो असली प्रमाण है कि अपराध घटे हैं या बढ़े हैं। वर्ष 1980 में हत्याएं हुई 5422, वर्ष 1981 में हत्यायें हुई 5,368, वर्ष 1982 में हत्याएं हुई 5,749, वर्ष 1983 में हत्यायें हुई 5,503 जो थोड़ी घटी हैं, वर्ष 1984 में हत्यायें हुई 6,218 और 1 जनवरी, 1985 से 15 जून, 1985 तक 6 महीने में हत्यायें हुई 2,696 लेकिन इसी अवधि में जो 1984 में हत्यायें हुई उनकी संख्या 2,446 थी तो उससे यह 250 अधिक हैं। तो इस तरह से अप-

राधों की संख्या बढ़ रही हैं । आज अपराध छिपाये जा रहे हैं लेकिन हत्यायें छिपाई नहीं जा सकती हैं । तो यह तस्वीर हैं आपकी शान्ति-व्यवस्था की ।

इसी तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार के अपराधों की संख्या भी बढ़ रही हैं और जो दहेज के कारण हत्यायें हो रही हैं वह भी बढ़ी हैं । जिसका विवरण मैं देना चाहता हूं—

	बलात्कार के मामले	दहेज के कारण हत्या
वर्ष 1980 में	812	17
वर्ष 1981 में	948	30
वर्ष 1982 में कुछ कम हुए	776	155
वर्ष 1983 में	797	160
वर्ष 1984 में	985	232
1 जून से 15 जून, 1985 तक	489	135

तो यह राम और कृष्ण की भूमि कही जाती हैं और हम इसमें गौरव महसूस करते हैं और कहा जाता हैं कि जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता वास करते हैं । जो सरकार महिलाओं की, हमारी माताओं और बहिनों की इज्जत नहीं बचा सकती हैं और इस प्रकार से उनकी हत्यायें नहीं रोक सकती हैं तो उस सरकार को एक दिन भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं हैं ।

मान्यवर, इसी तरह कानून व्यवस्था में गिरावट क्यों हैं । इसका कारण हैं राजनीतिक हस्तक्षेप, यह कौन कर रहा हैं, क्यों हो रहा हैं, इसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं । मान्यवर, आज जितने जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उधर या इधर के जो हैं वह सभी अधिकारियों से परेशान हैं क्योंकि उनकी, हमारी कोई बात, जायज बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । मंत्रियों का हस्तक्षेप तो मैं नहीं मानता हूं क्योंकि वह तो सरकार के अंग हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह हस्तक्षेप क्यों हैं । आज हालत यह हैं कि एक जायज बात के लिए लेखपाल से एम0 एल0 ए0 को सिफारिश करना पड़ता हैं, मान्यवर, आप भी इसके भुक्तभोगी होंगे । मान्यवर, ऐसा नहीं हैं कि अधिकारियों की अकर्मण्यता हैं जिसके कारण हैं बल्कि जो ऊंचे अधिकारी हैं उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा हैं और बेईमानों को संरक्षण दिया जा रहा हैं । अधिकारी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, श्री राम सरन जी को एक अधिकारी मिले और उनसे पूछा कि शासन का क्या हाल हैं । तो उसने जवाब दिया कि चौधरी चरण सिंह के राज्य में बेईमान सर झुकाकर चलते थे, ईमानदार सीना तान कर चलते थे लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में बेईमान सर उठाकर चलते हैं और ईमानदार सर झुकाकर चलते हैं । आज बेईमान अधिकारी, डकैतों, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पता लगा लें । लेकिन फर्रुखाबाद में भी हत्यायें हुई हैं जो पुलिस के संरक्षण में हुई हैं । जिन्होंने हत्यायें की हैं उनका पुलिस से सम्पर्क रहा हैं जिससे दुश्मनों को सताने का उनको अच्छा मौका मिला हैं ।

मान्यवर, आज यह सत्य हैं कि हमारे प्रदेश का पुलिस महानिदेशक ईमानदार हैं लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जा रहा हैं । मुख्य मंत्री जी आज मनोबल

की बात करते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उसको तोड़ कौन रहा है, उसको सरकार तोड़ रही है। मान्यवर, जो डी0 जी0 आपका है वह स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकता है। यह बात जग जाहिर हो गयी है।

श्री राम आंतार दीक्षित—

वह किस जाति का है यह तो बता दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

दीक्षित जी का मैं सम्मान करता हूं, वह मुझसे सवाल करते हैं, तो पहले आप उधर की निष्पक्षता देखें, किसी भी जाति वर्ग की बात नहीं होनी चाहिए, जो सही है वह सही है। इसलिए पहले आप अपनी मानसिकता को ठीक करें, जो आपकी मानसिकता है वह मेरी नहीं है। ईमानदारी किसी जाति बिरादरी को नहीं मानती है। इसलिए ईमानदारी का मनोबल आपकी सरकार में तोड़ा जा रहा है। मान्यवर, आज गृह सचिव और महानिदेशक में मतभेद चल रहा है, यह क्यों चल रहा है, कारण क्या है। मान्यवर, महानिदेशक ने मजबूर होकर परिपत्र निकाला है कि मेरे बिना जानकारी के आदेश हो रहे हैं इसके लिए उनको परिपत्र निकालना पड़ रहा है। जब परिपत्र निकला तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अखबार में बयान देने का हक था गृह सचिव को ? यदि कोई मतभेद की बात थी, तो मुख्य मंत्री जी को दोनों अधिकारियों को बुलाना चाहिए था और समझा बुझाकर मतभेद दूर कर देना चाहिए था। किन्तु क्या उनको इस तरह से 'इंडिया टुडे' में बयान देना चाहिए था। सारे पुलिस प्रशासन का इससे सिर शर्म से झुक जाता है। डी0 जी0 और गृह सचिव में जो मतभेद है वह रोड़ा बना हुआ है शान्ति व्यवथा स्थापित करने में और पुलिस प्रशासन में सुधार लाने में। यह सारी बात आज जन-जन में फैल गई है।

आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, कुशल और ईमानदार हैं उनको कहां भेजा जा रहा है। मैं पुलिस महानिरीक्षक बी0 पी0 सिंहल के बारे में कहना चाहता हूं, जिनकी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक जमाना था जब उनसे हमारा मतभेद था, उनको आपने और कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद न देकर पी0 टी0 सी0, मुरादाबाद बनाकर भेजा है। इसलिए भेजा गया है कि उनके जोन में रहते जनरल एलेक्शन के मौके पर पुलिस बल का प्रयोग सत्ताधारी पार्टी को अपने पक्ष में करना संभव नहीं था। इसी तरह डी0 आई0 जी0 श्री सतीश चन्द्र चौबे हैं, इनको किसी रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन उनको पी0 ए0 सी0 हेडक्वार्टर में भेजा गया है और इसलिए भेजा गया है कि वह ईमानदार हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरह से पुलिस महानिरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र शाह का मामला है, उनकी ईमानदारी का ही नतीजा है कि उनको कहीं भी किसी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं भेजा जा रहा है। श्री राम आसरे ने जो पुलिस प्रशासन में ईमानदारी और निष्ठा का परिचय दिया है, उसे सभी जानते हैं। आपने उसको कहां भेज दिया, किस लिये भेज दिया। श्री राम आसरे ने

गुंडों के विरुद्ध वह सख्त कार्यवाही की थी, जिसको करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था लेकिन उन्हें बहुत थोड़े दिनों उप पुलिस महानिरीक्षक बनाने के बाद उन्हें पुनः इधर-उधर हटा दिया गया है।

आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब इसलिए है कि कुशल प्रशासक और ईमानदारों का मनोबल तोड़ा जा रहा है और बेईमानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक भाटिया 8 महीने के लिए इटावा जिले में गये। सूचीबद्ध डकैतों की हत्या यदि किसी ने कराई उत्तर प्रदेश में वह एक ही आई0 पी0 एस0 था श्री भाटिया। लेकिन उसको 8 महीने से अधिक नहीं रहने दिया। इसलिए नहीं रहने दिया कि वह चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अनुचित मदद नहीं करेगा। इस तरह के तमाम नाम हमारे पास हैं। आर0 एस0 राणा, आई0 पी0 एस0, कुशल प्रशासक हैं, लेकिन कई वर्षों से एस0 पी0 हैं और आज तक कहीं भी जिले में उनको चार्ज नहीं मिला है। इसी तरह प्रेमचन्द्र हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक विजय पाल सिंह इसी तरह से हैं। इनके साथ ही तमाम ऐसे पुलिस अधिकारियों का नाम ले रहा हूं—बल्देव सिंह, सोबरन सिंह तोमर, नवल सिंह, टेक चन्द, वीरेन्द्र वर्मा, नत्थी सिंह आदि अनेक अधिकारियों को लगातार पी0 ए0 सी0 से पी0 ए0 सी0 में ही स्थानान्तरित किया जा रहा है, पुलिस में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनका कोई अपराध नहीं है, केवल इनका यह अपराध है कि यह जाट शक्ति के अधिकारी हैं।

अब मैं मनोबल तोड़ने की बात कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से। मैं कुछ बातें छोड़-छोड़ कर चल रहा हूं। मनोबल कौन तोड़ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईमानदार अधिकारियों का मनोबल कौन तोड़ रहा है, क्या हम तोड़ रहे हैं। वह मनोबल आप तोड़ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक को स्वतन्त्रतापूर्वक काम कौन करने नहीं दे रहा है, हम लोग, मैं कहना चाहता हूं कि इन सबका मनोबल आप तोड़ रहे हैं। मैंने अभी बताया था, भाटिया को क्यों हटा दिया उसका मनोबल किसने तोड़ा। यह मनोबल आपने और आपकी सरकार ने तोड़ा है।

अभी पिछले दिनों कानपुर देहात में एक सामूहिक नरसंहार हुआ, हरिजनों की हत्या हुई। एक इंस्पेक्टर ने निष्पक्षता से, साहस के साथ अपराधियों को खोजने की कोशिश की लेकिन उसको निलम्बित करने को आप सोच रहे हैं। तो यह कौन मनोबल तोड़ रहा है। इसी तरह से मिर्जापुर में एक एस0 डी0 एम0 ने करोड़ों रुपयों की कर चोरी के मामले को पकड़ा तो आपने उसका ट्रान्सफर कर दिया तो उसका मनोबल कौन तोड़ रहा है। इसी तरह से एक डिप्टी कलेक्टर दिनेश सिंह ने इटावा में मेहनत करके ईमानदारी से बड़े लोगों की डग्गामार बसों को चलाने से रोक दिया इसलिए उसका ट्रान्सफर कर दिया गया तो यह मनोबल कौन तोड़ रहा है। अभी मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। प्रदेश में गुंडे, कातिल, ठेकेदारी, कर रहे हैं उन गुंडों, कातिलों ने आर0 ई0 एस0 और पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर्स, जूनियर इंजी-

नियर्स को गलत बिल पास न करने पर मारा है। आप बतायें कि किसके खिलाफ कार्यवाही की है। इन घटनाओं के खिलाफ आन्दोलन हुए हैं। जे0 ई0 ने जब गलत पेमेन्ट नहीं किया तो उसको मारा गया लेकिन गुंडों के खिलाफ क्या कार्यवाही की यह आप कल बता दें। शहर के शहर बन्द रहे हैं ऐसी घटनाओं के खिलाफ क्या किया। यह मनोबल कौन तोड़ रहा है। गुंडे और अपराधी हमेशा संरक्षण पाते हैं सत्तापक्ष का, विपक्ष का नहीं। सत्ता के खिलाफ होकर वह जिन्दा नहीं रह सकते हैं। अगर उनको संरक्षण कोई देता है तो सरकार दे रही है। अच्छे पुलिस अधिकारियों और अच्छे लोगों का मनोबल आप और आपकी सरकार तोड़ रही है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत दिया कि सारे मामलों पर चर्चायें हो गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चर्चाएं बहुत हुई हैं लेकिन सारे मामलों पर नहीं हुई हैं। सारे मामलों पर चर्चाएं हो सकती हैं अगर आप 90 दिन का सदन चलायें। बहुत सी जानकारी हम दे सकते हैं जिससे शासन को सहयोग मिल सकता है। लेकिन आप 45—50 दिन से ज्यादा सदन चलाने का इरादा नहीं रखते हैं। इससे भी मनोबल टूट रहा है प्रशासन में बैठे हुए अच्छे काम करने वाले अधिकारियों का। आपने कहा कि सारे उदाहरण आ गये पुलिस जुल्म के, अब आने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानबूझकर एक उदाहरण रख रहा हूं जो आपकी पुलिस ने किया है। दिनेश निषाद और उसके भाई को, 13 जुलाई को 8-9 बजे कुछ लोग पकड़ कर कीटगंज थाने में ले गये। उनको पकड़कर थाना कीटगंज में ले जाया गया और वहां ले जाकर पुलिस और उन लोगों ने पिटाई की। उसका भाई कमलेश अपनी आंखों से देखता रहा और दिनेश निषाद को मार दिया गया। इतना ही नहीं उसकी लाश को छिपाया गया। हमारे विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया तो पुलिस ने जो लाश छुपा रखी थी उस लाश का पता चला। तो जिस थाने में यह मौत हुई है दिनेश निषाद की वहां के इंस्पेक्टर के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है। 16 जुलाई को अनुग्रह नारायण सिंह ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये इसको आपको बता दिया लेकिन जिस थाने में उसकी मौत हुई है वहां के इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई कह देगा कि वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिस थाने में दिनेश मारा गया, उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? उनको 302 का मुलजिम बनाकर जेल क्यों नहीं भेजा गया? आप बहुत अनुभवी हैं शासन करने में, लेकिन जहां इस तरह की हत्यायें हुई हैं, वहां पर आपने छिपाने की कोशिश किया। आप इसी मामले में दो एस0 एस0 पी0 को मुअत्तल कर दें, आपको गलत रिपोर्ट इस प्रदेश में नहीं आयेगी। केवल दो को मुअत्तल करके देख लीजिये। लेकिन आप कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। यहां आकर सदन में जिसको आप सर्वोच्च कहते हैं, एक तरफ सर्वोच्च कहते हैं और दूसरे इसी सदन के सामने

गलत बयानी की जाती है। हत्या के मामले में किसने मारा, कब मारा, कहां मारा छिपा नहीं रहता है। चले जाइये मुख्य मंत्री जी, एक जगह चले जाइये, आपको पता चल जायेगा। मेरे सामने बहुत से पुलिस के द्वारा की गयी हत्याओं की सूचनायें हैं। आप एक जगह पर चले जाइये, आपको पता लग जायेगा। सदन में जिसने गलत बयानी की है, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। हत्याओं को छिपाने के लिए जो मिनिस्टर कोशिश करते हैं, वह प्रदेश की सही सेवा नहीं करते हैं।

इसी तरह से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, उदय प्रताप मल्ल, मां-बाप का एकलौता बेटा, 25 साल की उम्, उसकी 26 जून को शादी होने वाली थी, 25 जून को देवरिया जिले से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जहां घटना हुई थी, जहां हाथापाई हुई थी सब-इंस्पेक्टर की, वहां पर वह मौके पर भी नहीं था, कोई भी वहां पर चला जाय, उसको पता चल जायेगा। तीन बाप का, एकलौता बेटा उदय प्रताप मल्ल को 25 तारीख को देवरिया से पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पुलिस 25 जून को मारती है, 26 जून को मारती है और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन उसको मार दिया। 25 तारीख को परम्परागत तरीके से उसके बदन में हल्दी लगी हुई थी, कहीं दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। उसको पुलिस ने मार दिया, क्या कार्यवाही की आपने ?

इसी तरह से लखीमपुर खीरी के आबिद को 11 मई को सायंकाल लगभग 6 व 7 बजे के बीच लखीमपुर पुलिस के एक दरोगा सन्तोष कुमार त्रिवेदी और चार सिपाहियों ने संकटादेवी बाजार से सैकड़ों लोगों के सामने पकड़ा और उसकी पहले बाजार में और फिर थाने के अन्दर ले जाकर तब तक पिटाई करते रहे जब तक आबिद बेहोश नहीं हो गया। 11 मई को ही 8 बजे शाम आबिद को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की सूचना तार द्वारा गृह सचिव और एस0 पी0, लखीमपुर को दी गयी, उसी दिन रात 10.20 बजे पुलिस महानिदेशक को भी तार द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया गया। 12 मई को मुख्य मंत्री जी से आबिद की जान की रक्षा हेतु तार द्वारा निवेदन किया गया और इसी दिन आबिद के पिता द्वारा उप पुलिस निरीक्षक त्रिवेदी तथा अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी। 13 मई को आबिद की दरख्वास्त पर सी0 जे0 एम0 खीरी के आदेशानुसार आबिद को मरणासन्न हालत में लखनऊ मेडिकल कालेज लाया गया और इसी दिन रात्रि 9 बजे आबिद को लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया। 14 मई, 1985 को दोपहर बाद 2 बजकर 15 मिनट पर आबिद की मृत्यु हो गयी। आपको उसकी मृत्यु की सूचना तार द्वारा दी गयी और आपको तार मिला भी था, आपने क्या कार्यवाही की ? आपने मुअत्तल किया ? मुअत्तल करके बहाल किया ? फिर मान्यवर, 302 का मुलजिम उसे बनाकर जेल क्यों नहीं भेज दिया ? अगर एक भी जगह पर जेल भेज दिये जायं, तो कोई पुलिस मारने की हिम्मत न करती।

इसी तरह मान्यवर, सुभाष पुत्र रघुवीर सिंह, उम् 21 साल, निवासी शामली, जिला मुजफ्फरनगर को 11 जून, 1985 को रात के आठ बजे दो लोग घर से बुलाकर

ले जाते हैं। घर न आने पर जब घर वालों ने 12 तारीख को जा कर थाने में सूचना दी, तो पुलिस कहती है कि रिपोर्ट न करो, शायद वापस आ जाये। इसके बाद 12 जून को ही पुलिस को खबर मिलती है कि एक खेत में लाश पड़ी हुई है। पुलिस सुभाष के घर आती है और उसके बाप से मिलती है, और वहां से सुभाष की तस्वीर लेती है, लेकिन उसके बाप को नहीं बताया जाता है कि तस्वीर मिलानी है। जब पुलिस तस्वीर से लाश को मिलाती है तो वह सुभाष की ही निकलती है उसके बाद दो सिपाही उस लाश को जीप में डालते हैं और दूर के गांव में एक नहर में बहा दिया जाता है। सुभाष के घर वालों को जब यह पता चलता है तो वह लाश दिखवाते हैं, मान्यवर, जब सुभाष के घर वालों को लाश मिल गई तो कत्ल के स्थान पर जहां खून पड़ा हुआ था सैंकड़ों लोगों के सामने ट्रैक्टर से जुतवा दिया जाता है और गवाही को मिटा दिया जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से गजेन्द्र सिंह निवासी फफराना थाना मोदीनगर को 29 जनवरी, 1985 को पकड़ लेते हैं और मोदीनगर से 100 गज की दूरी पर उनकी हत्या कर दी जाती है।

(शोर)

मान्यवर, इनमें इन्सानियत नहीं है हत्या का मामला चल रहा है। यह समय एक सा नहीं रहेगा। मान्यवर, थाने से 100 गज की दूरी पर तमाम दुकानदारों के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। 30 जनवरी की सुबह जब उसकी बूढ़ी मां वहां जाती है तो उसकी लाश देखकर बेहोश हो जाती है। उससे बेहोशी की हालत में मनमाने तरीके से रिपोर्ट लिखवाई जाती है। मान्यवर, जब उसकी पत्नी को पता चलता है, तो दरोगा के पास वह जाती है, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। 14 तारीख को मान्यवर, 14 फरवरी, 85 को जब उसकी पत्नी एस0 पी0 से मिलती है तो सही रिपोर्ट लिखी जाती है, तो मान्यवर, पुलिस के संरक्षण में पुलिस की साजिश से पुलिस द्वारा यह सब हो रहा है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं इसी तरह से मान्यवर, प्रतापगढ़ का मामला है। प्रतापगढ़ में मान्यवर, एक शेषमणि पाण्डेय हैं। एक शराब की दुकान पर उप पुलिस अधीक्षक और एस0डी0एम0 जाते हैं और वहां शेषमणि पाण्डेय की पिटाई होती है, उसकी मान्यवर, इतनी पिटाई की जाती है कि उसकी हत्या हो जाती है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शेषमणि पाण्डेय की हत्या उप पुलिस अधीक्षक और एस0 डी0 एम0 के सामने की गई। इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं सम्मानित सदन के सामने पूछना चाहता हूं। साधारण नागरिक 302 में जेल जा सकता है, उसी अपराध में पुलिस का आदमी पुलिस का अधिकारी नहीं जा सकता है। कहां है कानून का राज्य। लोकतंत्र में कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे डी0 एस0 पी0 हो, दरोगा हो या साधारण नागरिक हो। साधारण नागरिक जेल जायेगा और एस0 डी0 एम0, डी0 एस0 पी0 नहीं जायेंगे, ताकि आपके अधिकारियों का मनोबल न टूटे।

आज हम कहने के लिए मजबूर हैं कि इस सरकार में कोई मूल्य नहीं रह गया है

मानव के प्राण का। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं लापरवाही का मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा 21 अप्रैल को इटावा जिले के औरैया विधान सभा क्षेत्र में भरसैन नामक गांव में 4 सौ से ज्यादा परिवार की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। उसमें कई जानवर, बच्चे, आदमी जल कर मर गये। एक बुढ़िया जो इटावा लोकदल के मंत्री हैं, चतुर्भुज अवस्थी उनकी बुआ दब गई। उसके बाद उसकी लाश को किसी अधिकारी ने आज तक नहीं निकाला। अफसोस इस बात का है कि एक मन्त्री मौके पर गये। मैं कहना चाहता हूं कनिष्क विमान की दुर्घटना हुई, भारत सरकार ने मरे हुए लोगों को उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया। दुनिया के तमाम देशों ने मदद की। मान्यवर, यहां एक बुढ़िया की लाश नहीं निकाली गयी। मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम लगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो बुढ़िया दबी है उसको जिला अधिकारियों ने इसलिये नहीं निकाले कि क्यों इतना पैसा खर्च किया जाय। मंत्री जी भी गये क्या आपको उन्होंने जानकारी दी कि उसमें एक बुढ़िया दबी है. नहीं दी तो क्यों नहीं दी। तीन बार आपका प्रोग्राम लगा एक बार तो मंच बन गया, हजारों रुपया खर्च हो गया। आप नहीं गये क्यों नहीं गये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि अधिकारियों ने उसको क्यों नहीं निकाला ? दूसरी बात आपके मन्त्री मौके पर गये, उन्होंने खबर दिया या नहीं दिया। खबर नहीं दी तो सरकार में समन्वय का अभाव है।

सरकार की नजरों में मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार के मामले में इसलिये नहीं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा हो चुकी है। भ्रष्टाचार की कोई चर्चा होती तो लोग उसे असाधारण बात मानने को तैयार नहीं हैं। आम रिवाज हो गया है भ्रष्टाचार का। इसलिये मैं दो बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार की बहुत बातें हैं जो लोग यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे व्याप्त है वह अपने को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं और देश को धोखा देते हैं।

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में न कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

संशोधन कर लीजिये. मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ऊपर के हैं या नीचे के, बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री नीचे के हैं या ऊपर के, हिमाचल के मुख्य मंत्री ऊपर के हैं या नीचे के। नाम नहीं लूंगा।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग में बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। आपके जितने भी माननीय सदस्य हैं, मन्त्री हैं यह विभाग उनके निवास सम्बन्धी काम को देखता है,

टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लेकिन आज तक यह आपका विभाग माननीय सदस्यों को आवास नहीं दे सका है और जो लोग पहले से कब्जा किये हुए हैं, उनको आप हटा नहीं सके। 4-4 और 5-5 साल हो गये आप उनको हटाने में अक्षम हैं। दूसरे एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज आप यू0 पी0 निवास और यू0 पी0 भवन को देखें इनकी क्या हालत हो रही है। किन लोगों ने उस पर आज कब्जा कर रक्खा है। कैसी गन्दगी और सड़ान्ध है वहां पर और वहां के सारे बर्तन, क्राकरी और कपड़े सारे के सारे चोरी चले गये यह सामान कहां गया ? इसी के थोड़ी दूर पर हरियाणा भवन है, जहां पर यू0 पी0 भवन के लोग खाना खाने जाते हैं। मान्यवर, यह सारी चीजें विचार करने की हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इन भवनों में हरियाणा जैसे ही खाने की व्यवस्था करा दीजिए। तो मान्यवर, इसी तरह के और कई मामले भ्रष्टाचार के हैं, उन मामलों को मैं आपके पास भेजूंगा जांच के लिए। एक मामला मुख्य सचिव का है, नियुक्ति सचिव का है, दूसरा ए0 पी0 चौधरी का है, इन दोनों मामलों को आपके पास भेज रहा हूं।

अब मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर थोड़े समय में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। उनमें से पहला यह है कि आज जिलाधिकारियों को आपने काम बहुत दे दिये हैं, सारे जिले के विकास कार्य इन्हीं के पास हैं, अब इनमें जो भी गड़बड़ियां होती हैं, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, और न ही किसी मामले में यह अपने आपको जिम्मेदार ठहराते हैं और इनकी इस प्रवृत्ति की ओर शासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि किसी भी जिलाधिकारी को 20 साल से पहले कमिश्नर न बनाया जाए। 16 साल जो रक्खे गये हैं, उसे बीस वर्ष कर दिया जाए और ए0 डी0 एम0 से डी0 एम0 आप जो 5 वर्ष में बनाते हैं इसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष की जाए। साथ ही मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई सुनता नहीं है डी0 एम0 की इन-काउण्टर्स के बारे में और यह बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि डी0 एम0 को एस0 पी0 की चरित्र-पंजिका लिखने के अधिकार दे दिये जाएं। यह पुलिस विभाग बहुत ही सशक्त विभाग है, किसी की सुनता नहीं है। मान्यवर, मनमाने ढंग से आज इन-काउण्टर्स हो रहे हैं, कोई इन पर कन्ट्रोल करने वाला नहीं है।

दूसरी बात माननीय मुख्य मन्त्री जी पूर्वी पर्वतीय जनपद के रहने वाले हैं मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में आपको बहुत जानकारी भी है। उत्तर प्रदेश के आखीर में एक गांव है गरबियान, जो तिब्बत के करीब पड़ता है, वह मान्यवर, सिंक कर रहा है, नीचे की ओर धंस रहा है।

मान्यवर, इसके बारे में जब बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री थे और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी उस समय वित्त मन्त्री थे तो यह निर्णय लिया गया था कि इन गांवों को तराई में बसा देंगे लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है और अगर अभी कुछ नहीं किया गया है वहां दर्जनों गांव धसक रहे हैं, उनको तराई में बसा दिया जाय।

मान्यवर, पंतनगर, फैजाबाद और चन्द शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर तथा ग्रास रिसर्च सेन्टर, झांसी को गांव से जोड़ने का कार्य होना चाहिए। इनसे कहीं कोई लाभ नहीं मिला यह सर्वविदित है इसलिए इनको गांव से जोड़ देना चाहिए। अभी मान्यवर, आपके केन्द्र सरकार के एक मन्त्री माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर ने अपने बयान में कहा है कि यूकिलप्टस के एक पेड़ का लगाना 10 व्यक्तियों की हत्या के समान है। यह इतना अधिक पानी सोखता है कि यदि इस पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो यहां रेगिस्तान का रूप ले लेगा। अगर यह बात सच है तो आप जब जवाब दें तो इसके बारे में वास्तविकता से सदन को अवगत करायें और यूकिलप्टस के वृक्षों का लगाया जाना तत्काल बन्द करें।

मान्यवर, अब मैं एनकाउन्टर्स के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपकी इच्छा के न होते हुए भी, डी0 जी0 की इच्छा के न होते हुए भी एनकाउन्टर्स हो रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी नहीं चाहते, डी0 जी0 नहीं चाहते कि एनकाउन्टर्स हों लेकिन एनकाउन्टर्स हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण है जब अजीत की हत्या 7/8 अगस्त को हो गई तो मान्यवर, पानी सर के ऊपर उतर गया। राजधानी के अन्दर जहां सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन है, गृह सचिव हैं, डी0 जी0 हैं और आई0 जी0 तथा डी0 आई0 जी0 और एस0 एस0 पी0 हैं तथा मुख्य मन्त्री भी हैं वहीं राजधानी में खुले आम अजीत की हत्या कर दी गई। अजीत, जो कि अपने अन्धे मां-बाप का इकलौता बेटा था। यह सरकार जब जवाब देगी तो लिस्ट बनाकर लायेगी कि उसके ऊपर इतने अपराध हैं। मान्यवर, एनकाउन्टर जब होंगे तो आमने सामने गोली चलेगी लेकिन इस तरह से किसी को आधी रात को घर से बुलाकर मारना तो एनकाउन्टर नहीं कहा जा सकता। हमको और आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार केवल न्यायालय को है। अगर उस पर एक दर्जन नहीं, दो दर्जन अपराध हों तब भी उसकी हत्या आप नहीं कर सकते। हत्या 302 का अपराध है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो आप इतरा रहे हैं, इतराइये मत क्योंकि 302 की धारा का कभी समय नहीं बीतता है वह हमेशा रहता है और जब समय बदला और इधर के लोग उधर पहुंचे तो एक दिन तमाम गलतबयानी करने वाले और पुलिस के अधिकारियों को, सब को 302 के तहत मुलजिम बनकर जेल जाना होगा और बहुतों को फांसी पर लटकना होगा। इमरजेन्सी में जो जुल्म किया गया था उसका नतीजा आप लोगों को मिला था और अब जो जुल्म हो रहे हैं उनका नतीजा फिर मिलेगा इसलिए मुख्य मन्त्री जी आप इतिहास को देखने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह ऐसा विषय है जिस पर करीब-करीब सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो आप किस ढंग से समय का बटवारा करेंगे वह कृपा करके बता दें।

श्री अधिष्ठाता—

इस बजट पर चर्चा आज भी होनी है, कल भी होनी है। मेरा प्रयास होगा कि इस पर अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकें लेकिन समय का फिर भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। माननीय सदस्य 5 मिनट या 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा ले लें।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। अभी माननीय नेता विरोधी दल जब कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो लेकिन ऐसा लग रहा था, जैसे कि इटावा जिले के अपराधों की समीक्षा हो रही हो और माननीय मुलायम सिंह जी जनपद इटावा में हों और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में न सोच रहे हों। कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं, श्रीमन्, कि दूसरे की तरफ देखने के पहले अपने दामन में झांक कर देख लें। एक वक्त था मान्यवर, जब सन् 77 में ये आए थे। आए थे सत्ता में लेकिन कुछ दिन में ही जनता पार्टी की स्थिति सरकस के समान हो गयी। उसके लिये प्रदेश की जनता ने उनको कभी माफ नहीं किया। बड़े-बड़े डकैत जो मीसा में बन्द थे, स्मगलर थे, उनको छोड़कर इन्होंने उनके गले में मालाएं डलवाईं। यही नहीं सन 80 में जब हम आए तो . . .

(अत्यधिक शोर)

मान्यवर, जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो वह आगरा जाता है, लेकिन राणा जी का दिमाग तो कभी ठीक ही नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को बोलने दें। उत्तर देना है तो आपको भी समय मिलेगा। अतः अनुरोध करूंगा कि बीच में व्यवधान डालने का प्रयत्न न करें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बोल रहे थे तो हम सब मजे से सुनते रहे और कोई तकलीफ नहीं हुई। नेता, विरोधी दल बोले तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन पर्सनल अटैक न करें तो अच्छा हो। नहीं तो कल को हम भी श्री नारायण दत्त तिवारी जी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने भाषण में किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप न लगावें और थोड़ा संयम का ध्यान रखें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आपका आदेश सर आंखों पर, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा, हम भी फूलन देवी का नाम लेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। सच्चाई यह है कि सन् 80 में जब हम आए तो विरासत में हमको कुछ नहीं मिला। कोई और सरकार होती है तो विरासत में कुछ पैसा देकर जाती है। लेकिन ये 80 में 70 डकैतों के गैंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं दिया है।

-टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

देकर गये, जो खूनी गैंग थे। पापियों के गैंग थे।

(अत्यधिक शोर)

श्री अधिष्ठाता—

राणा जी आप बैठें। इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा। मेरा अनुरोध है कि राणा जी मैं कह रहा हूं कि आपके भी भाषण का नम्बर आएगा, तब दूसरे सदस्य व्यवधान डालेंगे तो कैसा लगेगा। यह कोई तरीका नहीं है। आप जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं, वह सदन का तरीका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे किसी के बोलने में व्यवधान न डालें। अफसोस इस बात का है कि वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो यह उचित नहीं रहेगा।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

मैंने कह दिया है कि अगर कोई व्यक्तिगत आरोप करेंगे, तो मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मान्यवर, मैंने 70 गैंगों की बात कही थी, इन्होंने उसे अपने ऊपर समझ लिया। यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। लेकिन, अगर किसी के दामन में दाग है तो उस दाग को देखना पड़ेगा। अगर किसी में साहस है इतनी नैतिकता है तो इसको काटा जाय अन्यथा उसको स्वीकार करें।

(व्यवधान)

मान्यवर, लोकदल का एक युवक पकड़ा गया, उसका काम सिर्फ इतना था कि वह डकैतों को हथियार, गोली बारूद इत्यादि सप्लाई किया करता था।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कुछ इल्जाम लगाये। एक मन्च पर जो चीज आंखों से देखीं उसका जिक्र करना चाहता हूं। इटावा से माननीया सुखदा मिश्रा जी, जो ऊर्जा राज्य मन्त्री हैं, यहां बैठी हुई हैं। इनके चुनाव के सिलसिले में मैं वहां गया हुआ था। एक चुनाव सभा चल रही थी, उस चुनाव सभा में तत्कालीन सहकारिता मन्त्री जी बैठे हुए थे, लेकिन उनके साथ मन्च पर कौन बैठा हुआ था—

[x x x]

(व्यवधान)

मान्यवर, जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो छिपाया नहीं जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—

किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप न लगायें यह मैंने आपसे निवेदन किया था, फिर निवेदन कर रहा हूं।

(सर्वश्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ श्री बाबू राम यादव तथा श्री विजय सिंह राणा के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)।

जब मैं खड़ा हो गया हूं, तो आप लोग बैठिये। मैंने माननीय सदस्यों से

टिप्पणी—[*xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अनुरोध किया था कि व्यक्तिगत आरोप न लगायें। मैंने इसे दो बार कहा, तीन बार कहा, फिर कह रहा हूं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे तो वरिष्ठ साथी हैं, जो पहली बार चुनकर आये हैं, वे आरोप लगायें, तो समझा जा सकता है। मैं फिर कहता हूं कि जो भी व्यक्तिगत आरोप लगाये जायेंगे, मैं उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

चौधरी महाराज सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी माननीय नेता विरोधी दल पर एक आरोप लगाया कि उनके मन्च पर [xx] था। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि यह सरकार जांच करायें। एक सदस्य कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है। अगर यह बात सिद्ध हो जाय, तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं। अन्यथा इस निकम्मी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा था, शायद आपने मुझे गौर से सुना नहीं। मैंने कहा कि कोई व्यक्तिगत आरोप न लगाये जायं। यदि कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया गया होगा तो मैं उसे देखकर निकलवा दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने का इरादा नहीं है। कल नेता विरोधी दल बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मन्त्रियों को नियुक्त करते वक्त, उनके पहले अतीत को भी देख लिया जाना चाहिए था। सच्चाई को इस आदरणीय सदन में लाने का हमारा फर्ज है। यह एक हकीकत है। जब नेता विरोधी दल जवाब दें तो वह कह सकते हैं कि यह सच्चाई है कि नहीं लेकिन मुझे मेरी बात कहने दीजिए।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मंच पर बैठे थे। उस वक्त एक महिला चिल्लाई। उसने कहा कि [xx] जो आदमी बैठा है, कल जो मेरे यहां हकैती पड़ी है, उसमें यह भी शामिल था, इसने मेरे साथ बलात्कार किया है। अब आप ही बतायें कि उधर बैठने वाले लोगों से हम क्या आशा कर सकते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, जिस दिन हम सत्ता में आये तो उधर के बैठने वाले लोग हमारे लिए 70 गैंग छोड़ गये थे। मुख्य मन्त्री चाहे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हों, श्री श्रीपति मिश्र रहे हों और या फिर श्री नरायन दत्त तिवारी जी हों, इनके नेतृत्व में हमने एक जेहाद छेड़ा। हमने कायरों की तरह और बुजदिलों की तरह उनके सामने घुटने नहीं टेके। 200 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इन 70 गैंगों का सफाया किया। आज केवल 4 गैंग सक्रिय रह गये हैं।

टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर नैतिकता का तकाजा है तो जरा इनको सुनना चाहिए था। मान्यवर, देश की आजादी के बाद पहली बार, भगवान करे अब न हो, पंजाब में आपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उस समय बिहार से भगोड़े यहां आ गये थे और उसका सबसे बड़ा बोझ उत्तर प्रदेश पर पड़ा था। जबकि उस समय हमारी सेना भी तैयार नहीं थी, हमने नैतिकता का सहारा लेकर उनका सामना किया। मैं तो समझता था कि नेता विरोधी दल उनकी तारीफ में कुछ कहेंगे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं।

मान्यवर, आर्मी के जनरल श्री भूपेन्द्र सिंह जी ने, जो कांग्रेस के आदमी तो हैं नहीं, कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस नाजुक घड़ी में जिस नैतिकता के साथ और जिस साहस के साथ उन भगोड़ों का सामना किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आप मुझे संरक्षण दें। उधर के लोगों ने अव्यवस्था फैलाकर मेरे समय में कटौती की है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसे ध्यान में रखते हुए मुझे 5 मिनट का समय और दें।

मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि चाहे इधर बैठने वाले लोग हों या फिर उधर बैठने वाले लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि कहां पर गलती हैं और कहां पर खामियां हैं, हम उसे उजागर करें। इधर बैठा हुआ देश का सर्वोच्च नेता सीने पर गोली खा कर मर जाता है लेकिन कायरों की तरह बुझदिलों की तरह बोलना मुनासिब नहीं समझता है। हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर चुनाव लड़ते हैं लेकिन उधर कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं जो एक सूत्र लेकर चुनाव लड़ते हैं वह है जातीयता और साम्प्रदायिकता। साम्प्रदायिकता में अलीगढ़ जला है, मुरादाबाद जला है, सहारनपुर जला है। जब अलीगढ़ जलता है तो उसमें गिरफ्तारी किसी कांग्रेस के व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि गिरफ्तारी होती है उधर बैठने वाले लोग जब सरकार में थे, तो उनके संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी अलीगढ़ में होती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हम तो कहना चाहेंगे, पंडित नेहरू ने यही कहा था, हम तो उनकी बात को याद करते हैं, पुलिस में सुधार लाने की गुंजाइश है। आजादी के पहले जो पुलिस थी वह शासक की थी और आज जनता की है। सुधार लाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता, एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने अभी डी0 जी0 पी0 की प्रशंसा करते हुए कहा लेकिन उन्होंने कहा कि गृह सचिव और डी0 जी0 पी0 में सामंजस्य नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने पहले ही स्पष्टीकरण दिये थे कि दोनों में सामंजस्य है। यही सचिव थे, पुलिस महा निदेशक थे, लोक सभा का, विधान सभा के चुनाव में शान्ति रही यहां उत्तर प्रदेश में और वहीं बगल के प्रान्तों में पंजाब में आतंक रहा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार—

अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । राजनीतिक नेतृत्व की बात होती है, अखबार की कतरनों की बात होती है, कतरनें दिखाई जाती हैं तो मुझे भी याद आता है 78 में एक अखबार में था व सिलसिले बजारत एक मन्त्री आज तक लखनऊ में रहते हैं इस लिए जानवरों की चोरी में कमी आ गई है । 78 में किसकी सरकार थी जिन्होंने चोरियां की हैं, हत्यारों, डकैतों को शरण दी है उन्हें कहने का यह हक नहीं बनता है । अन्त में, यह कटौती का प्रस्ताव वैसे ही है जैसे कटा हुआ विरोध पक्ष है . . .

(व्यवधान)

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं । वैसे मैंने सोचा था कि अगर मौका मिलेगा तो ऐसी बातें रखने का प्रयास करूंगा जिससे लगे कि यह कटौती का प्रस्ताव तर्क संगत रहा है या नहीं । अभी एक कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका सम्बन्ध इलाहाबाद से भी होता है । इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते थे और मैं उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था । माननीय सदस्य के यहां चरित्र हनन या व्यक्तिगत आरोप की बात नहीं है लेकिन दो मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जब उन्होंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषणों के सन्दर्भ में बात कही तो मेरा आरोप है माननीय सदस्य के यहां और इस मन्त्रि परिषद् के एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहां अपराधियों को शरण देने के लिए छापा पड़ा था । मैं कहना चाहता हूं कि . . .

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है . .

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा अगर माननीय सदस्य की बात सही हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक तो ज्यादा तेज आवाज में न बोलें और कोई व्यक्तिगत आरोप न लगायें ।

श्री मैनेजर सिंह—

जिस प्रकार से युवा कांग्रेस के चन्द लड़के यहां गुण्डागर्दी करना चाहते हैं, इन पर आप नियंत्रण कीजिये । आप इन पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे तो हम नियंत्रण करेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से और जो विभिन्न दलों के नेता हैं,

उनसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो बजट पर भाषण हैं सुचारु रूप से चले, हर माननीय सदस्य को मौका मिले अपनी बात कहने का और बीच में व्यवधान न हो तो अपने-अपने दल के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये आगाह कर दें कि व्यक्तिगत आरोप न लगायें।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके पहले भी बजट के प्रस्ताव पर कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका मिला था, मैं अत्यन्त शालीनता और विनम्रता से बोला था। हमारे दल के नेता, विरोधी दल के बारे में बात कही, इसलिये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जिन बातों को रखा, बताना चाहता हूं इन्होंने कही इस्तीफे की बात। किसी जमाने के तुर्रम खां गृह राज्य मन्त्री के खिलाफ जीतकर आया हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अपराधी तत्वों को दबाना चाहते हैं। आपने कहा कि अपराध पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं, और यह भी कहा कि पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। एक तरफ आपका आदेश हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने का, आप कहेंगे कि उत्तेजना की बात कह रहा हूं, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के आदेश और धारणा के अनुरूप नीचे स्तर के लोग सफल रहने में कामयाब होने देंगे या नहीं। जहां तक कहा गया, बजट में भी कहा गया और प्रदेश में भी कहा गया कि अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया जाता है।

पुलिस का मनोबल दबाने और उठाने का काम कौन करता है? अभी पिछले दिनों की बात है, आप पता कर लीजियेगा कि बांदा के पुलिस अधीक्षक कौन होते थे उनके खिलाफ यहां आरोप उठाया गया और जब प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाही तो किन-किन कांग्रेस के सदस्यों ने उनकी सिफारिश की और कहा कि इनका काम सराहनीय रहा है, मैं यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन यदि आप अनुमति देंगे तो मैं उनके नाम भी बतला दूंगा।

आप कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस के अन्य लोग काम करते हैं, लेकिन उनके काम में तब तक तत्परता नहीं आ सकती है, न्याय नहीं हो सकता है जब तक तमाम सत्ता पक्ष के सदस्य उसमें हस्तक्षेप करते रहेंगे। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि वह हस्तक्षेप करता है लेकिन मैं कहता हूं कि किसी विपक्ष के सदस्य के कहने से कहीं एस0 पी0 की और एस0 ओ0 की नियुक्ति नहीं हो जाती है। यहां सत्ताधारी दल के लोग तय कर लेते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कि हमारे थाने में फलाने एस0 ओ0 को नियुक्त कर दीजिये।

मैं कहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा शासन स्वच्छ रहे, विपक्ष के लोग भी उसकी तारीफ करें तो जब यहां एस0 ओ0 के खिलाफ चार्ज लगाये जाते हैं तस्करी के अपराध में, बलात्कार के अपराध में, डकैती के अपराध में, चोरी

के अपराध में जिससे कि वह सम्बन्धित होता हैं तो सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य कहते हैं कि नहीं वह सही हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे गोल्ड मैडिल देने की बात करते हैं। दे दीजिये आप उसे गोल्ड मैडिल मुझे क्या आपत्ति हो सकती हैं लेकिन प्रशासन की छवि इससे क्या होगी यह आप स्वयं ही समझ लीजिये।

हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि ऊपर से भ्रष्टाचार हैं और नीचे से भी भ्रष्टाचार हैं। सारे भ्रष्टाचार की जड़ में तमाम ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं किस प्रकार से और कैसे हमारा कब्जा रहेगा और कैसे हम फलां पर कब्जा कर पायेंगे जो कि हमारा विरोध फैलायेगा। पिछले दिनों इलाहाबाद में ऐसी ही दो घटनायें हुई हैं। हो सकता हैं कि विरोध पक्ष के लोग अपनी बात कह सकने में सक्षम हों और अपनी बात को यहां रखें लेकिन सही बात सामने आनी चाहिये, सत्ता पक्ष के लोग चाहे जो सोचे।

अभी पिछले दिनों कहा गया था कि ऐसा कौन सा पुलिस का अधिकारी नहीं हैं जिसके यहां लाखों रुपये की सम्पत्ति नहीं हैं। जिसका कोई ध्यान नहीं पड़ रहा हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में अपराध की स्थिति पिछले 80 से लेकर 85 तक जहां 6 डकैतियां और 8 कत्ल होते थे वहां अब 11 डकैती और 9 कत्ल हो गये हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन हैं कि अपराधी जो हैं और इस राजनीतिक माहौल में आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको सत्ता पक्ष के लोग बढ़ाने का काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम आँतार दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गृह विभाग का बजट हैं और गृह विभाग को लांछन लगाने के पहले या पुलिस पर कोई दोषारोपण करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम अपने-अपने गरेबान को जरा झांक कर देखें और मैं जिस तारतम्य में यह बात कह रहा हूं वह सबसे बड़ा तारतम्य यह हैं कि आज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इक्जामिनेशन कराने के लिए हमको पुलिस की आवश्यकता पड़ती हैं, किन्तु दुखद समस्या हैं कितनी विडम्बना हैं कि हमारे प्रदेश की पुलिस को आज वहां की परीक्षा तक कराने के लिए उनको आवश्यकता पड़ गयी हैं। मैं उस विषय में न जाकर मैं अपनी बात जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा हैं अभी बड़े ही विशुद्ध रूप में हमारे सामने जातिजन समीकरण रखा और उनकी अच्छी मालूमात, उन्होंने इस विषय में अच्छी जानकारी दी इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं लेकिन इसके साथ वह भूल गये भारत के संविधान को कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हैं। हमारे संविधान के अन्दर कहीं पर किसी तरह की यह बात नहीं हैं कि अमुक धर्म, अमुक जाति के परिवार का हैं। जैसे कि व्यक्ति इन्सान पैदा होता हैं, उस वक्त न वह इन्सान हिन्दू होता हैं न मुसलमान होता हैं न ठाकुर पैदा होता हैं, न ब्राह्मण पैदा होता हैं, वह केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्सान पैदा होता हैं। हमने मानवता के आधार पर इन चरणों की राजनीति सीखी हैं। मैं इन चरणों को पाकर मानवता के आधार पर राजनीति करता हूं। मैंने पहले उनको बढ़ावा दिया हैं जो कि योग्य हैं, कर्मठ हैं और उस पद को सुशोभित कर सकते हैं। अब मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल ने राम और कृष्ण का देश इस देश को बताया हैं तो उनको पत्रावली की बात नहीं बतानी चाहिए थी। जो पत्रावली उन्होंने हमारे सामने खोलकर रखी कतिपय मेरा आशय हैं कि उनको इस पत्रावली की विवेचना इस सदन में नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, मुझे इन बातों को मानने में कोई संकोच नहीं हैं, उसमें कमियां हैं और हमारे पुलिस विभाग में भी कमियां हो सकती हैं लेकिन अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो इन अच्छाइयों के बारे में उनकी हमेशा तारीफ भी करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिस वक्त इंदिरा जी की नृशंस हत्या हुई, हमारा प्रदेश दिल्ली से मिला हुआ था, हमारे प्रदेश में भी एक ऐसा झोंका आया और झोंकों को दबाने के लिए हमारी पुलिस ने बहुत सजगता और सतर्कता से काम लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त घल्लूघारा शुरू हुआ इस प्रदेश के नगरों में उस वक्त हमारी पुलिस ने कुछ काम तो किया ही। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आसाम जल रहा था पंजाब भभक रहा था और गुजरात में खून की विभीषिका चल रही थी, लेकिन हमारा प्रदेश इन प्रदेशों के कम्पटीशन में शान्त था और शान्त हैं और शान्त रहेगा। इन बातों की तारीफ करना हमारा मानवीय कर्तव्य हो जाता हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिये कि तीन त्योहार पिछले साल एक ही दिन पड़े दुर्गापूजा, मुहर्रम और दशहरा। आपने देखा कि तीनों त्योहार एक ही दिन पड़ने के बावजूद भी हमारे यहां कोई घटना नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक छुटपुट सी घटना मछलीनाथभंजन में हुई लेकिन तीनों जुलूसों के निकलने के बाद एक एस0 डी0 एम0 हमारा मारा गया, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरा प्रदेश शान्तपूर्ण रहा। हमारी पुलिस ने सहयोग दिया। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या हैं कि हमारे राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई हैं। हमारे इन मूल्यों का असर हमारी पुलिस और 12 करोड़ जनता पर भी पड़ता हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी अभी तो मैंने शुरू ही किया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप जारी रखें।

श्री राम आंतार दीक्षित—

इस सन्दर्भ में एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में हरिजनों पर ज्यादतियां हो रही हैं। उसका एक सेल खोला गया हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जिला स्तर पर खोले जायें।

माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि रबी की फसल के समय जगह-जगह पर आग लगने की घटनायें हुआ करती हैं। मैंने देखा है कि आग लगने पर अग्नि दस्ते को वहां पर पहुंचने में काफी विलम्ब हो जाता है, मैं चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड की यूनिट्स तहसील स्तर पर खोली जायें, जिससे जनता को तुरन्त सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप देखते होंगे कि जमीन और छोटे-छोटे कामों के लिये पुलिस का प्रयोग किया जाता है और मैं पूंछना चाहता हूं कि आपने पुलिस को कितना बढ़ाया है। हमारे यहां पर पुलिस दूसरे सूबों की अपेक्षा बहुत कम है और मैं चाहूंगा कि पुलिस विभाग की बढ़ोत्तरी की जाये। मान्यवर, 12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हजारों दरोगा हैं, हजारों कानिस्टेबिल हैं, उनमें से कुछ दरोगा और कानिस्टेबिल दोषी हो सकते हैं, लेकिन एक समूचे विभाग के लिये ऐसा कहना उचित नहीं है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जाति के समीकरण को अभी सामने रखा, हमारे सामने हमारे मित्र लोक दल के सदस्य बैठे हैं, माता प्रसाद पान्डे जी, यह जातिगत समीकरण किस लिये रखा जा रहा है। प्रदेश के हितों को देखते हुये किसी जाति का कोई समीकरण नहीं होना चाहिये। कुछ खामियां हैं, उनको दूर करने के लिये नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं, उनको स्वीकार कर लेना चाहिये और मैं नेता विरोधी दल से अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे अच्छे काम हैं, उनकी प्रशंसा करें और हमारी पुलिस को बढ़ावा दें। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री आंसान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, पुलिस की जितनी भी आलोचना की जाये वह कम है। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नीचे से है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। शासन का प्रतिबिम्ब प्रशासन होता है, जैसा शासन होगा उसी तरह का प्रशासन होगा, यथा राजा तथा प्रजा। भ्रष्टाचार आज शासन में है, इसलिये प्रशासन भी भ्रष्ट है। आज चोरी डकैती, भ्रष्टाचार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार और हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप देखें हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन गये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि अपराधों में कमी आयी है, मैं कहना चाहता हूं कि अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी, अपहरण रोज हो रहे हैं, इनको पुलिस के लोग कराते और करवाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसको पुलिस न करती हो। 24 घन्टे अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं।

माननीय मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ना चाहिए डकैती रोकने के लिये, अमन कायम करने के लिये, शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए। लेकिन आज पुलिस का मनोबल बढ़ाया जा रहा है डकैती डलवाने के लिये, पत्रकारों के ऊपर हमला करने के लिये, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों पर और वकीलों पर लाठी डंडा चलाने के लिये, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिये और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिये आज आप पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं ? ये क्या पुलिस का मनोबल बढ़ायेंगे ? हम बढ़ाना चाहते हैं पुलिस का मनोबल। ये नहीं बढ़ा सकते। जिनके कन्धों पर बैठ-कर ये विधान सभा की कुर्सियों पर आये हैं क्या उनके खिलाफ ये आवाज उठा सकते हैं ? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं ? उनका मनोबल ये बढ़ा-येंगे तो अपनी राजनीति के लिये बढ़ायेंगे। सत्ता के लिये बढ़ायेंगे और राजनीति का उपयोग करने के लिये उनका मनोबल बढ़ायेंगे। पुलिस का मनोबल हम बढ़ाते हैं, उनका परदाफास करते हैं, सही काम करने के लिये उन्हें प्रेरित करते हैं, उनके गलत कामों का हम परदाफास करते हैं, हम प्यार के बल पर जीत कर आये हैं और ये प्रशासन का दुरुपयोग करके और प्रशासन की नसैनी पर चढ़कर इस विधान सभा में आये हैं। हम जनता के प्यार के बल पर जीत कर आये हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं। जाओ जनता के बीच में और निष्पक्ष चुनाव करा दो। तब हम देखें। पिछले आम चुनाव में जनता ने निष्पक्ष और निर्भीकता का परिचय दिया है। आप जानते हैं कि लोक सभा के पिछले चुनाव में बेईमानी की गई है, बूथों को कैप्चर किया गया है। (व्यवधान) बेईमानी की गई है। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। यह सर्वविदित है। जिस तरह से पिछले वर्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो गई थी और जिस तरह से यहां पर शान्ति व्यवस्था कायम रखी गई। उनकी हत्या होने पर देश दुखी है, हम भी दुखी हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ और सरदारों के साथ पूरे देश में कितनी दुर्गति हुई, कितने घर जलाये गये, कितने लोगों को जिन्दा जलाया गया, यह कौन नहीं जानता। उसके बाद भी आप शान्ति व्यवस्था की बात करते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त करें।

श्री आंसान सिंह—

मान्यवर, आपने और सदस्यों को 15—15 मिनट दिये। मैं कहना चाहूंगा कि आज पुलिस और डकैत में कोई अन्तर नहीं है। केवल इतना ही अन्तर है कि पुलिस को लाइसेन्स प्राप्त है, सरकार से मान्यता प्राप्त है और डकैत बगैर लाइ-सेन्सी हैं, गैर मान्यता प्राप्त है।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आज पुलिस के लोग सी0 आई0 डी0 में चले जाते हैं और सी0 आई0 डी0 के लोग पुलिस में आ जाते हैं। विजिलेन्स के लोग सिविल पुलिस में और सिविल पुलिस के लोग विजिलेन्स में चले जाते हैं। मेरी मांग है कि इन्हें निश्चित

रूप से अलग-अलग होना चाहिए। यहां का गुप्तचर विभाग इन्डिपेन्डेंट होना चाहिए। सिविल पुलिस से उसका बिल-कुल सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। झूठी मुठभेड़ दिखाकर नरसंहार दिखाते हैं, घर से पकड़कर ले जाते हैं और मुठभेड़ में मरा दिखा देते हैं। डकैतों को ये संरक्षण देते हैं और बेगुनाह लोगों को, मायूस लोगों को पकड़ कर फर्जी इन्काउन्टर के नाम पर गोली से भून देते हैं। मान्यवर, यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ये पुलिस के लोग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को, वकीलों को, राजनीतिज्ञों किसी को नहीं बख्सते हैं.

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजें।

श्री आँसान सिंह—

आज पूरा देश जल रहा है। डकैती राहजनी, चोरी, कत्ल की बाढ़ आयी है कोई व्यक्ति भी जो सुबह घर से निकलता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह कुशल से लौटेगा। शाम को यदि वह सोता है तो कोई गारन्टी नहीं कर सकता है कि सुबह क्या हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठें। आपका समय हो गया।

श्री आँसान सिंह—

कब डकैती हो जाय, कहां किसका कत्ल हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें।

श्री आँसान सिंह—

यह पुलिस का हाल है। पूरे प्रदेश में आज पुलिस राज्य है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आम प्रशासन, पर चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैंने इस बहस को शान्ति से सुना, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। चर्चा को ऊपर उठाने की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शान्ति से सुनें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

बहस में हिस्सा लेने से पहले सब को एक बात देखने वाली होती है और वह यह कि एक साल की समीक्षा करने के लिए एक मानक एक मयार रख कर बात करनी चाहिये वह मयार यह है कि क्या एक साल में इस प्रशासन में शरीफ लोगों को कोई दिक्कत हुई है, या बदमाश लोग पकड़े गये और शरीफ लोग अच्छी जिन्दगी बसर कर रहे हैं अगर मानक यह रहा तो ठीक है। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसके जमाने में या किसके राज्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10, 11 सालों में पिछला साल चुनौतियों का साल रहा और वह बेहतर रहा जिसका नतीजा प्रशासन पर सरकार की बेहतर गिरफ्त रही और हमें कामयाबी हासिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई और हम उसमें काफी आगे तक निकल गये हैं। जैसा हमारे साथियों ने का 4 जून 84 से लेकर नवम्बर तक कई कठिन मसले आये, पंजाब का मसला आया और श्रीमती गांधी हमारे बीच से चली गयी और कई और सिलसिले आये लेकिन उसके बावजूद हमारा काम चलता रहा ईद और दशहरा तथा दूसरे त्यौहार एक साथ आये और वे शान्तिपूर्वक गुजर गये। मैं एक बात कहना चाहता हूं—

"यों तो हैं दुनियां सुखनवर बहुत
अच्छे सब कहते हैं कि गालिब का है
अंदाजे बयां और।"

मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि शीशों की दीवारों में रहने वाले पत्थर के महलों में कंकड़ न फेंकें इससे उनके ही महल टूट जायेंगे। आरोप लगाते वक्त मनुष्य को संयम रखना चाहिये।

आप देखें कि इस मुल्क में संविधान के तहत हम एक जगह बैठे हैं उसमें कोई अलग नहीं हैं। हम सैकुलरिजम को मानते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कह दी कि एक ही वर्ग के लोगों की पोस्टिंग कर दी। लेकिन वायस्ड होने की बात किसी ने नहीं कही। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैरिट भी एक चीज होती है। जब मुल्क सैकुलर है उसमें आल इंडिया को सर्विसेज हैं वहां पर जात पांत की बुनियाद पर सलैक्सन नहीं होता है वहां तो देखा जाता है कि मैरिट क्या है। माननीय नेता विरोधी दल ने आंकड़े पेश करने की बात की तो उस पर मुझे तकलीफ हुई कि फलां फलां अधिकारी थे और एक लिस्ट उन्होंने गिना दी और उसमें कहा 90 फीसदी एक ही जाति के लोग हैं तो जो उन्होंने लोगों के आंकड़े दिये उससे खुद उन पर ही वाद का इलजाम आता है वह 90 फीसदी उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। मैं मुकाबला करने की बात नहीं करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इम्पलायमेन्ट और पोस्टिंग में हरिजनों और मुसलमानों के परसेन्टेज की जो बात कही गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह समाज है और इसमें बहुत से लोग रहते हैं।

तो किसी जगह हरिजन अफसर होता है, कहीं मुसलमान अफसर होता है, कहीं पंडित अफसर होता है और कहीं हो सकता है कि मुसलमान हरिजन और पंडित से अच्छा अफसर मिल जाय तो वह होगा। तो इससे समाज में एतमाद पैदा होता है कि हमारा भाई भी है। मान्यवर, जहां विकास हो रहा है तो वहां काफी परेशानियां भी हो रही हैं फिर वह चाहे सड़क बनने की बात हो, स्कूल बनने की बात हो या कालेज में हंगामा हो, चाहे मन्दिर या मस्जिद बनने की बात हो, जहां कोई बात होती है वहां पुलिस बुला ली जाती है। इसलिये आज पुलिस का फैलाव हो गया है। वह पुलिस जो अंग्रेजों के जमाने में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की लड़ाई को रोकने के लिये बनायी गयी थी, 1947 के बाद उसके ऊपर आज तमाम जिम्मेदारियां आ गयी हैं और वह आज हमारी हिफाजत करने लगी। तो जब उसकी हर जगह जरूरत है तो इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस तैनात है उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है और फर्क हो सकता है। हमारी सरकार ने और हमारे

मुख्य मन्त्री के समय में यदि कुछ इनकी तादाद बढ़ी तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भी संविद सरकार बनायी थी, दूसरी पार्टी की सरकारें आयीं तो उस समय इसमें क्यों नहीं सोचा। मान्यवर, आंकड़े आज भी मौजूद हैं। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1947 के बाद अल्पसंख्यकों की तादाद सूबे में एक प्रतिशत रह गयी थी और आज 6 प्रतिशत से ऊपर हो रही है। हरिजनों एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण का परसेन्टेज जो रखा गया था वह पूरा हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे नहीं जा रहे हैं, यह देखने की बात है।

मान्यवर, पुलिस बहुत कम है और जो मामले हैं तथा डकैतों की जो पार्टियां हैं, वह दरियाओं से निकलते हैं, जहां अवैधानिक रूप से शराब बनती है उसको देखते हुए पुलिस को और बढ़ाना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं इन्डेपेन्डेन्ट इंटेलीजेन्स की बात कहना चाहता हूं। पुलिस के जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, गलती से वहां पहुंच जाते हैं वरना ज्यादातर सी0 आई0 डी0 में वह भेजे जाते हैं जो कहीं गड़बड़ी करते हैं। हम सब का सी0 आई0 डी0 पर भरोसा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी और मजबूत पुलिस प्रशासन हो और इंटेलीजेन्स यूनिट अच्छी हो तो इनको अच्छा वेतन और अच्छी सुविधायें दी जायें और मुख्य मन्त्री जी अपने अन्डर में सीधे रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने डी0 जी0 की बात कही थी और कहा था कि हमारे गृह सचिव और डी0 जी0 में मतभेद हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह इस बात को बताता है कि नेता विरोधी दल के पास और कोई काम नहीं रह गया और अब वह चाहते हैं कि इनमें कोई फूट हो जाये तो अच्छा हो जाये।

पत्रकारों में भी राजनीति है और राजनीति न होती तो लोकदल का अखबार न निकलता और पांचजन्य न निकला होता। पत्रकारिता में भी राजनीति है और यह राजनैतिक पत्रकारिता का ही एक हिस्सा है कि दो बड़े अधिकारियों में नाइत्तफाकी डाल दी जाए और अपना काम बना लिया जाए।

मैं आपको बताना चाहता हूं 77 से 80 तक आपको खिदमत करने का मौका मिला था, चार वजीरेआला हुए हैं, जिसमें अलीगढ़ ढाई माह तक जलता रहा, मुरादाबाद जलता रहा, इलाहाबाद जलता रहा और कानपुर जलता रहा और फसादात का सिलसिला ऐसा चला कि महीनों नहीं रुका (व्यवधान) और हमारे पिछले एक साल में, सहारनपुर में हमने 24 घन्टे में सारा मामला फिट कर दिया। (व्यवधान) हमने एक साल अपनी समीक्षा के लिए रखा है, आप एक साल की हमारी समीक्षा करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक प्रशासन का सवाल है आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 में मतभेद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रशासन में कहीं पर भी और किसी में भी कोई विरोधाभास नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आखिरी बात के रूप में मैं शत्रुघ्न प्रकाश जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पुलिस में अब वह समय आ गया है, अदालतों में और जेलों में दबाव बढ़ता जा रहा है,

जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई है। इस लिए मेरा सुझाव यह है कि बहुत सी छोटी-छोटी स्माल स्केल कोर्ट्स खोलकर छोटे-छोट केसों को, जैसे एक्साइज या जुआं के केसेज को उनके द्वारा जल्दी-जल्दी निपटाया जाए या ऐसे छोटे केसों को पुलिस के जरिये खत्म करवाया जाए। तमाम छोटे-छोटे मामलों को पुलिस द्वारा ही मिनिमम जुर्माने के साथ खत्म कर दिया जाए। मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं माननीय मुख्य मन्त्री के कयादत को बहुत अच्छा समझता हूं, इसलिए उनके प्रस्ताव पर सम्पूर्ण बल दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कुशलपाल सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हमको एक मिनट दिया जाता है और उधर के लोगों को आधा-आधा घन्टा दिया जाता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

समय के मामले में बराबरी का ध्यान रखा जाए, यही आपसे निवेदन है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं अपने भाषण में प्रयास यह करूंगा कि इल्जाम और सच में सच्चाई पिस न जाए। जब पूरे देश में यह बहस चल रही है कि पूरी की पूरी शासन पद्धति बदली जाए या न बदली जाए, उस समय मैं उम्मीद करता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी यहां पर जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो अपने बजट के सन्दर्भ में प्रशासन को एक नया आयाम और एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई बुनियादी बात आने वाले 20-25 सालों के बारे में उधर से इशारे के रूप में नहीं कही गयी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भारतीय संविधान के अन्तर्गत शक्ति के विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य जो काम का बंटवारा किया गया है और सबको अलग-अलग अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र बनाया गया है, वह भी आज एक प्रकार से असन्तुलित हो गया है। उत्तर प्रदेश में यह लगता है कि विधायिका और न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। वह इस सूरत से प्रकट है कि मन्त्रि परिषद के लोग भी मजबूर हो गये हैं, जो वह आदेश करते हैं, उसका पालन उनके प्रशासनिक अधिकारी—सचिव नहीं करते हैं और न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को अपनी बदतर हालत के लिए आज विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा करनी पड़ती है। आज यह सन्तुलन बहुत बिगड़ गया है।

मान्यवर, आज मुख्य मंत्री यह कह रहे थे, हवाला दे रहे थे कि प्रशासन किस तरह से अच्छा हो। शिखर पर बैठने वाले व्यक्ति अधिक हों, अधिकारी अधिक हों, निरीक्षण करने वाले अधिक हों या निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो। अगर प्रशासन को, प्रजातन्त्र को अच्छा बनाना है तो आम आदमी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिरकत करानी पड़ेगी । अगर आप आम आदमी की शिरकत करायेंगे तो प्रशासन अच्छा बनेगा । ऊपर से लेकर नीचे तक आपको परिवर्तन करना पड़ेगा । जिस देश के अन्दर आबादी बढ़ रही हो वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटायें और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि यह सारा पिरामिड उलट जायेगा । अगर इस तरह का पिरामिड बनाया जाता है तो वह पिरामिड नहीं बन पायेगा । विश्व के आधुनिक विचारकों का कथन है कि जिन प्रजातान्त्रिक देशों में निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हुआ करती है और काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है वह देश आदर्श माने जाते हैं । लेकिन आप इस स्थिति को उलट रहे हैं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरा यह अहसास है कि हमारा जो प्रशासन है चाहे वह आई0 पी0 एस0 अधिकारी हों या चाहे आई0 ए0 एस0 अधिकारी हों आज आई0 पी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति है । मैं डी0 जी0 और होम सेक्रेटरी के बीच में विवाद की बात नहीं कर रहा हूं । आज यह जो दो सेवायें हैं, बदकिस्मती की बात है कि प्रशासन के स्तर पर काम करने वाले और पुलिस के आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के बीच में टकराव है । यह विवाद अलग है मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज शासन और प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना धीरे-धीरे पनप रही है । प्रजातन्त्र को आत्मसात करने की क्षमता आदमी की खत्म होती जा रही है । आजादी के 40 साल पूरे नहीं हुए हैं और अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन के नाम पर, 60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत काम जो होता है वह केवल स्थानान्तरण का काम होता है । और आज तक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति नहीं बनायी गयी है । मैं चाहता हूं कि स्थानान्तरण और तबादलों को लेकर साफ-साफ नीति सूबे में बनायी जानी चाहिए । साल भर तक केवल एक काम रह गया है कि तबादला करो और रुकवाओ । यह विधायकों पर और मंत्रिपरिषद् पर दबाव है और तमाम जो काम करने वाले अधिकारी हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तबादलों के बारे में कौन सी नीति होनी चाहिए । मैं चाहूंगा की तबादलों की कोई संहिता बनायें और इस बारे में कोई नीति बनाना चाहिए । इसके अलावा प्रजातंत्र की बहुत बड़ी खामी सामने आ रही है, सबसे बड़ी खामी यह है कि तत्परता का अभाव हो गया है । अगर आप 5 साल के अन्दर योजना तैयार करते हैं तो योजना की स्वीकृति और उस योजना का कार्यान्वयन होने तक 10 साल लग जाते हैं जिससे योजना सफल नहीं हो पाती है । कोई योजना स्वीकृत दो साल के लिए हो और उस योजना का कार्यान्वयन 10 साल बाद हो तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अंतर्विरोध और कोई नहीं आ सकता है ।

इसके अलावा प्रशासन तंत्र की सबसे बड़ी खामी आज सामने यह आ गयी है कि जो पत्रावली प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी है सुरसा की आंत की तरह है, सुरसा की आंत की तरह उसका कोई अन्त नहीं है । साधारण सा प्रार्थना-पत्र निस्तारण करने में पूरे के पूरे 2-3 महीने और कभी-कभी तो साल भर लग सकता है । तो

मैं चाहता हूं कि पत्रावली प्रक्रिया, लाल-फीता शाही को ठीक किया जाय और फाइल जिस तरह से निकलती है उस तरह से प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है भ्रष्टाचार के बारे में। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को क्या कंप्यूटर से दूर किया जायेगा। भ्रष्टाचार को बदलना है तो प्रदेश के लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। प्रदेश के लोगों के चरित्र को बदलना होगा। आदमी के बारे में नयी दिशा देने के लिए, नयी मानसिकता पैदा करनी होगी। अगर भ्रष्टाचार को आप कंप्यूटर से दूर करना चाहते हैं तो यह नहीं दूर होगा। भ्रष्टाचार की समस्या का निदान कंप्यूटर नहीं कर सकता। मैंने अंग्रेजी में एक कविता पढ़ी थी जिसका आशय है कि आदमी देश को महान बना सकते हैं, सोना और चांदी से देश महान नहीं बनता।

"नाट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एण्ड स्ट्रांग।"

विज्ञान का उपयोग करके हम बेईमानी को बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। भ्रष्टाचार और बेईमानी को कम्प्यूटर के जरिये नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता को बदल कर दूर किया जा सकता है।

(5 बजकर 20 मिनट)

तो कम्प्यूटर की प्रणाली से प्रदेश से भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर सूबे को आगे बढ़ाना है, तो आपको तबादले के सम्बन्ध में कुछ नीति निर्धारित करनी होगी। प्रशासन करना धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीयता, विकेन्द्रीकरण, जनतंत्र, अहिंसा पर आधारित होगा, तब तरक्की हो सकती है। आज प्रशासन, जातिवाद, गुटवाद, साम्प्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, विलासिता ये इसके पाये हो गये हैं। आज जिन विसंगतियों से यह प्रशासन ग्रसित हो गया है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाय। भारतीय संविधान की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना उनकी गरिमा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर पायेंगे, तो कौन कर पायेगा। दो महीने पहले जब इस देश के राष्ट्रपति देहरादून आये थे, तो एक भी मंत्रि परिषद् का सदस्य उनको हवाई अड्डे पर लेने नहीं गया था। 24 अप्रैल, 1985 को प्रदेश मंत्रि परिषद् के लिए श्री जयराम वर्मा को मंत्रि-परिषद् की शपथ दिलायी गयी थी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय झंडा पौने 4 बजे फटा हुआ पाया गया और साढ़े 4 बजे उन्हें शपथ दिलायी गयी। उस समय मुख्य मंत्री मौजूद थे। मंत्रि परिषद् के कई सदस्य भी मौजूद थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, झंडे के सम्मान की रक्षा भी ये नहीं कर सकते हैं। बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि—

"झंडा ऊंचा रहे हमारा"। इसकी शान न जाने पाये, चाहे जान भले ही जाये।" जिस प्रदेश के अन्दर, राज्य के अन्दर राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं हो सकता, उसकी गरिमा का पालन नहीं हो सकता है, तो आम आदमी को इज्जत कैसे मिल सकती है? अगर सूबे में अच्छा प्रशासन चलाना है, तो इस तरह के कामों में गरिमा का पालन भी करना चाहिए। इन शब्दों के

साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने सम्मानित सदन में सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मुझे अच्छा लगा जब सम्मानित नेता सदन अपनी वार्ता कर रहे थे और सम्मानित विरोधी पक्ष उसको बहुत शांति से सुन रहे थे और यही सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने किया, जब सम्मानित नेता विरोधी दल अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय पूरा सदन शांति से सुनता रहा । जब इतने गम्भीर मसले पर विचार करेंगे, तो यही अच्छा लगेगा । मैं नेता विरोधी दल के हर तथ्यों को बड़े ध्यान से सुन रही थी । उन्होंने तीन सम्मानित मुख्य मंत्रियों का जिक्र पूर्व में ही किया । सबसे पहले उन्होंने माननीय वी0 पी0 सिंह जो हमारे मुख्य मंत्री थे, उनको यह कहा कि फर्जी इनकाउन्टर कराये और फर्जी मुठभेड़ दिखाये । मैं आपके माध्यम से आपको स्मरण दिलाना चाहती हूं कि उस वक्त दस्यु उन्मूलन हुए और जमकर हुए । जब 1980 में इस महान प्रदेश के वह मुख्य मंत्री बने और उन्होंने कार्यभार संभाला, तब उन्होंने इस दस्यु उन्मूलन के कार्यक्रम को बड़ी हिम्मत से किया . उसी दस्यु उन्मूलन के मध्य ही उनके भाई का मर्डर भी हो गया । लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई, साहस से काम किया और साहस से काम करने के बाद एक ऐसा भी मौका आया जब कि सामूहिक मौतें हुई । तो वे मुख्य मंत्री जिनका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, उनके ऊपर कलंक लगाया गया, उन्होंने देखा कि सामूहिक मौतें हुई, तब उन्होंने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया, तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुख्य मंत्री पद पर रहूं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी । मान्यवर, एक बात हमारे नेता विरोधी दल ने कही और बड़े वृहद् रूप में कही । उन्होंने कहा कि फलाने अधिकारी इस तरह के थे फलानी जाति के इस तरह के थे, तो मान्यवर, स्मरण करें मैं तो यहां से उठकर चली गयी थी, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र की स्पीच लेने के लिए । आपकी तरफ से यह पहली दफा आरोप नहीं लगा है हर बार लगते हैं कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो मान्यवर, मैं उठकर चली गयी थी, मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र की स्पीच लाई जिसमें उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, योग्य अधिकारियों का सबका पूरा ब्यौरा दिया है । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप पुस्तकालय जाइये और उस स्पीच को दीखिये । आपकी बात का आपको खुद जवाब मिल जायेगा ।

(शोर)

आप मेरी बात सुनें हम आपकी बात सुनें । अब मान्यवर, यह मुख्य मंत्री जी आये, इनके बारे में भी आपका आक्षेप यह है कि यह कुछ नहीं कर रहे हैं । मैं फिर आपके माध्यम से स्मरण दिलाना चाहती हूं अपने साथियों को, चाहे वह विरोध पक्ष में बैठे हों, यह सच बात है कि जनता से चुनकर हम भी आये हैं, हमको भी वह सम्मान प्राप्त है। फर्क

केवल इतना है कि हम मात्रा में ज्यादा हैं और आप मात्रा में थोड़े हैं । हमारे मात्रा में ज्यादा होने के कारण शासन का भार हमारे कन्धों पर आ गया है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है । मान्यवर, माफिया गिरोह का इस धरती पर बड़ा जोर बढ़ गया था । किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उंगली उठा सकता । एक से एक माफिया गिरोह को चुनौती दिया क्या हम उनको छेड़ सकेंगे, माननीय मुख्य मन्त्री जी को आपको भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इतने प्रशंसा का काम किया ।

मान्यवर, कुछ चीजें कहना चाहती थी, लेकिन उस पर आपको नाराजगी हो सकती है इसलिए कुछ नहीं कहूंगी ।

(शोर)

माननीय राना जी से कहना चाहूंगी कि आज के इस गम्भीर मामले की गम्भीरता को बनाये रखें । यही हमारा दायित्व है । मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सहयोग दें । हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम भी आपको सहयोग देंगे । मान्यवर, इन्होंने कहा कि जितने बुरे अधिकारी हैं वह वर्तमान शासन में शान से चल रहे हैं । जितने भी अधिकारी थे वह गाँड फादर या चौधरी चरण सिंह के जमाने में चला करते थे । यह असत्य है किसी में मैं फूट नहीं डालना चाहती हूं । अधिकारी जो हैं वह अपना काम करेंगे । हो सकता है कि आप किसी के वकील हो जायें मैं किसी की वकील हो जाऊं । लेकिन अधिकारी अपना काम करेंगे । यह निर्विवाद सत्य है । पुलिस के बारे में कहना चाहूंगी आजाद देश में पुलिस की बड़ी भारी जिम्मेदारी है गांवों के प्रत्येक अंचलों से लेकर घर के अन्दर तक के जो निजी मामले हैं उनमें पुलिस की जिम्मेदारी मानकर पुलिस से सहयोग लेते हैं और वह हमको सहयोग देते हैं । मान्यवर, इसमें जड़ भावना यह है कि जैसे ही पुलिस का नाम लिया, आक्रोश हो गया । पुलिस का कोई काम नहीं है । पुलिस का काम तब शुरू होता है जब शैतान सामने आता है । शैतान को न टीका लगायी जायेगी, न माला पहनाई जायेगी, उसके साथ तो वही व्यवहार किया जायेगा, जिसके वह योग्य है । जहां पुलिस अच्छा काम करती है, उसकी हम तारीफ करते हैं । वर्तमान शासन को बधाई देना चाहिए कि जहां पुलिस का काम खराब होता है, वहां हम बख्शते नहीं हैं ।

मैं कुछ वर्ष 1984 के विवरण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । अराजपत्रित अधिकारी 96 बरखास्त किये गये, 40 के लगभग सेवा से हटाये गये, 57 की पदावनति हुई, और 1356 निलम्बित किये गये, 72 के लगभग सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र रोके गये, 55 के लगभग की दक्षता व वेतन वृद्धि रोकी गयी, चेतावनी तथा अन्य दण्ड 6582 को दिये गये । इसके अलावा एक बात और कहना चाहती हूं हमारे प्रदेश में लगातार अवैध अस्त्र पनप रहे हैं । उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने 1984 में पन्द्रह हजार सात सौ उन्यासी अवैध आग्नेयास्त्र, 50 हजार 5 सौ 18 कारतूस बरामद किये गये और 153 अवैध शस्त्र बनाने वाले कारखानों का पता लगाया गया, यही नहीं वर्ष 1984-85 में डकैतों से मुठभेड़ में 369 डकैत

घटनास्थल पर मारे गये, 4618 डकैत गिरफ्तार किये गये, 3004 आग्नेयास्त्र बरामद किये गये, सूचीबद्ध 9 डकैत दलों का सफाया किया गया, इसमें वर्ष 1984 में लगभग 46 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु हुई ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

यही नहीं मान्यवर, वर्ष 1984 में पुलिस के लिए विषम परिस्थिति और चुनौती का सामना करना पड़ा, भारत देश की अखण्डता और एकता को चुनौती देने वाले उग्रवादी तत्वों ने पूरे भारत देश में शान्ति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा, 31 अक्टूबर, 1984 को भारत की प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी शहीद हुईं, एक सम्प्रदाय के विरोध में जन आक्रोश उभरा बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट की बाढ़ सी आयी । मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई देना चाहती हूं कि इस विपदा की घड़ी में बड़े ही धैर्य और साहस तथा सूझबूझ से काम लिया और स्थिति पर काबू किया ।

मान्यवर, सन् 1984 में दस्यु उन्मूलन अभियान में भी पुलिस ने सराहनीय सफलता प्राप्त की । यही नहीं मान्यवर, डाकुओं से मुठभेड़ में मारे गये सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी । मान्यवर, पुलिस ने साम्प्रदायिक दंगे पर भी काबू करने का सम्भव प्रयास किया । लखनऊ में शिया सुन्नी झगड़ों पर काबू पाया, ये एक महत्वपूर्ण समस्या पुलिस के सामने थी । यही नहीं मान्यवर, महिला पुलिस को भी विभाग में सेवा का अवसर दिया जाता है, इससे लाभ हुआ कि कुछ लज्जाजनक प्रश्न जब महिलाओं से पूछे जाते हैं तो वे महिला पुलिस को ही बता देती हैं, और इसमें भी सफलता मिली, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों में दहेज एक विशेष घटना है, जिसमें पुलिस महिला काफी चुस्ती से कार्य कर रही है । वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं । मान्यवर, आतंकवादी ताकतें जो सामाजिक ढांचे को चरमरा देना चाहती थी, उन्होंने विद्यालय और विद्यार्थियों के बीच भी व्यवधान किये, किन्तु पुलिस समय-समय पर सजग प्रहरी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करती रही, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा ।

मान्यवर, जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनके लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी हैं मनोरंजन के कार्यक्रम से लेकर बालकों की शिक्षा भवनों की उपलब्धता तथा चिकित्सा, सेवायें आदि भी प्रदान की है ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात कहना चाहती हूं, इस बजट पर जो हमारे नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वापस ले लें और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का मैं स्वागत करती हूं । आप सब का आभार प्रगट करती हूं कि शान्ति के वातावरण में इस पर गम्भीर विचार कर रहे हैं । धन्यवाद ।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जो प्रान्त में पुलिस की अराजकता व्याप्त है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने यहां पर कहा कि साल भर का अगर जायजा ले लिया जाय तो पता चल जायेगा कि कैसी स्थिति रही। साल भर के जायजे में वह कहते हैं कि किसी भी शरीफ आदमी को पुलिस का शिकार नहीं होना पड़ा। हमारी माननीय सदस्या ने कहा कि शैतान सामने आता है तो पुलिस सामने आ जाती है। बांदा में एक परिवार है, उनकी उम्र 80 वर्ष की है, महात्मा गांधी के साथ वह सपत्नी जेल गये, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित हैं, उनको पुलिस ने कोतवाली में बुलाकर गालियां दीं। अगर इनकी नजरों में वह शैतान है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। एक साथी ने कहा कि कालेजों में विद्यार्थियों के इम्तहान होते हैं तो पुलिस को जाना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह स्थिति बनाया किसने। मान्यवर, आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, तमाम नौजवान बेकार हैं, उनमें असन्तोष है। जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अराजक रास्ते को अख्तियार करने के अलावा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक 60 वर्षीय ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कहीं भी कोई धब्बा नहीं, ऐसे व्यक्ति को उन पुलिस वालों ने उसके घर पर जाकर खूब मारा पीटा और गालियां आदि दीं, उस व्यक्ति का कसूर क्या था, कसूर सिर्फ यह था कि उससे नाराज कुछ व्यक्तियों ने पुलिस को पैसा देकर उसके घर पर भेजा था और पुलिस ने उससे कहा कि आपको थाने चलना है, तो उस सख्श ने कहा कि मेरे खिलाफ तो कोई मामला भी नहीं हमारे वहां जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता बस इसी बात पर पुलिस ने एक थप्पड़ मारा। उसका जवाब इसने थप्पड़ मार कर दिया, फिर पुलिस ने उनकी खूब दुर्दशा बनायी और उसे पकड़ कर थाने ले गये। तो मान्यवर, पुलिस के जो महानिरीक्षक हैं, उनके पास मैं गया, और उनके सामने सारी बातें रक्खीं कोई न्याय वहां से मान्यवर, नहीं मिला। उधर से कहा गया कि कोई शरीफ आदमी का मामला आप बतायें जो एक साल के अन्दर घटी हो, तो मान्यवर, मैं यह घटना एक शरीफ आदमी की ही बता रहा हूं और एक साल के अन्दर की है।

मान्यवर, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बांदा जनपद का पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन न होकर "इट इज आर्मी आफ डाकाइट्स"। हर वक्त वहां की पुलिस जनता को लूटने के चक्कर में रहती है और वहां की पुलिस की डाकुओं से सांठ-गांठ भी है। मान्यवर, जनपद बांदा में पुलिस और डाकुओं द्वारा पूरे गांव के गांव पीड़ित हैं। मान्यवर, वहां पर 4 रेलवे कर्मचारी जो, रेलवे लाइन में काम करते थे उनको पकड़ लिया गया और उनसे जब 60-60 हजार रु0 वसूल लिये, तब उन्हें छोड़ा गया। इसी प्रकार से वहां पर एक युवक कार्यकर्ता था, उसको भी पकड़ लिया गया और उसे 4 माह तक बन्द रखा, जब उससे 60हजार रु0 वसूल लिये तब उसे छोड़ा गया। मान्यवर, यह चीजें इसीलिए हो रही हैं कि आपका उन

पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस और डकैत दोनों की मिली भगत है। ये लोग खुलेआम डकैती डालते हैं। पुलिस को भी खिलाते हैं, इसलिए वह जो चाहें करें, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। अभी एक कालेज के एक अध्यापक को और उनके बच्चे को इस बुरी तरह मारा पीटा गया सिर्फ इस बात पर कि उसकी जमीन थाने के पास थी, जिस पर वह मकान का निर्माण करा रहे थे पुलिस को यह अच्छा नहीं लगा और उनसे कहा गया कि आप यह मकान नहीं बनवायेंगे। उन अध्यापक ने कहा कि भई यह मेरी जमीन है और मैं अपनी जरूरत के तहत इसे बनवाना चाहता हूं। इस पर पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ ले गये और वहां इन दोनों की पिटाई खूब जम कर हुई वह बेहोश हो गये और जब इस घटना को उच्च प्रशासन के सामने रक्खा तो भी वहां से कोई न्याय नहीं मिला। मान्यवर, पुलिस, सी0 आई0 डी0 और विजिलेंस यह तीनों एक ही विभाग हैं. यहां का कर्मचारी/अधिकारी कभी इधर और कभी उधर चला जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि विजिलेंस को कम से कम एक अलग विभाग बना दिया जाये। उसकी हर व्यवस्था अलग से व्यवस्थित होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मनहरन नाथ कौल—

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जितने भी विधायक यहां हैं, सबने पुलिस के खिलाफ काफी चर्चा की है मगर यह नहीं सोचते हैं कि आखिर हर इन्सान में कुछ बुराई होती है। इधर के नेताओं और सदस्यों में भी कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हैं और उधर के नेताओं में भी कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हैं। इसी तरह से पुलिस में भी कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हैं और जो बुराइयां हैं वह आखिर क्यों हैं इसको आप नहीं देखेंगे। इसको देखने के लिए आज से 15 साल पहले की स्थिति को देखें। उस समय न विधायकों के लिए कोई शैडो होता था और न डिप्टी कमिश्नर का शैडो होता था। न इम्तहान में पुलिस की जरूरत पड़ती थी और न ही सिनेमा में और न ही अन्य कहीं। आज पुलिस का काम इतना अधिक बढ़ गया है लेकिन थानों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी तो ऐसी दशा में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो होगी ही तो मेरा सुझाव है कि इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए जब तक पुलिस की संख्या और थानों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक इसका दूर होना मुश्किल है। ऐसी दशा में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि थाने बढ़ायें और कर्मचारियों की, सब-इंस्पेक्टर्स की संख्या को बढ़ायें। अभी ला एण्ड आर्डर और इन्वेस्टीगेशन दोनों काम थानेदार को ही करना पड़ता है। होता यह है कि थानेदार ला एण्ड आर्डर में ही लगे रहते हैं और इनवेस्टीगेशन का तो कुछ होता ही नहीं इसलिये ज्यादा से ज्यादा की तादाद में पुलिस के कर्मचारियों और थाने पर सब-इंस्पेक्टर्स को बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात आप यह देखेंगे कि मुकदमें

के जो फैसले होते हैं वह इतने होते हैं कि उससे ला एण्ड आर्डर की प्राब्लेम हो जाती है और कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि वह ला एण्ड आर्डर जरायम करता रहता है। ऐसी सूरत में कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे यह प्राब्लेम हल हो सके। पहले सेशन्स का कंजम्पशन 60 प्रतिशत था। मैं खुद 36 साल स्टेट काउन्सिल रह चुका हूं। डकैती का कंजम्पशन 25 प्रतिशत था तो अब 5 प्रतिशत है और मुकदमों का कंजम्पशन 30 प्रतिशत है। आज मुकदमें 3-4 साल बाद शुरू किये जाते हैं तब तक गवाह टूट जाते हैं, वह अफसर वहां नहीं रह जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है। ऐसी सूरत में मुकदमें छूटने लगते हैं और जहां मुकदमें छूटे, गवाह मिला लिये जाते हैं इसलिए ला एण्ड आर्डर की प्राब्लेम और बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में इसको कैसे दूर किया जाय इसके लिए ला एण्ड आर्डर की एजेन्सीज थानों की अलग कर देनी चाहिए जिससे जल्दी-जल्दी चार्ज शीट लग सकेगी और जल्दी-जल्दी फैसले हो सकेंगे। इसमें एक चीज और स्पष्ट तय कर देनी चाहिए कि इतने दिन में, इतने सालों में इतने मामलों पर फैसले होंगे। जो मल्टी केसेज हैं उनके लिए मोबाइल कोर्ट बना दी जाय इससे मुकदमों के एरियर्स कम हो जायेंगे और जो पुराने लम्बित मुकदमें हैं उनका निपटारा हो जायेगा और जब मुकदमों के एरियर्स खत्म होंगे तो यह प्राब्लेम भी दूर होगी।

दूसरी बात यह रही कि डकैती में मुकदमा क्यों छूटता है। यह इतना अहम क्राइम है, कि इसमें न तो कोई दुश्मन है, केवल कुछ पैसों के लिये डाकू आते हैं और बन्दूक चलाकर, मार-काट कर कुछ रुपया मिल जाता है तो लेकर चले जाते हैं। ऐसे में अगर डकैती में मुकदमा देर से फैसला होता है तो आइडेंटीफिकेशन वैल्यू नहीं रह जाती है। साल भर के बाद आइडेंटीफिकेशन की वैल्यू नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में डकैतों को, मुजरिमों को जल्द पकड़ा जाना चाहिए और 15 दिन में आइडेंटीफिकेशन करना चाहिए जिससे उन्हें डकैती में सजा हो और उससे कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कटौती का विरोध करता हूं।

श्री धनराज यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन, गृह विभाग जैसे विभागों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने चन्द मिनट के विचारों से अपने विरोधी दल के नेता के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश जो 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या का प्रदेश है, इसकी शासन व्यवस्था पर हमें विचार करना है। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार और जघन्य अपराधों के बारे में आत्म-निरीक्षण करने की बात कही। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे मंत्रिमंडल से और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जरा अपना आत्म-निरीक्षण करें। अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों का सिंहावलोकन करें कि क्या

उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, सबको इन्साफ दिलाने में समर्थ हैं ?

मान्यवर, मेरी समझ से ऐसा नहीं हैं। इसके कुछ मौलिक कारण हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा। पूरे देश के अन्दर बिहार को छोड़कर के सबसे ढीला प्रशासन उत्तर प्रदेश का हैं, उसका जो कारण हैं, वह उसका वृहदीकरण हैं। मैं प्रदेश के विभाजन की मांग नहीं करने जा रहा हूं। कुछ लोगों ने की थी। सरकार ने ठुकरा दिया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। और उस तरीके में जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के प्रशासन में अधिकारों का कुछ विभाजन करना पड़ेगा, विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। आज लेखपाल से राज्यपाल तक सारे मसले यहां लखनऊ में ही तय होते हैं। क्या मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को किसी एक जिले में पांच अधिकारियों के नामों की जानकारी हैं ? इसीलिए जरूरी हैं कि पूरे प्रदेश में चतुष्पदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करें। गांव सभा, क्षेत्र समिति जिला परिषद् और प्रदेश। आज जिला परिषद् मृत प्राय हैं। जितने अधिकार जिला परिषदों को अंग्रेजों के जमाने में थे आज वे नहीं हैं। जिला परिषदों के नियंत्रण में न स्कूल हैं, न डाक बंगला हैं न सड़कें और न अस्पताल हैं। अंग्रेजों के जमाने में यह सब जिला परिषद् के अधीन थे। इस प्रदेश के वृहद् आकार को बनाये रखने के लिए और शासन व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए जरूरी हैं कि जिला परिषदों को मिनी विधान सभा का दर्जा दें और प्रदेश के अधिकारों का विभाजन करके जिला परिषदों को सक्षम बनावें। मान्यवर, उससे शासन और प्रशासन दुरुस्त होगा और अन्य समस्याओं के साथ-साथ राजनीतिक समस्या भी हल होगी। आज कोई भी मंत्री हो, सात बजे सुबह से लेकर ग्यारह बजे रात तक उसको फुरसत नहीं हैं। उनको प्रशासन और शासन की व्यवस्था सुधारने के लिये कभी टाइम नहीं मिलता हैं। इसलिये जरूरी हैं कि यहां की व्यवस्था में शासन और प्रशासन में कुछ मौलिक परिवर्तन किये जायं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे बस्ती जिले का सवाल हैं। वहां की सन् 1981 की जनगणना में 36 लाख की जनसंख्या थी अब 40 लाख के करीब होगी। मान्यवर, प्रदेश में कुछ नये जिले बनाने के लिए राजस्व विभाग ने सुझाव दिये हैं। सन् 78-79 में स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी और इससे पूर्व जो मुख्य मंत्री थे, वे नौगढ़ गये थे और जनता की मांग पर उन्होंने एक सभा में वहां घोषणा की थी कि नौगढ़ को जिला बनवायेंगे। नौगढ़ जिले का प्रश्न विचाराधीन हैं, उसको लागू करायें। नौगढ़ एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान हैं। महात्मा बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु भी यहां हैं, उस क्षेत्र का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व हैं, उस महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने भी नौगढ़ एवं कपिलवस्तु को तमाम सुविधायें दी हैं। नौगढ़ को प्राथमिकता देना चाहिये जिला बनाने में। अभी एक माननीय सदस्य बहुत नैतिकता की बात कर रहे थे, नैतिकता की गिरावट ऊपर से हैं, इन्हीं कांग्रेसी भाइयों से हैं। और, पुलिस प्रशासन में तो इस समय भ्रष्टाचार

की जैसे बाढ़ सी आ गयी है। आज से तीन साल पहले बैंकों में बिना रिश्वत के काम होता था लेकिन अब स्थिति यह है कि बिना कमीशन एवं रिश्वत दिये डी0 आर0 डी0 ए0 या अन्य किसी स्कीम के बावत पैसा नहीं मिलेगा। कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार न व्याप्त हो।

मेरे क्षेत्र में उस्का पुलिस थाने का जो थानाध्यक्ष है, मान्यवर, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मनमाना कार्य करता है। पवहारी आश्रम में एक बार चोरी हुई, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर उसी सप्ताह में दोबारा चोरी हुई, और जब बहुत कहा-सुनी हुई तब कहीं जाकर उसकी रपट दर्ज की गयी। डुमरिया के लक्ष्मण की केवल इसीलिये पिटाई की गयी कि उसने एस0 पी0 के यहां उसके प्रति हुए जुल्म की फरियाद करनी चाही थी, और अपना प्रार्थना-पत्र वहां दिया था। थानाध्यक्ष की शिकायत की गयी, जांच हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही वह दरोगा हटाया गया। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बस्ती जिले के और नेपाल के बार्डर परस्पर मिलते हैं। मान्यवर, बार्डर की जो चौकियां हैं, वहां की जो पुलिस खड़ी है, वह भूजा छीन लेती है, घास के लिये भी पैसा लेती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां बार्डर पर एक बोर्ड लगा दिया जाय कि कौन-कौन सा सामान भारत से नेपाल ले जाया जा सकता है और दूसरे कौन-कौन सा सामान नेपाल से भारत आ सकता है ताकि आम जनता को उसका ज्ञान हो सके। और, पुलिस अन्याय न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन एक जीवन दर्शन है। उस दृष्टि से हमको इसको इक्जामिन करने की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत है। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जातिवाद की बात कही और बड़ा अफसोस हुआ यह सुन करके, जब उन्होंने आंकड़े दिये कि इतने आफिसर इस जाति के हैं, इतने आफिसर इस जाति के हैं। इससे कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक ही जाति के हो जायं, तो क्या फर्क पड़ेगा। जितने अधिकारी हैं, ये राज्य कर्मचारी हैं, किसी व्यक्ति के कर्मचारी नहीं हैं। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। एक दार्शनिक ने कहा था कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, हर व्यक्ति के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए।

जहां तक हरिजन भाइयों की बात है, उनके साथ तो स्पेशल ट्रीटमेन्ट है और जो गिरे हुये भाई हैं, उनके साथ भी एक स्पेशल ट्रीटमेन्ट है। जैसे किसी आदमी के चार बच्चे होते हैं और उसमें एक दमे का मरीज है तो माता-पिता उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से समाज में कोई ऐसा वर्ग है, तो शासन और प्रशासन और हम सबका यह कर्तव्य है कि उसकी तरफ ध्यान दें, उसको ऊंचा उठाकर समाज में बराबरी पर लायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हमारा कर्तव्य है। जब कोई भी व्यक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से या फिर इम्तहान के माध्यम से आता है तो वह यह नहीं सोचता है कि मैं इस जाति का आदमी हूं। वह यह सोचता है कि मैं इस राज्य का आदमी हूं और इस राज्य का कर्मचारी हूं। सबको बराबर मौका मिलता है। इस प्रकार जब कम्पटीशन से व्यक्ति आता है तो एक एरीस्टोक्रेसी आफ टेलेन्ट आता है सामने में। जो राज्य के हित में होता है और यही लोकतंत्र के डिस्टिंग्विज का मार्कस है। न कोई जाति वाद की बात है और न कोई मण्डल आयोग की बात है। समाज का वर्गीकरण नहीं हो सकता है। जहां एक ओर फारवर्ड आदमी हैं तो वहीं दूसरी ओर बैकवर्ड आदमी हैं। यदि इस तरह से समाज का विभाजन किया जायेगा तो समाज में नहीं रहा जा सकता है। माननीय नेता विरोधी दल भी इस जातिवाद की बात त्याग करके, समाज के जो कमजोर लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन को कई एक पहलू से देखा गया है, जो बहुत आवश्यक भी है। यह भी सही है कि पुलिस के बगैर काम नहीं चल सकता है। पुलिस में सुधार की आवश्यकता है, यह भी सही है और पुलिस की अपनी कुछ कठिनाइयां भी हैं, यह भी सही है। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि आमरण अनशन पर हम बैठ रहे हैं, कानून कहता है कि आप आमरण अनशन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि यह एक अपराध है। यदि पुलिस हस्तक्षेप करती है तो उसका प्रोटेस्ट हो जाता है। जैसे कोई माब जा रहा है, वह शान्तिपूर्ण हो सकता है। अगर उसमें कोई 2 व्यक्ति गलत आ गये और ढेले फेंकने लगे तो एका-एक हंगामा हो जाता है, जिससे कभी-कभी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना भी पड़ता है। किसी ने कहा भी है "माब स्टपुलेटेड आफ एनीथिंग एक्सेप्ट इन्टेलिजेन्स एक्शन।" आज हर क्षेत्र में राजनीति का बहुत बड़ा प्रवेश हो गया है। किसी ने कहा "लाइफ इज मच लारजर दैन पालीटिक्स"। हमें यह रास्ता अपनाना चाहिए। जितने भी अवैध हथियार हैं और जिनके पास बन बनाने के हथियार हैं, उनको देखा जाय और उनको बरामद किया जाय। हर स्काउन्ड्रल में एक दूसरे के प्रशंसक होते हैं चाहे वे पुलिस वाले हों और चाहे कोई पालीटिशियन हो। ये कहां हैं और कितने हैं, जो भी आदमी कानून की गिरफ्त में आता है, तो उसे दण्डित अवश्य किया जाय।

मोटर-साईकिलों की जांच की जाय। आज इनसे सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। इसे देखा जाय। आज गांवों में लोगों के पास हथियार हैं। यह एक प्रकार से सिम्बल आफ स्टेटस हो गया है, यह सब नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने सिम्बल आफ स्टेटस के लिए हथियार लिया है तो उसके लाइसेन्स को खारिज किया जाय।

मुठभेड़ का कोई सवाल नहीं है। कानून में मुठभेड़ नहीं हो सकती है और न हि कानून में किसी का कत्ल है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा दैट अमेरिका हैज फेल्ड टू जाइस। वन्स ह्वेन दि इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट वाज एसीसानेटेड, सेकेण्ड ह्वेन दि एंसेसनी आफ दि एसीसनेटेड प्रेसीडेन्ट वाज

आलसो एसीसनेटेड विदाउट इन्कवायरी एण्ड ट्राइल । पहला, एक चयनित राष्ट्राध्यक्ष खत्म किया गया, दूसरा, जिसने खत्म किया था, वह मारा गया विदाउट ट्राइल एण्ड इन्कवायरी । इसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए ।

हम कानून की जद में लाना चाहते हैं । शान्ति व्यवस्था की हालत बेहतर है पहले से लेकिन एक तरह से आइडियल बनाया जाय, हर राज्य का आइडियल है उस तक पहुंच नहीं पाता है । जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाय । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और जो उपलब्धियां हैं वह काबिले तारीफ हैं और सुधार की भी गुंजाइश है । इसमें भी कोई शक नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का भाषण सुन रहा था और नेता विरोधी दल के भाषण को भी . . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, यह कब तक चलायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

सुबह 10 बजे से चर्चा प्रारम्भ होगी इसी बजट पर । तो इसलिए अब इनके बाद समाप्त करा देते हैं और जो अन्य मदें हैं उनको ले लेते हैं ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो भाषण दिया उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो हमारे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई आमूल चूल परिवर्तन लाये । यह बात जरूर रही कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस ढंग से भाषण दिया उसका प्रभाव रहा वह अपनी जगह पर है । बोल रहे थे तो जैसे उनके मुख से शहद टपक रही हो । उन्हें, मेरा ख्याल है, पूरे प्रदेश की पूरी स्थिति का आकलन है ही नहीं । मैं आपका ध्यान एक इकाई जो जिले की होती है प्रशासन की, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यहां का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश होता है । उसके मातहत कलेक्ट्रेट के तमाम दफ्तर हैं, विभाग हैं और रेवेन्यू के तमाम विभाग हैं उनके, उसके मातहत हैं । इसके अलावा जिले के और भी विभाग हैं उस पर भी वह आला अफसर है लेकिन स्थिति क्या है जिले के प्रशासन की ? हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और वह जिले का अधिकारी उस पर न अंकुश लगा पाता है और न कोई ऐसा काम कर पाता है जिससे जनता को राहत मिले । ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जितना तहसीलदार से परेशान है, परगनाधिकारियों की इजलास है और उनका काम है, इतना परेशान शायद उन बड़े अफसरों से नहीं होता है । जिले का अधिकारी और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उससे जनता इतनी त्रस्त है उसके बारे में हमारे माननीय विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और जनता का काम नहीं हो पाता है ।

आप अभी कह रहे थे जो बड़े अफसर हैं बहुत ठीक है, मैं आप से कहना

चाहता हूं कि बड़े अफसरों की ही वजह से से छोटों में गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। जिले में, एक बात बताना चाहता हूं, जो अधिकारी बैठा हैं, जो शस्त्र के लाइसेन्स देता हैं, किसको देता हैं जो पैसा देते हैं उसको, चाहे वह डकैत हो और जो गांव का कमजोर वर्ग हैं, उस गांव के लोग अगर चाहें, बन्दूक का लाइसेन्स दे दें तो वहां का बैठा हुआ अपर जिलाधिकारी प्रशासन जिसके हाथ में हैं, वह उसको कभी नहीं देगा और दरोगा कभी भी उसकी संस्तुति नहीं देगा।

डकैतियां नहीं रुक पा रही हैं इसका मुख्य कारण यह हैं कि सारे बन्दूक के लाइसेन्स उन लोगों के पास हैं जो डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा गांव के लोगों के पास एक भी लाइसेन्स नहीं हैं। आप गांवों के आंकड़े उठाकर देख लीजिये, यह बुरी परिस्थिति हैं। हमारे माननीय तिवारी जी चले गये, जब बोल रहे थे डर लग रहा था कि कुछ हो न जाय। जैसे बरसात में एक जानवर होता हैं वह बोलता हैं बोलते ही बोलते उसकी खोपड़ी फट जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। विरासत आपको मिली हैं अंग्रेजों से। मैंने अंग्रेजों को देखा, उनकी पुलिस को देखा, उनकी जेल को भी देखा। आप अंग्रेजों की उस विरासत को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। आपकी पुलिस, कानून, आपके अधिकारी, वही तरीका, वही ढंग और उसी रवैये से चल रहे हैं, उसमें कोई बुनियादी अन्तर नहीं हैं। इसलिये आप सुधार कहां से कर पायेंगे? आप चिल्लाते हैं जनता पार्टी का शासन, जनता पार्टी का शासन, अरे जनता पार्टी तो जुगनू की तरह चमकती हुई आयी थी और चली गयी, लेकिन जितने दिन उसने काम किया लाजवाब काम किया।

यह जो डकैती की बात करते हैं आपके हाथ में राज्य आया, अगस्त, 1947 में, तब से बराबर राज्य करते चले आ रहे हैं। अगर प्रदेश में डकैतियां बढ़ी हैं, तो आपने डकैतों को जन्म दिया हैं, सारे गुण्डे, बदमाश, डकैत जो पैदा हुए, आप कहते हैं चार गिरोह रह गये, सबको मार गिराया। गांव-गांव में आपने डकैत पैदा कर दिये और उनको पनाह मिलती हैं दारुलशफा में, पनाह मिलती हैं मन्त्रियों के बंगले में, यह एक सच्चाई हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं कह रहा था कि यह जो स्थिति आपने ला दी हैं कि इतने वर्षों तक न तो असमानता दूर कर सके न प्रशासन के अन्दर घुसे हुए जातिवाद को दूर किया। पुलिस के डी0 जी0 साहब चले गये, मेरे पास आंकड़े हैं, किन्तु समय नहीं हैं नहीं तो बता देता। इस साल में अपराध बहुत ज्यादा बढ़े हैं, कमी नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान के तमाम प्रदेशों से अधिक अपराध बढ़े हैं। बलात्कार, की घटनायें, डकैती की घटनायें, उत्तर प्रदेश उनमें सब से आगे हैं, यही विकास हुआ हैं। साम्प्रदायिक दंगा सन् 1939 में एक दंगा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस का कुशासन आया हैं तब से दंगों की भरमार हैं। आप दंगे कराते हैं, हिन्दू मुसलमान, हिन्दू-सिखों को अलग करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करते, जातिवाद नहीं जा सकता। अभी कोई माननीय विधायक बोल रहे थे . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राजकिशोर सिंह—

दंगे जब हुए थे तब यही पुलिस और गुण्डों ने मिलकर शहरों को जलवाया, लुटवाया और आज पुलिस की आप बहुत तारीफ करते हैं।

पुलिस के थानों में आप जाकर देखिये कि क्या हालत है। कोई हिम्मत नहीं करता है थानों में जाने की। मालूम होता है कि कोई राक्षस या जल्लाद बैठा हुआ है, जो कोई सही रिपोर्ट नहीं करता है। इस वक्त थानेदार हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा अफसर है, वह न डी0 जी0 की सुनता है, न मुख्य मन्त्री की बात को सुनता है और न एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 की बात को सुनता है, कोई अंकुश नहीं है उस पर किसी का। उस पर अंकुश लगाते हैं हम लोग। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री इसमें कुछ सुधार लायें और पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच पुलिस के द्वारा न कराई जाय, उसके लिये अलग से प्रशासनतंत्र गठित किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुख्य मन्त्री जी के बजट के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कल सुबह 10 बजे से इस पर फिर विचार प्रारम्भ होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसमें एक सूचना पर माननीय सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिये 7 सूचनायें ही ली गयी हैं। श्री बलराम यादव की सूचना जो उन्होंने आजमगढ़ में डकैती के सम्बन्ध में दी है, उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

प्रदेश से जानवरों की तस्करी एवं प्रतिदिन हजारों गायों के निर्यात के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्यों को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 15 और मद संख्या 16 को मन्त्री जी ने स्थगित करने के लिये कहा है।

अब हम उठते हैं, कल 10.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायं 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

23 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

ग्रामों का विवरण जहां पर गांव सभा पट्टे की भूमि पर कब्जा न पाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये

क्रमांक	नाम ग्राम	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	विवरण
	वर्ष 1983-84		
1	—मिर्जापुर करनाई	1	धारा 198 (ए) के अन्तर्गत थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।
2	—बेवाना	3	
3	—मोहीउद्दीनपुर	1	कब्जा दिलाया गया ।
4	—संजरपुर	2	तदैव
5	—लारपुर	2	तदैव
	कुल	9	
	वर्ष 1984-85		
1	—सुल्तानपुर तुलसीपुर	1	कब्जा दिलाया गया ।
2	—अंशरूफपुर	1	तदैव
3	—दुल्लापुर	2	तदैव
4	—परवाभारी	4	तदैव
5	—काही	2	तदैव
6	—सारंगपुर	1	तदैव
7	—रिउना	1	तदैव
8	—बरामदपुर जरियारी	1	तदैव
9	—आदमपुर जरियारी	1	तदैव
10	—बासगांव	1	तदैव
11	—जोगापुर	1	तदैव
12	—अरियाना	1	तदैव
13	—सिंभौली	2	तदैव
14	—धर्मामुबारकपट्टी	1	तदैव
15	—भगवानपुर	3	तदैव
16	—मंगुराडिला	1	तदैव
17	—भीटी	1	तदैव
18	—कटुई	5	तदैव
19	—रामनगर नरसिंहपुर	2	तदैव
20	—अहरिया	1	तदैव
	कुल	33	

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 30 पर)

(संलग्नक—1)

न्याय पंचायत बयारा,विकास क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद बस्ती का माह मार्च, 1985 से जून, 1985 तक के चीनी के वितरण की सूचना :

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	चीनी लेने वालों की संख्या एवं चीनी वितरण की मात्रा (कुन्टल में)							
		मार्च, 85		अप्रैल, 85		मई, 85		जून, 85	
		सं0	मा0	सं0	मा0	सं0	मा0	सं0	मा0
1	बयारा	110	3.30	65	1.95	115	3.07	275	7.57
2	केवटली	35	1.08	121	3.63	75	2.16	80	1.76
3	भुइगांवा	106	3.15	100	3.00	90	2.73	82	1.91
4	पिरैला सुल्तान	45	1.35	84	2.52	48	1.38	100	2.39
5	हटवा खुर्द	73	2.18	67	1.92	88	2.61	50	1.29
6	हटवा बुजुर्ग	94	2.82	62	1.80	58	1.74	70	1.98
7	रंगरेजपुर	113	3.39	21	0.56	100	2.91	118	3.08
8	तेनुहार	20	0.53	32	0.78	25	0.69	75	1.87
9	चकचई	21	0.51	65	1.92	70	2.10	30	0.78
10	सागररौज	60	1.77	80	2.28	110	3.06	100	2.42
11	परसामुर्जा	100	2.92	90	2.64	20	0.55	65	1.95

(संलग्नक—2)

न्याय पंचायत कादिराबाद, विकास खण्ड डुमरियागंज, जनपद बस्ती का माह मार्च, 85 से जून, 85 तक के चीनी के वितरण की सूचना :

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	चीनी लेने वालों की संख्या एवं चीनी वितरण की मात्रा (क्विन्टल में)							
		मार्च, 85		अप्रैल, 85		मई, 85		जून, 85	
		सं0	मा0	सं0	मा0	सं0	मा0	सं0	मा0
1	कादिराबाद	..	..	..	..	..	..	203	4.06
2	परसपुर	..	..	..	..	..	..	84	2.50
3	असाधरपुर	..	..	..	..	..	..	24	0.72
4	विथरिया	..	..	..	..	..	..	81	1.63
5	चौरावनगवा	..	..	..	..	..	..	10	0.21
6	कन्चनपुर	..	..	..	..	..	..	50	1.03
7	बमनी	..	..	..	..	..	..	65	1.62
8	रेहरा	..	..	..	..	..	..	..	..
9	बहेरिया	..	..	..	..	..	..	7	0.15
10	सोनखर	..	..	..	..	..	..	4	0.08
11	धनुआडीह	..	..	..	..	..	..	..	..

नोटः—16 जून, 1985 को न्याय पंचायत कादिराबाद के ग्राम परसपुर एवं कादिराबाद को चीनी वितरित कर रहा था। इसी बीच विथरिया ग्राम के कुछ लोग आकर चीनी मांगने लगे जब वितरण की तिथि 19 जून, 1985 था। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी विथरिया ग्राम के लोगों द्वारा चीनी लेने हेतु झगड़ा करके वितरण रजिस्टर फाड़ दिया गया जिसके कारण मार्च, अप्रैल, मई, 1985 एवं जून, 1985 का आंशिक ग्रामवार वितरण देना सम्भव नहीं है। जिन लोगों ने रजिस्टर फाड़ा था उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज है।

फा0 प्र0 य0 पी0—53 वि0 सभा—831 (लाइनो)।